खण्ड-326, अंक-10
मंगलवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(13 सितम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	907–911
प्रश्नोत्तर	912–940
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	940-942
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	942–944
मथुरा तथा पन्त नगर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों पर कथित लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	944
गोण्डा पालीटेक्निक के प्राचार्य की अनियमितताओं के विरुद्ध छात्रों द्वारा आमरण अनशन एवं उनकी गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	944–945
सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की उपेक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	945-946
ग्राम पिड़थरा, थाना घिरौर, जिला मैनपुरी में अज्ञात संक्रामक रोग के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	946–947
श्री सुन्दर लाल दीक्षित के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	948
20 जुलाई, 1977 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	948–949
प्रदेश में बाढ़, कटाव तथा सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री का वक्तव्य	949
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 9––भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35––नगर विकास, अनुदान संख्या 66––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 69––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 74––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 91––ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन तथा अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन (जारी)	950–1007
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1007–1008

विषय	पृष्ठ संख्या
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 9––भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35––नगर विकास, अनुदान संख्या 66––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान संख्या 69––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 74––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 91––ऋण और अग्रिम–स्वायत शासन तथा अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन (स्वीकृत)	1008–1022
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1022
नत्थियां	1023–1036

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार 13 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—364

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री

ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री
(उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री (जिला जौनपुर)
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन , श्री
देव कुमार यादव, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेत राम सिंह, श्री

पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू राम सरोज, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजबल्लभ श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्र सेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री

मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री

रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर ,श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा. श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादब, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री. श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 13 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

सेन्ट जान्स कालेज, आगरा में छात्रों द्वारा तो:-फो:

*1—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा में दिनांक 25 जुलाई, 1977 को सेन्ट जान्स कालेज पर बाहरी छात्रों द्वारा अभूतपूर्व तोड़-फोड़ की गयी जिसमें लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हुआ और जब यह तोड़-फोड़ चल रही थी, तो पुलिस घटना के दो घंटे बाद आई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की और इस घटना के कारण क्या थे ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

जी हां।

इस तोड़-फोड़ में 16,350 रुपए का नुकसान हुआ। किन्तु यह सत्य नहीं है कि जब तोड़-फोड़ चल रही थी तो पुलिस घटना के दो घंटे बाद घटनास्थल पर आई। पुलिस मामले की विवेचना विधिवत् कर रही है। इस घटना के घटित होने का कारण यह था कि लगभग 500 छात्र हाथरस, मथुरा तथा अलीगढ़ से आगरा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आर0 बी0 एम0 कालेज, आगरा में दिनांक 25 जुलाई, 1977 को 11 बजे से 2 बजे दिन की बी0 काम0 की परीक्षा देने आए थे किन्तु उक्त कालेज में विश्वविद्यालय से कोई सूचना न मिलने के कारण उक्त छात्रों के बैठने तथा परीक्षा दिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं था, जिसके कारण छात्र क्रुद्ध हो गए और रोष तथा असन्तोष के कारण सेन्ट जान्स कालेज में हो रही बी0काम0 की परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को वाक-आउट कराने पहुंच गए। छात्रों की उक्त भीड़ ने वाक-आउट कराने के प्रयासों में कालेज का सामान, फर्नीचर तथा शीशे आदि तोड़-फोड़ डाले। घटना वाले दिन भी परीक्षा केन्द्रों पर साधारणतया रोजाना की भांति पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी।

श्री गुलाब सेहरा—

मुख्य मन्त्री जो के उत्तर के सन्दर्भ में पहली बात यह कि अगर पुलिस लेट नहीं पहुंची तो 16,350 रुपये का नुकसान क्यों हुआ ? दूसरी बात जब यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गलती से घटना हुई, तो उनके विरुद्ध शासन ने क्या किया ? तीसरी बात जो कालेज का नुकसान हुआ तो उसके लिए शासन ने क्या विचार किया है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस को ज्यों ही सूचना मिली त्यों ही पुलिस वहां पहुंची और उस समय लड़के कालेज में प्रवेश कर चुके थे और तरह-तरह के नारे लगा चुके थे और तोड़-फोड़ कर चुके थे। इसलिए पुलिस के वहां पहुंचने के बाद स्थिति नियन्त्रण में आयी। दूसरी बात जो नुकसान हुआ उसके सम्बन्ध में, जांच पड़ताल चल रही है और इसके किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद जो हो सकेगा, शासन सहायता करेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि तोड़-फोड़ किस समय से शुरू होकर किस समय तक चलती रही और पुलिस वहां कब पहुंची ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह 11 बजे से 2 बजे दिन तक परीक्षा निश्चित की गयी थी। जब यह पता चला कि परीक्षा नहीं हो रही है तब लड़के गए और कालेज में जाने के बाद ही यह उत्पात करना शुरू किया और इसमें घंटा आधा घंटा लगा होगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह बताया है कि आगरा विश्वविद्यालय की आज्ञा से 500 लड़ेके हाथरस के सेन्ट जान्स कालेज में परीक्षा देने गए, तो क्या यह बात सही है कि आज्ञा लड़कों को मिली लेकिन जहां वह गए, सेन्ट जान्स कालेज, तो वहां आज्ञा नहीं मिली ? तो यह किस की गलती है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैंने बताया कि इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल अभी जारी है।

शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर व परौर के अन्तर्गत गुण्डों द्वारा कथित लूट व मार-पीट तथा श्रीमती मुन्नी देवी, निवासी ग्राम उमर संडिया का प्रार्थना-पत्र

*2—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर व परौर में विधान सभा के चुनावों के समय से पूर्ण अराजकता है और मड़ई गांव के बन्दूकधारी गुण्डे दिन दहाड़े लूट व मारपीट कर रहे हैं ? यदि हां, तो तत्काल सरकार ने गुण्डागर्दी रोकने हेतु क्या उपाय किए ? क्या यह भी सच है कि गुण्डों की गुण्डागर्दी से तंग आकर अनेक लोग गांव व इलाका छोड़ गए हैं और इस विषय में एक महिला निवासी उमरस डिपा ने अपनी करुण कहानी मुख्य मन्त्री जी को शाहजहांपुर के संसद सदस्य के पत्र के साथ जुलाई, 1977 में भेजी ? यदि हां, तो इस गम्भीर मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर व परौर में विधान सभा चुनाव के समय से पूर्ण अराजकता है। यह भी सही नहीं है कि मड़ई गांव के बन्दूकधारी गुण्डे दिन-दहाड़े लूट व मारपीट कर रहे हैं तथा इन गुण्डों की गुण्डागर्दी से तंग आकर अनेक लोग गांव व इलाका छोड़ गए हैं।

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री इंसपेक्टर सिंह, निवासी ग्राम उमर संडिया, थाना परौर का एक प्रार्थना-पत्र कतिपय माननीय संसद सदस्यों के संयुक्त पत्र के साथ जुलाई, 1977 में प्राप्त हुआ था। प्रार्थिनी ने शिकायत की थी कि गांव के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रार्थिनी के पति व परिवार के अन्य सदस्यों पर दावा किया गया, मृतक के साथियों ने प्रार्थिनी के घर में घुसकर व्यापक लूट की, परिवार के अन्य सदस्यों को मारा-पीटा। जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त हत्या के मामले में प्रार्थिनी का पति, जेठ तथा अन्य व्यक्ति नामांकित

थे। विवेचना के उपरान्त मुकदमें में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जांच से यह आरोप सत्य नहीं पाया गया कि मृतक के साथियों ने प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों को मारा-पीटा या लूट-पाट की। प्रश्नगत हत्या के बाद से ही गांव में सशस्त्र गार्ड लगा दी गयी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो संसद सदस्य का पत्र मिला और उसके साथ जो शिकायती-पत्र रहा, उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गयी थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन माननीय संसद सदस्यों ने वह पत्र लिखा था, तो क्या उनसे भी क्षेत्राधिकारी ने कुछ जानकारी प्राप्त की थी ? यदि उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो उन्होंने उस सम्बन्ध में क्या कहा ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट अदालत में भेजी जा चुकी है और जो एलीगेशन थे, उनके बारे में, जांच में उस तरह की बात नहीं पाई गई। जो कागजात उपलब्ध हैं, उनसे ऐसा नहीं लगता है कि बयानात लिए गए। इसलिए मैं इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार का आदेश करेंगे कि सामान्य रूप से जन-प्रतिनिधि शिकायत देते हैं, उनसे जांच अधिकारी पूछते नहीं, तो भविष्य में उन जन-प्रतिनिधियों से, जो हस्ताक्षरकर्ता हैं, जांच परताल कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अराजक तत्वों से आतंकित होकर जो ग्रामीण अपने क्षेत्र को छोड़ कर दूसरे क्षेत्र में चले गए, उन्हें पुन : अपने गांव में बसा दिया गया और उनको आश्वस्त कर दिया है कि उनके जान-माल की गारन्टी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, इसमें लिखा है। उसको देखें। जो गांव छोड़कर चले गए, उनको पुन: उनके गांव में बसा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। मैं व्यवस्था दे चुका हूं। जब प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर आ गया और आपको व्यवस्था दे दी तो उसमें तर्क न करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

तो पूरक और अनुपूरक की गरिमा क्या रह जायगी ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मन्त्री जी ने कहा है कि वहां अराजक तत्व नहीं हैं, कोई गांव छोड़कर नहीं भागा, लूटपाट की घटना नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि संसद सदस्यों ने जो आरोप-पत्र दिए वह सही पाए गए। तो यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सुनने में या मुझको समझने में कुछ सन्देह हो गया है। मैंने यह नहीं कहा था।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

जो लोग गांव छोड़कर गए हैं, उनमें कितने कमजोर वर्ग के थे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया है कि कोई गांव छोड़कर नहीं गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, अब आप कृपया बैठ जायं, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या बहुत है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

तो मान्यवर, इसमें मेरी क्या गलती है ?

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में उर्दू अनुवाद यूनिट की स्थापना

*3—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि उर्दू गजट के प्रकाशन से सम्बन्धित 1973 व 1975 में तत्कालीन शासन द्वारा लिए गए निर्णय पर पूरे तौर से अमल-दरामद न होने की स्थिति में भूतपूर्व सरकार ने उक्त निर्णयों पर पूर्णरूपेण कार्यान्वयन हेतु राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में एक उर्दू यूनिट स्थापित किए जाने का अन्तिम रूप से जो निर्णय लिया था उसके अनुसार क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में उक्त उर्दू यूनिट स्थापित हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ? क्या अब उक्त गजट छापा जायगा ?

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

कुछ समय से यह प्रश्न शासन के विचाराधीन था कि ऐसे विभागाध्यक्षों आदि के कार्यालयों से, जहां उर्दू अनुवाद की व्यवस्था नहीं है, गजट के उर्दू तर्जुमें में छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री का उर्दू अनुवाद राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में करने की व्यवस्था कर दी जाय ताकि पूरा गजट उर्दू में भी शीघ्र छप सके। इस प्रश्न पर हाल ही में अन्तिम रूप से निर्णय लेकर राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में तात्कालिक रूप से एक उर्दू अनुवाद यूनिट स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक, 22 अगस्त, 1977 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गजट का उर्दू तर्जुमा नियमित रूप से सितम्बर, 1968 से ही छापा जा रहा है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों की तादाद क्या होगी, जो तर्जुमा का काम करेंगे ? क्या वहां इस काम को करने के लिए दोनों जुबान के जानने वाले को रखा गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, इसमें तीन आदमियों का स्टाफ रखा गया है। इसमें 7 सितम्बर, 1977 को इन तीन आदमियों की व्यवस्था कर दी गयी है ? इसमें पुनरीक्षक एक और अनुवादक दो हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में उर्दू का ट्रांसलेशन करने के लिए कुल कितने ट्रान्सलेटर्स की आवश्यकता है और जो लोग वहां इस कार्य के लिए भेजे गए हैं, क्या वे उर्दू और हिन्दी में क्वालीफाइड हैं ? उनकी क्या क्वालीफिकेशन है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

अभी फिलहाल तीन आदमियों की व्यवस्था कर दी गयी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो और लोगों की व्यवस्था कर दी जायगी। फिलहाल तीन आदमियों की व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

उनकी योग्यता क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जहां तक तीनों की हिन्दी और उर्दू की जानकारी का सवाल है इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या शासन को ज्ञात है कि उर्दू में काम करने के लिए, गजट छापने के लिए रामपुर में एक नया प्रेस खोलने की व्यवस्था पिछली सरकार द्वारा की गयी और वहां रूस से खास तौर पर उर्दू की मशीन मंगाई गई ? क्या वहां पर उर्दू में गजट छापने के लिए पुराने आदेश लागू होने वाले हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रश्न था उससे सम्बन्धित उत्तर आ गया। इस सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रश्न नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए था। हमने बताया कि तीनों लोगों की नियुक्ति भी हो गई है जो कि उर्दू और हिन्दी के जानकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न असंगत नहीं था। यह तो आपका काम था कि इलाहाबाद में व्यवस्था है या रामपुर में। आपने स्पष्ट उत्तर दिया कि हमने इलाहाबाद में व्यवस्था की है, तो रामपुर के बारे में आप उत्तर दे सकते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है जब इलाहाबाद में व्यवस्था कर दी गयी है। लेकिन उनका प्रश्न असंगत नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप (ज़िला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रान्सलेटर हिन्दी से उर्दू करने के लिए रखे गए हैं, उन तीनों ट्रान्सलेटरों की योग्यता क्या-क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसका उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे मालूम नहीं है। बाद में देखेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या सूचना मन्त्री जी बतायेंगे कि जो हाल में आदेश जारी किए गए हैं, वे क्या हैं और पुराने उर्दू गजट में कहां तक संशोधन करके उर्दू की नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे दिया गया है। नीति पुरानी थी। गजट पब्लिश किया जा रहा था लेकिन अब सुविधा की दृष्टि से पूर्णतया ट्रान्सलेशन की यूनिट इलाहाबाद में कायम किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आदेश जारी हुए हैं। आदेश क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष, भूतपूर्व सरकार ने 22 अगस्त, 1977 से केवल सिद्धान्त रूप में व्यवस्था की थी लेकिन. . .

श्री अध्यक्ष—

आपने भूतपूर्व सरकार कहा। 22 अगस्त, 1977 से तो यही सरकार थी। आपने लिखा है 22 अगस्त, 1977 से आदेश जारी किए गए। 22 अगस्त के आदेश क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष, वह आदेश इस प्रकार हैं :—

लखनऊ, 22 अगस्त, 1977।

विषय—उर्दू गजट का प्रकाशन—राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में अनुवाद यूनिट की स्थापना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान पार्श्वांकित आदेशों की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनमें यह कहा गया था कि सरकारी हिन्दी गजट के समस्त भाग पूरे के पूरे उर्दू गजट में प्रकाशित किए जायेंगे और यह कि उर्दू गजट सरकारी हिन्दी गजट का बिलकुल प्रतिरूप (Prototype) होना चाहिए। साथ ही सम्बन्धित कार्यालयों एवं विभागों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ विज्ञप्तियों आदि का उर्दू अनुवाद स्वयं तैयार करा कर राजकीय प्रेस को भेजेंगे।

2—शासन की जानकारी में यह बात आई है कि अधिकांश विभागाध्यक्षों आदि के कार्यालयों में उर्दू अनुवाद की सुविधा समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी विज्ञप्तियां बिना उर्दू अनुवाद के प्रेस को भेजी जाती हैं, जिसके कारण पूरे उर्दू गजट के छापे जाने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि तात्कालिक प्रभाव से सचिवालय के भाषा (उर्दू) अनुभाग की एक अनुवाद यूनिट राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में स्थापित कर दी जाय जो ऐसे विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों आदि के कार्यालयों में जहां उर्दू अनुवाद की व्यवस्था नहीं है, से प्राप्त होने वाली विज्ञप्तियों आदि का वही उर्दू अनुवाद कर के उर्दू गजट में छपने के लिए प्रेस को दे दिया करें ताकि शासन के निर्णय के अनुसार पूरा गजट उर्दू में भी प्रकाशित हो सके। ऐसे समस्त कार्यालय भविष्य में जो भी सामग्री राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को गजट में छपने के लिए भेजें उसके साथ एक अतिरिक्त प्रति संलग्न करेंगे, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में "उर्दू अनुवाद के लिए" लिखा जायगा।

3—यहां यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त अनुवाद यूनिट विभागाध्यक्षों आदि के केवल ऐसे कार्यालयों की ही विज्ञप्तियों का अनुवाद करेगी जहां पर उर्दू अनुवाद की व्यवस्था नहीं है। ऐसे विभागाध्यक्ष जिला अधिकारी, आदि जिनके कार्यालय में उर्दू अनुवाद तैयार कराने की व्यवस्था सम्भव है, वह अपनी विज्ञप्तियां आदि पहले की तरह उर्दू अनुवाद के साथ राजकीय प्रेस को भेजते रहेंगे और ऐसे अधिकारियों को ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित अतिरिक्त प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अनुवाद यूनिट सचिवालय के अनुभागों द्वारा प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री का उर्दू अनुवाद नहीं करेगी। सचिवालय के समस्त अनुभाग पूर्ववत् अपनी अधिसूचनाओं, विज्ञप्तियों आदि का उर्दू अनुवाद भाषा (उर्दू) अनुभाग से करा कर प्रेस को भेजते रहेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इतना लम्बा जवाब जब पढ़ा जायगा तो उसी में समय समाप्त हो जाता है और औरों को मौका ही नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

जो तीन व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति का आधार क्या था और इस यूनिट ने अनुवादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जिन तीन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है, वे उर्दू में स्नातक हैं और हिन्दी में उनकी वर्किंग नालेज है। सचिवालय से ही उनको भेजा गया है जो पहले से ही यहां कार्य कर रहे थे। 7 सितम्बर, 1977 को उनको सचिवालय से भेजा गया है और आशा है कि वह कल या परसों से काम शुरू कर देंगे।

न्यायालय में पूर्व जमानत की व्यवस्था लागू किये जाने की मांग

*4—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालयों में पूर्व जमानत की व्यवस्था पुनः लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

आपात्कालीन स्थिति में न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात करने हेतु एंटि-सिपेटरी बेल का प्राविजन खत्म कर दिया गया था लेकिन अब देश के अन्य राज्यों में, इसे पुनः चालू कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल को लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

इसमें कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण हैं और उस प्रशासनिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए शासन उस पर विचार कर रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं और क्या मुख्य मन्त्री कोई समय निर्धारित करेंगे जब तक यह व्यवस्था लागू हो सकेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रायः देखा यह जाता है कि शान्ति व्यवस्था के नाम पर कभी-कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है। शासन इस प्रश्न पर विचार कर रहा है क्या कोई ऐसा प्राविधान किया जा सकता है, जिसमें अवांछनीय लोग या जो सामाजिक वातावरण विषाक्त करते हैं, वे इस परिधि में न आ सकें। इन सारे प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

ऐंटीसिपेटिरी बेल की व्यवस्था आपात्कालीन स्थिति के पहले थी लेकिन अब फिर वह पुनः अन्य राज्यों में लागू हो गयी है। ऐसी क्या अड़चन है, जिससे इसे हम अपने यहां लागू नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि कुछ असमाजिक तत्वों के सम्बन्ध में गड़बड़ी करने के कारण ऐंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान यहां नहीं लागू किया गया है जबकि अन्य राज्यों में इसका प्राविधान है, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई विशेष समस्या है असमाजिक तत्वों की ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं जानता हूं कि वह इस बात का स्वयं अनुभव कर रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है। इसीलिए सारी चीजों पर शासन विचार कर रहा है। हर प्रदेश की स्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं और वह अपने ढंग से एमेंडमेंट या संशोधन किया करते हैं इसलिए उस सन्दर्भ में शासन विचार कर रहा है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अवांछनीय तत्वों को छोड़ कर राजनीतिक व्यक्तियों या सामाजिक व्यक्तियों के लिए पूर्व जमानत की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इन सारी बातों पर शासन विचार कर रहा है कि किस तरह का प्राविधान लाया जा सकता है ताकि उनको परिधि से बाहर कर दिया जाय।

(प्रश्न संख्या 5 के पुकारे जाने पर।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर अब इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठिए। आप बार-बार खड़े होकर बाधा डालते हैं।

गोण्डा में रेलवे के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा श्री पी० एन० कपूर की गिरफ्तारी

*5—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 23 जुलाई, 1977 को गोण्डा में रेल के वातानुकूलित डिब्बे में श्री पी0 एन0 कपूर नामक यात्री एक युवती के साथ बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए थे और तुरन्त उन्हें रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो छोड़ने का आधार क्या था ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं, श्री पी0एन0 कपूर एक महिला के साथ रेल मन्त्रालय द्वारा निर्गत कार्ड-पास पर दिनांक 23 जुलाई, 1977 को बाराबंकी से गोरखपुर जा रहे थे। निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कार्ड-पास सन्देहात्मक पाए जाने के कारण उक्त दोनों यात्रियों को जी0आर0पी0, गोण्डा के सुपुर्द कर दिया गया जहां अपराध अंकित हुआ। इन दोनों को आरोप-पत्र सहित उसी दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय द्वारा **वे रुपया दो हजार के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिए गए।**

श्री अध्यक्ष—

श्री मैनेजर सिंह जी नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन—

हमारी दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष—

बाद में आएगा।

बलिया जिले में इस्पात कारखाने की योजना की समाप्ति

*6—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में जो छोटा इस्पात कारखाना खोलने की योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो वह कारखाना कब खोला जायेगा?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 ने संयुक्त क्षेत्र में सहयोग द्वारा बलिया में एक स्टील बिलैट अथवा विशेष एलायस्टील इकाई की स्थापना हेतु प्रयत्न किया था परन्तु योजना लाभप्रद न होने के कारण त्याग देनी पड़ी।

इस समय ऐसा कोई कारखाना खोलने का विचार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो प्रयत्न किया गया है उसमें बलिया जनपद की रसड़ा तहसील में 100 एकड़ जमीन किसानों की अध्यापित की गई है और क्या वह योजना लाभप्रद होने वाली है या नहीं यह देख कर योजना बनाई गई या नहीं?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, प्रारम्भ में यह विचार था कि इस योजना से लाभ होगा, यह लाभप्रद योजना होगी इसलिए यह निर्णय किया गया था कि वहां पर कारखाना स्थापित किया जाय परन्तु जब तक यह निर्णय व्यावहारिक रूप में परिणत हुआ और मुजफ्फरनगर की एक फर्म के साथ ज्वाइन्ट सेक्टर में इस उद्योग को लगाने का विचार हुआ उस समय तक प्रदेश में बिजली का संकट बढ़ चुका था और बिजली के अभाव में उस समय इस योजना को स्थगित करना पड़ा और अब कुछ वर्षों बाद जब बिजली की आपूर्ति सम्भव हुई मारकेट में लोहे का उत्पादन इतना बढ़ चुका था कि सरप्लस हो गया। जो कम्पनी के साथ मिल कर कारखाना लगाने का विचार था उसने कहा कि यह योजना अब लाभप्रद नही है। इसलिए कारखाना न लगाया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने यह पूछा था कि क्या इस प्लान्ट को लगाने के लिए बलिया जनपद की करीब 100 एकड़ जमीन अध्यापित की जा चुकी है?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है; सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

मान्यवर, इसके लिये तो मुझे नियम 4ल9 की सूचना पर आधे घंटे की चर्चा देनी होगी। जमीन एक्वायर हो चुकी है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस इलाके में जो इस प्रकार कारखाना लगाने के लिए निर्णय लिया गया और अब छोड़ दिया गया है, तो कारखाना लगाने के लिए क्या दृष्टिकोण होता है, उस क्षेत्र का पिछड़ापन या लाभ ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, कोई भी कारखाना लगाया जाता हैं तो उनके पीछे यह भी देखना पड़ेगा कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं। और अगर एक कारखाना नहीं लगाया गया तो दूसरे कारखाने के बारे में विचार हो सकता है। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक योजनायें हो सकती हैं जो लाभप्रद हों ताकि पिछड़ापन दूर हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बंधित यह बात सही है कि उनकी जानकारी में नही है कि कितने काश्तकारों की जमीन ली गई। लेकिन किसी न किसी की जमीन ली ही गई होगी जैसा कि माननीय सदस्य ने सूचना दी कि काश्तकारों की जमीन ली गई। क्योंकि अब कारखाना चलाने की योजना सरकार के पास नहीं हैं इसलिए सरकार वह जमीन जिन काश्तकारों से ली गई, उन्हें वापस कर देगी ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, मैंने बताया कि इसकी सूचना नहीं है। जहां तक मेरे पास जो जानकारी है, उसमें जमीन अधिग्रहण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु यदि जमीन ली गई होगी, तो निश्चित है कि वह वापस कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

जब निर्णय हो गया कि उद्योग लाभप्रद न होने के कारण वहां नहीं लगेगा, तो जो जमीन उस हेतु ली गई, वह वापस करेंगे, यह उनका सुझाव है।

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, मैंने यही कहा है। यह उल्लेख नहीं है कि जमीन ली गई है, लेकिन ली गई होगी तो निश्चित रूप से उस जमीन को वापस कर दिया जाएगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

मन्त्री जी ने उद्योग न खुलने के बारे में एक छोटा सा कारण बिजली की कमी होना भी बताया है, लेकिन जैसा वक्तव्यों से मालूम पड़ता है कि अगले साल तक यहां बिजली की हालत सुधर जायगी, तो क्या अगले साल, यहां यह कारखाना लग सकता है ? और यदि यह जमीन ले ली गई है तो क्या दूसरा कोई कारखाना, यह सरकार लगाएगी, क्योंकि बलिया जनपद बहुत पिछड़ा इलाका है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता है। वह इसका उत्तर दे चुके हैं। दूसरा कारखाना लग सकता है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन एक्वायर की गई अर्थात् जो किसानों के कब्जे से जमीन निकाली गई और जिसका कम्पेन्सेशन भी दे दिया गया था, इससे उनकी जो हानि हुई है, उसके एवज में सरकार उनकी हानि वापस करने पर विचार करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, यह जमीन अधिग्रहण कर ली गई है, तो मुआवजा भी दे दिया गया होगा इसलिए हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सचिवालय के टंककों एवं डेलीवेजेज के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*8—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत टंककों तथा डेलीवेजेज में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि उन्हें स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

श्री राम नरेश यादव—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

हमने माना तगाफुल न करोगे तुम,

लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक।

यह मामला इसी उत्तर प्रदेश के कौंसिल हाउस का है और तमाम मालूमात एक घंटे में बैठे-बैठे हो सकते हैं, चूंकि इसका दफ्तर यहीं है, फिर भी अभी सरकार को सूचना नहीं हो पाई है। ऐसे हजारों लोग हैं, जिनको नहीं मालूम कि किस वक्त उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ सकती है, किसी वक्त उनको हटाया जा सकता है। इसलिए कृपा करके यदि आप ऐसा करें, तो यह बात उनके लिए बेहतर होगी।

श्री अध्यक्ष—

14 दिन के बाद नियम के मुताबिक यह सवाल फिर आएगा इस पर चूंकि मन्त्री जी ने कहा . . .

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

उन लोगों की तादाद कितनी है, जो काम कर रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

यह 14 दिन के बाद प्रश्न फिर आएगा, इसलिए उचित होगा कि हम सप्ली-मेन्टरी भी कर लें, जिससे कि वह इन प्रश्नों के बारे में भी सूचना एकत्र कर लें।

श्री अध्यक्ष—

जब यह 14 दिन बाद प्रश्न आएगा तो आप अनुपूरक प्रश्न कर सकेंगे। अब इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

अपराधग्रस्त कतिपय जनपदों में अपराध के मूल कारणों का अध्ययन और लिए गए निर्णय का कार्यान्वयन

*9—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराधों से अत्यधिक प्रभावित जिले जैसे बदायूं, शाहजहांपुर आदि में अपराध स्थिति को समझाने तथा अपराधों को घटाने के लिए संस्तुति करने हेतु किसी आयोग का इस वर्ष गठन किया गया है? यदि हां, तो उस आयोग ने क्या संस्तुति की एवं उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो चुकी है?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। यह अध्ययन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कराया गया। संस्तुतियां तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति संलग्न तालिका † में अंकित है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो संस्तुतियों की तालिका है इसमें एक संस्तुति उद्योग विभाग से सम्बन्धित है कि उन क्षेत्रों में जहां पर अपराध अधिक होते हैं, बदायूं जनपद के राजपुर, जरोपनगर, सहसवान व हजरतपुर में उद्योग विभाग द्वारा उद्योग धन्धे स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन कर रहा है।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह इसमें दिया गया है—"जहां पर कोल्ड स्टोरेज व दो तीन जनरल इजीनियरिंग वर्कशाप हैं तथा लगभग 20-25 खांडसारी शक्कर बनाने की इकाइयां हैं। शेष स्थानों पर उद्योग लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं" शासन के विचाराधीन है कि कहां-कहां क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। यह उद्योग विभाग के लिए जो आया है, वहां पर जो जरायम हो जाते हैं इसलिए पुलिस सारे मामलों में सजग रहे, इस सन्दर्भ में और जो सामाजिक और आर्थिक सवाल पैदा होते हैं, सारी चीजें जो उस संस्तुति में दी हैं, उसके आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, चूंकि रिपोर्ट सामने नहीं है क्या बतायेंगे कि मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं और उन पर क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—

यह लिस्ट बड़ी लम्बी है। आप मेरे कक्ष में देख लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह रिपोर्ट बदायूं, शाहजहांपूर आदि जो प्रदेश के सात जिले हैं, जहां पर ज्यादा अपराध होते हैं, उनके सम्बन्ध में थी। पिछले

---

† तालिका छापी नहीं गयी।

शासन ने उन सात जिलों के अपराधों को रोकने के हेतु उसको स्वीकार कर लिया था, तो वर्तमान शासन की नीति उन संस्तुतियों के बारे में क्या है जिन को पिछले शासन ने स्वीकार कर लिया था ?

श्री राम नरेश यादव—

वह जो संस्तुतियां हैं शासन के हित में की गयीं थीं, उन पर कार्यान्वयन करने पर प्रयास हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री किसी भी रेकमेन्डेशन को जिस पर कुछ कार्यवाही हुई, उसको सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह जो एक रेकमेन्डेशन थी कि प्रत्येक थाने पर वायरलेस लगाया जाय और उसके साथ रेलवे पुलिस थानों के लिए और सर्किल आफिसर जो हैं उनके लिए वायरलेस सेट दिए जायं, हमने बजट में प्राविधान भी किया है, प्रत्येक थाने पर टेलीफोन की व्यवस्था की जाय, इस पर भी व्यवस्था अलग-अलग करने जा रहे हैं । पुलिस वाहनों की मरम्मत के लिए शीघ्र प्रबन्ध किया जाय, शासन इस पर विचार कर रहा है। वाहन रहेंगे तो मरम्मत की व्यवस्था होगी ही। ये सारी जो रेकमेंडेशन्स हैं, जैसी-जैसी आवश्यकता समझी जा रही है, उसके आधार पर उसका पालन किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि पिछले शासन ने इन संस्तुतियों को स्वीकार करने के साथ-साथ जो दो-तीन बातें मुख्य रिपोर्ट में, नम्बर 1 कि उन इलाकों में सात जिलों में सड़कें नहीं हैं, अलग-अलग सड़कों के लिए स्वीकार किया गया था, नम्बर दो—वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं थी, प्राथमिकता दे कर उन क्षेत्रों में अपनायी जायगी, तीसरे—रीवर बोट पुलिस स्थापित की जायगी, गंगा, रामगंगा और सहायक नदियों में रात को सर्च लाइट के जरिए सारी पैट्रोलिंग करेंगे और जो प्राइमरी स्कूल हैं, एन्टी क्राइम अभियान चलाया जाएगा, तो क्या उसे रोका गया है या चालू है ?

श्री राम नरेश यादव—

जो संस्तुतियां हैं और वह कल्याण के लिए हैं, तो उनको पूरा करने के लिए सरकार कदम उठाएगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अपराध प्रभावित जनपदों में प्रयाग के जस्टिस गन्गेश्वर ने जो अपनी संस्तुतियां की हैं, उनको लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपने पूरे प्रदेश के लिए किया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जस्टिस गन्गेश्वर ने कुछ संस्तुतियां की हैं, क्या उनको कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री पुरुषो त्तम कौशिक—

क्या आप जस्टिस गन्गेश्वर की संस्तुतियों को भी पूरा करे रहे हैं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री सत्य पाल सिंह यादव—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों का लाइसेन्स लेते थे, उन लाइसेन्सों को क्या श्री जैन की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

जहां तक अवैध लाइसेन्स का सवाल है, अगर लाइसेन्स कैन्सिल होने की बात होगी, तो हो जायेंगे।

श्री सत्य पाल सिंह यादव—

जो लोग नए लाइसेन्स लेना चाहते हैं लेकिन उनको लाइसेन्स नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव—

शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अपराध ग्रस्त क्षेत्रों को लिंक सड़कों से जोड़ा जाएगा और दूसरे ....

श्री अध्यक्ष—

बहुत सी संस्तुतियां आपके पास हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अपराधग्रस्त क्षेत्रों में थानों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास जो उत्तर है उसमें पूरा उत्तर दिया गया है। उसमें बतलाया गया है कि 3 साल में कार्यान्वित करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश में अपराध की अधिक संख्या इन 7 जिलों के ऊपर निर्भर है तो क्या जौहरी मल जैन की रिपोर्ट के आधार पर किसी विशेष सेल का गठन करेंगे, जो इन 7 जिलों को प्राथमिकता देकर एक समयबद्ध कार्यक्रम देकर लागू करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, आपका जो सुझाव है, उस पर शासन विचार करेगा।

श्री राजेश्वर प्रसाद, निवासी मोहल्ला बरौनी, जिला हरदोई के घर डकैती

*10—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के कस्बा संडीला के मोहल्ला बरौनी के श्री राजेश्वर प्रसाद के यहां दिनांक 24 अप्रैल, 1977 की रात में डकैतों द्वारा हजारों रुपए का सामान लूट कर औरतों के साथ दुव्यर्वहार किया गया तथा कई लोग घायल भी हुए, जिसकी रिपोर्ट थाना संडीला में दिनांक 25 अप्रैल, 1977 को लिखवाई गई? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? क्या इस घटना से सम्बन्धित कोई बदमाश पकड़ा गया?

श्री राम नरेश यादव—

श्री राजेश्वर प्रसाद, निवासी मोहल्ला बरौनी, कस्बा व थाना संडीला, जिला हरदोई ने दिनांक 25 अप्रैल, 1977 को थाने पर आकर सूचना दी कि 24/25 अप्रैल, 1977 की रात्रि में चार अज्ञात सशस्त्र बदमाशों ने उनके घर में आकर लूटपाट की और जबरदस्ती डरा धमका कर स्त्रियों के जेवर आदि उतरवा लिए और हल्ला होने पर हवाई फायर करते हुए भाग गए। इस सूचना पर थाना संडीला पर एक मुकदमा धारा 392 भारतीय दन्ड विधान का दर्ज किया गया और विवेचना सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई। विवेचना से किसी भी अभियुक्त का पता नहीं लग सका अत : अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त हो गई।

प्राप्त सूचना के अनुसार लूट के दौरान बदमाशों ने औरतों के साथ न तो कोई अभद्र व्यवहार किया व मार-पीट की और न ही किसी को किसी प्रकार की चोट आई।

श्री अठई राम—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो धन लूटा गया है, वह कितने का है और पुलिस में रिपोर्ट क्या है? यह मामला बड़ा गम्भीर है। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जिन सामानों को दिया गया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि 500 रुपया नगद और कुछ औरतों के जेवरात लूटे हुए बताए जाते हैं।

*11—श्री गुलाब सेहरा—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बांदा जिले के ग्राम गदाखान निवासी श्री खुल्ली की थानेदार मानिकपुर द्वारा पिटाई से मृत्यु

*12—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के थाना मानिकपुर के अन्तर्गत गांव गदाखान मजरा चन्दरा के निवासी चुन्ना पुत्र कामता चमार (हरिजन) ने दिनांक 24 मई, 1975 को आई0 जी0 पुलिस के पास प्रार्थना-पत्र भेज कर शिकायत की है कि

मानिकपुर थाने के दरोगा श्री चतुर्वेदी ने उसके भाई, खुल्ली या खुलिया की निर्मम पिटाई की जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

चुन्ना पुत्र कामता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24 मई, 1977 पुलिस उपमहानिरीक्षक विशेष जांच को प्राप्त हुआ। दिनांक 26 मई, 1977 को उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच ने पुलिस अधीक्षक, बांदा से टेलीफोन पर बात की और रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया। पुलिस अधीक्षक बांदा की रिपोर्ट दिनांक 25 मई, 1977 पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष जांच को 28 मई, 1977 को प्राप्त हुई। जिसमें सूचित किया गया कि थानाध्यक्ष तथा दो कान्स्टेबिलों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया है और जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया गया है कि घटना के सम्बन्ध में वे मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दें। मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट हो गई है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष तथा दो कांस्टेबिलों को निलम्बित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दे दिए गए हैं। मृतक के परिवार को 5,000 रुपए की सहायता स्वीकृत कर दी गई है।

श्री राम सजीवन—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन की हत्या करने वाले थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया, तो क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी कायम किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनको गिरफ्तार भी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी के बाद जब यह बात सामने आयी कि सम्बन्धित पुलिस लोग जिनका नाम है, वह कुछ आरोप से सम्बन्धित हैं, तो यह मामला सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द कर दिया गया है, वह इसकी जांच कर रही है, जांच के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश स्तर पर फारेस्टरों की जेष्ठता सूची बनाए जाने की मांग

*13—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में फारेस्टरों की नियुक्ति के लिए समान शिक्षा स्तर एवं ट्रेनिंग का समान पाठ्य क्रम होते हुए भी उनकी ज्येष्ठता सूची का आधार वृत्त वार रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन का इनकी ज्येष्ठता सूची नियुक्ति तिथि से पूरे प्रदेश में बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

जी हां। फारेस्टरों की नियुक्ति अरण्यपालों द्वारा की जाती है अतएव वे ही फारेस्टरों की ज्येष्ठता सूची तैयार करते हैं।

शासन का फारेस्टरों की संवर्ग की ज्येष्ठता सूची नियुक्ति की तिथि से पूरे प्रदेश में बनाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि सेवा नियमों में ऐसा प्राविधान नहीं है।

मिर्जापुर जिले के रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रसाद कनौजिया की कथित हत्या

*14—श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चोपन, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत श्री विश्वनाथ कनौजिया, जो रिपब्लिकन पार्टी, मिर्जापुर के अध्यक्ष थे, को कुछ व्यक्तियों द्वारा जान से मार दिया गया और लाश भी गायब कर दी गई ? इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 17 जून, 1977 को थाना चोपन में की गई ? परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सम्पत्तिया, पत्नी स्वर्गीय श्री सीता हरिजन, निवासिनी ग्राम महुआंव, थाना चोपन, जनपद मिर्जापुर ने दिनांक 17 जून, 1977 को उक्त थाने पर इस आशय की एक लिखित सूचना दी कि दिनांक 29 मार्च, 1977 की सायंकाल से प्रार्थिनी का लड़का, नेता श्री विश्वनाथ प्रसाद कनौजिया लापता है।

उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 17 जून, 1977 को ही जनपद मिर्जापुर के थाना चोपन पर अपराध धारा 364 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत करके विवेचना आरम्भ की गयी । अभी तक की विवेचना से न तो किसी अभियुक्त का कोई पता ही चला और न तो श्री विश्वनाथ प्रसाद कनौजया, अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी, मिर्जापुर के हत्या की ही पुष्टि हो सकी है। अपराध विवेचनाधीन है।

श्री अशफाक अहमद—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाश मिली या नहीं ? कितने मुल्जिम पकड़े गए और किनकी नामजद रिपोर्ट है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हुई उसमें किसी अभियुक्त का नाम नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है और जो रिपोर्ट हुई वह दिनांक 17 जून, 1977 को साढ़े बारह बजे हुई और यह कहा गया उस रिपोर्ट में कि चैत मास में यह घर से गया हुआ था और वहां से लौट कर वापस नहीं आया। पता लगाते रहे लेकिन जब पता नहीं चला तो उसके पश्चात् उन्होंने हुलिया देते हुए इसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस रिपोर्ट में किसी रंजिश या मोटिव को लिखाया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को भली भांति पढ़ने और समझने से यह आभास नहीं होता है कि किसी भी प्रकार की कोई रंजिश थी जिसके कारण यह कहा जा सके कि रंजिश के कारण यह घटना हुई।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई सी० आई० डी० की जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछ लिया है तो मैं यह बता दूं कि मैं ने स्वयं ही इस घटना की सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिए हैं।

फर्रूखाबाद जिले के ग्राम पतोंजा के हरिजन की हत्या

*15—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के चौकी जहानगंज ग्राम पतोंजा में 29 जून, 1977 को एक हरिजन को घर से पकड़ कर हत्या कर दी गई जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना कमालगंज में 30 जून, 1977 को दर्ज की गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना से सम्बन्धित एक मुकदमा इस मामले में दिनांक 2 जुलाई, 1977 को थाना कमालगंज में दर्ज किया गया था। दिनांक 30 जुलाई, 1977 को इस मामले में न्यायालय में दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र भेज दिये गये।

मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ? अतः इस सम्बन्ध में और कुछ कहना उचित न होगा।

श्री झामलाल अहेरवार—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजे गए, उनके नाम क्या हैं और वे पुलिस द्वारा गिरफ्तर किए गए या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री झामलाल अहेरवार—

मान्यवर, इन दो अभियुक्तों के नाम क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

एक का नाम श्री लड्डन और दूसरे का नाम रहमत है। दिनांक 19 जून, 1977 को ये लोग भी पकड़ लिए गए थे।

सचिवालय के अनुसचिवों के साक्षात्कार की कार्यवाही का रद्द किया जाना

*16—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 व 29 मई, 1976 को सचिवालय में अनुसचिव के पदों के स्थायीकरण हेतु 87 अभ्यर्थियों का चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश तथा आयुक्त एवं सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा कोई

साक्षात्कार किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। कथित तिथियों को अनुसचिव के पदों पर नियमित चयन हेतु 82 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उल्लिखित प्राधिकारियों सहित गठित चयन-समिति द्वारा किया गया था, किन्तु नवम्बर, 1976 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के मतानुसार चूंकि चयन में निहित प्रक्रिया का पूर्णरूपेण पालन नहीं किया जा सका था, उक्त चयन सम्बन्धी कार्यवाही निष्क्रिय कर दी गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि न्याय के हित में उक्त पदों हेतु चयन नियमानुसार पुन : आयोजित किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, आपात्कालीन स्थिति में जो अत्याचार हुए उनकी यह एक मिसाल है। मई, 1976 में जो साक्षात्कार हुआ था, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी एवं आयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन थे। 6 महीने बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनियमितताओं के आधार पर इसको रद्द कर दिया। जिस साक्षात्कार में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हों, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हों और सचिवालय प्रशासन के आयुक्त एवं सचिव हों, उन्होंने जानबूझ कर अनियमितता की हो और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? और अगला साक्षात्कार कब होगा ?

श्री राम नरेश यादव—

लोक सेवा आयोग से एक पत्र नवम्बर, 1976 में शासन को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जो चयन सूची तैयार की गई है, वह नियमानुकूल नहीं है। इसलिए इस मामले में शासन द्वारा पुन: . विचार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न केवल यह है कि उस साक्षात्कार कमेटी में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मुख्य सचिव आदि थे तो 6 माह बाद यह क्यों कहा गया कि इसमें अनियमिततायें हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

यह बात स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग के यहां से एक पत्र आया, जिस पर शासन ने विचार करने के बाद ऐसा किया।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मेरी सूचना है कि उसमें हरिजनों के 3 आदमी वरिष्ठता में आते थे। वे हरिजन न आ जायं, इसलिए जानबूझकर यह साक्षात्कार कैन्सिल किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर 3 हरिजन व्यक्ति आते थे, इसलिए इस रिपोर्ट को शेल्व कर दिया गया, तो क्या आप इसकी कोई जांच करायेंगे कि क्या यह सही है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस सम्बन्ध में मैं जांच करा लूंगा कि स्थिति क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि जिस साक्षात्कार समिति में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे और सचिवालय प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव थे, इन 3 लोगों के खिलाफ, जिन्होंने प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो फिर आपने दुहरा दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले ही कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिपोर्ट आई है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

जांच होने दीजिए।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

वे अनियमितायें क्या थीं जिनके आधार पर वह कैन्सिल हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

अब जो पत्र आया था उसमें केवल इस बात का ही उल्लेख था कि नियमानुसार नहीं है, इसलिए शासन को इस पर पुनर्विचार करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि वर्तमान शासन की नीति इन साक्षात्कारों के बारे में अब क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, शासन की नीति वही होगी जो विधि के अन्तर्गत है।

बदायूं जिले में फौजदारी के लम्बित मुकदमें

*17—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में फौजदारी के कितने मुकदमें 1 अगस्त, 1977 तक विचाराधीन पड़े थे एवं कितने समय से पड़े थे? क्या इनके शीघ्र निपटारा हेतु न्यायालय बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

1 अगस्त, 1977 को बदायूं जिले में विभिन्न अवधि से लम्बित फौजदारी के मुकदमों के आंकड़े संलग्न है। विभिन्न जिलों में लम्बित कार्यभार के अनुसार न्यायालयों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि उच्च न्यायालय स्वयं न्यायालयों के स्थानान्तरण द्वारा करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही शासन नए पदों का सृजन करता है। बदायूं जिले में इस समय रिक्त पड़े हुए एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुछ रिक्त प मैजिस्ट्रेट न्यायालयों में अधिकारी नियुक्त करने के लिए जिला जज द्वारा उच्च न्यायालय को लिखा जा चुका है। शासन के स्तर पर अभी नए न्यायालय के सृजन की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1023 पर।)

सुल्तानपुर जिले में श्री संजय गांधी पर चलाई गई गोली से सम्बन्धित जांच

*18—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी पर 14 जून, 1977 को जान से मारने के लिए गोली चलाई गई ? क्या इस सम्बन्ध में श्री संजय गांधी ने 14 जून, 1977 को अमेठी स्थित थाना गौरीगंज में कोई रपट दर्ज कराई थी ? अगर हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

वास्तव में घटना 14 मार्च, 1977 की है। उस दिन रात्रि में 10 बजकर 45 मिनट पर थाना गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में श्री गुलजारी लाल कालरा, प्रधान, कांग्रेस चुनाव कार्यालय, गौरीगंज ने श्री संजय गांधी की जीप पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाए जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। इस घटना के सम्बन्ध में अभी अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी मन्त्रि मण्डल के विरुद्ध तत्कालीन विरोधी दल के नेता, चौधरी चरण सिंह का आरोप-पत्र

*19—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वगामी मन्त्रि मन्डल (श्री नारायण दत्त तिवारी मन्त्रिमन्डल) के विरुद्ध माह अप्रैल, 1977 में केन्द्रीय गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) को तत्कालीन विरोधी दल के विधायकों द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप-पत्र के विषय पर क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रपट मांगी है ? यदि हां, तो मुख्यत: किन-किन बातों के बारे में जानकारी चाही गई है और केन्द्रीय सरकार को क्या रपट भेजी गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा आरोप-पत्र के विषय में सूचना मांगी गयी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई सूचना एवं भेजे गये विवरण का अभी प्रकट किया जाना जनहित में न होगा।

मुरादाबाद जिले के ग्राम भुडा पाण्डे में कताई मिल हेतु अधिगृहीत भूमि

*20—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि तहसील मुरादाबाद में ग्राम भुडा पान्डे में 60 एकड़ जमीन स्पिनिंग (सूत कताई) मिल के लिए ली गई थी किन्तु वहां पर उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उस जगह कोई अन्य उद्योग लगाने का प्रश्न सरकार के विचाधीन है ?

श्री राम प्रकाश—

इस स्थान पर एक कताई मिल स्थापित करने के लिए लगभग 28.00 एकड़ के एक चक का राज्य वस्त्र निगम के नाम नामान्तरण किया गया था परन्तु बाद में वहां मिल न लगाने का निर्णय होने पर उसका उपयोग नहीं किया गया। फिलहाल वहां कोई अन्य उद्योग लगाने का प्रश्न भी विचाराधीन नहीं है।

कानपुर जिले के थाना ककवन की पुलिस द्वारा सात व्यक्तियों की हत्या

*21—श्री झामलाल अहेरवार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) थाना ककवन की पुलिस द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1977 को 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कानपुर के थाना क्षेत्र ककवन में दिनांक 20/21 फरवरी, 1977 की रात में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सात व्यक्तियों का मारा जाना बताया गया है। तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई है।

कारागार विभाग के सेवा निवृत राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन

*22—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कारागार विभाग में कई ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जिनको सेवा निवृत्त हुए तीन वर्षों से अधिक हो चुके हैं परन्तु उनके वेतन तथा पेन्शन आदि के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के मामले अभी तक अनिस्तारित पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुख्य सचिव शाखा के राजपत्रित अधिकारियों का एक्सटेंशन तथा रिएम्प्लायमेंट

*23—श्री रियासत हुसैन तथा श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को 58 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद एक्सटेन्शन या रिएम्प्लायमेन्ट दिया गया ? यदि हां, तो वह कौन अधिकारी हैं और एक्सटेन्शन या रिएम्प्लायमेन्ट देने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मुख्य सचिव, शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित तीन राजपत्रित अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एक्सटेन्शन/रिएम्प्लायमेन्ट दिया गया था :—

(1) श्री ज्ञानेन्द्र मोहन सिन्हा, संयुक्त सचिव, प्रोटोकाल विभाग ;

इन्हें दिनांक 1 फरवरी से एक वर्ष के लिए एक्सटेन्शन स्वीकृत किया गया था परन्तु दिनांक 26 अगस्त, 1977 से उनको सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

(2) श्री रतन बिहारी लाल, मुख्य सचिव के अनु सचिव ;

इन्हें दिनांक 1 अगस्त, 1977 से एक वर्ष के लिए एक्सटेन्शन स्वीकृत किया गया था जिसे श्री राज्यपाल ने दिनांक 10 जून, 1977 को पुनर्नियुक्ति में बदलने का आदेश दिया जो शासन के समक्ष विचाराधीन है।

(3) श्री जौहरी मल जैन, आई0 पी0 एस0, विशेष कार्याधिकारी, गृह, दिनांक 1 जलाई, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवावृद्धि।

दिनांक 1 मार्च, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक पुनर्नियुक्ति।

सेवा में उक्त एक्सटेन्शन/रिएम्प्लयामेन्ट अधिकारियों की योग्यता को देखते हुए स्वीकार किए गए थे।

*24—श्री वीरेन्द्र पति यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*25—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित।]

*26—श्री कृष्ण स्वरूप—

[4थे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहायक अभियोजन ए0पी0ओ0 अधिकारियों की प्रोन्नति

*27—श्री ईशदत्त (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1972 से 1977 तक कितने सहायक अभियोजन अधिकारी (ए0पी0ओ0) को एडहाक प्रोमोशन देकर अभियोजन अधिकारी (पी0ओ0) बनाया गया है? इसका क्या मापदन्ड रहा है और इस प्रकार पदोन्नति प्राप्त लोगों की संख्या कितनी है?

श्री राम नरेश यादव—

1972 से 1977 तक कुल 26 सहायक अभियोजन अधिकारियों का एडहाक प्रमोशन (तदर्थ प्रोन्नति) देकर अभियोजन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियोजन अधिकारियों के पदों पर आवश्यकतानुसार पुलिस मुख्यालय ने समय-समय पर उक्त वर्षों में होने वाली रिक्तियों पर ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर सहायक अभियोजन अधिकारियों के संवर्ग से कार्य-संचालन के हित में पदोन्नति देकर तैनातियां की हैं।

श्री कुल भूषण बख्शी, निदेशक, खादी एवं ग्राम उद्यो। बोर्ड को गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ में क्वार्टर का आवंटन

*28—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ स्थित सरकारी मकान/क्वार्टर उन व्यक्तियों को आवन्टित करने की सरकार की सामान्य नीति नहीं है (अथवा नियम नहीं है) जो कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नहीं हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधिकारी होने के नाते अपने विभाग से मकान/क्वार्टर का आबंटन अनुमन्य है? यदि हां, तो निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग (श्री कुलभूषण बख्शी), कैसर बाग, लखनऊ को उक्त कालोनी में क्वार्टर संख्या 56 आवंटित करने का आधार क्या है?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप भारत सरकार के अधिकारियों, अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों तथा पत्रकारों आदि को सरकारी आवास आवंटित किए जाते रहे हैं। निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन (श्री कुलभूषण बख्शी) को जून, 1976 में गुलिस्तां कालोनी में फ्लैट नं0 56 खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के महत्व एवं खादी कमीशन से राज्य को मिल रही सहायता को ध्यान में रखकर किया गया था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गुलिस्तां कालोनी में आवंटित मकान

*29—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार उन अधिकारियों की सूची उनके तैनाती के विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी जिन्हें गुलिस्तां कालोनी में मकान आवंटित हैं और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तथा जिन्हें अपने विभाग से भवन का आवंटन अनुमन्य है ?

श्री राम नरेश यादव—

गुलिस्तां कालोनी में केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को आवास आवंटित किए गए हैं :—

नाम	फ्लैट नं0	आवंटन की तिथि
1	2	3
1—श्री आर0 एस0 रावत, संवाददाता, आकाशवाणी, लखनऊ केन्द्र, लखनऊ ।	47	3-11-73
2—श्री एच0 एन0 अरोड़ा, चीफ परसनल आफिसर, स्कूटर इंडिया, लखनऊ।	67	25-6-74
3—श्री कुलभूषण बख्शी, निदेशक, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, लखनऊ।	56	18-6-76
4—श्री यू0 सी0 राय, संवाददाता, आकाशवाणी, लखनऊ केन्द्र, लखनऊ।	60	16-8-77

अतारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में कत्ल व डकैती

1—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में पिछले 3 माह में कत्ल व डकैतियों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, कुछ वृद्धि हुई है। अपराधों की रोकथाम के लिए शासन ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक व जिले के अधिकारियों को इस ओर सजग कर दिया गया है और कड़ी एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए निदेश दे दिए गए हैं ?

हरदोई जिले के ग्राम सुहागपुर के श्री छोटे सिंह की हत्या

2—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि दिनांक 5 जुलाई, 1977 को शाहाबाद, जिला हरदोई में श्री छोटे सिंह, प्रधान का दिन दहाड़े कत्ल हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री श्रीराम लडैते पुत्र श्री राम यादव, निवासी ग्रान सुहागपुर, मजरा जोथूपुर, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई ने दिनांक 5 जुलाई, 1977 को थाने पर चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अपने चाचा छोटे सिंह की शाम साढ़े 5-6 बजे के बीच हत्या कर दिए जाने और उनका सिर कांता से काटकर उठा ले जाने की सूचना दी जिसके आधार पर थाना शाहाबाद पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 का कायम किया गया और विवेचना सब इन्सपेक्टर द्वारा की गयी।

चारों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु दिनांक 12 जुलाई, 1977 को कुर्की की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप दो अभियुक्तों ने दिनांक 15 जुलाई, 1977 को व एक अभियुक्त ने दिनांक 2 अगस्त, 1977 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। एक अभियुक्त श्रीकृष्ण दिनांक 9 अगस्त 1977 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने विवेचना पूरी करने के आदेश दे दिए हैं ?

बदायूं जिले में पुलिस थाना व चौकियों की संख्या बढ़ाने की मांग

3—श्री कृष्ण स्वरुप—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जिले के बढ़ते हुए अपराधों को देखकर सरकार वहां पुलिस थाने, पुलिस चौकी एवं पुलिस फोर्स बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह बढ़ोत्तरी कब तक और कितनी होगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जनपद बदायूं में पुलिस थाना/पुलिस चौकियों की बृद्धि का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

1971 की जनसंख्या तथा 1971–73 के अपराध आंकड़ों के आधार पर बदायूं जनपद के थानों/चौकियों के लिए 64 सब-इंसपेक्टर, 12 हेड कांसटेबिल तथा 172 कान्सटेबिल के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता आंकी गई थी। इसमें से अब तक शासन द्वारा दो चरणों में 25 सब-इन्सपेक्टर, 4 हेड कान्सटेबिल तथा 143 कान्सटेबिल के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। अवशेष 39 सबइन्सपेक्टर, 8 हेड कान्सटेबिल तथा 29 कान्सटेबिल के पद प्रदेश की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में यथासमय स्वीकृत किए जायेंगे।

4—श्री श्याम देव—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद जिले में आवंटित औद्योगिक ऋण

5—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में 1974–75 तथा 1976 में किन किन व्यक्तियों को एक लाख से अधिक रुपए का औद्योगिक लोन दिया गया था और उनमें से किस-किस ने निर्धारित समय में किश्त की अदायगी की हैं ?

श्री राम प्रकाश—]

1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जिला मुरादाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को एक लाख से अधिक रुपए का औद्योगिक ऋण दिया गया था।

1974–75

1—मेसर्स के0 सी0 ऐग्रीकल्चर इन्डस्ट्रियल मिल्स, स्टेशन रोड, मुरादाबाद।

2—मेसर्स गुप्ता शुगर वर्क्स, स्टेशन रोड, मुरादाबाद।

3—मेसर्स चाचा साइकिल वर्क्स, मान्टेसरी स्कूल रोड, मुरादाबाद।

4—मेसर्स दलपतपुर बोर्ड, मुरादाबाद।

1975–76

1—मेसर्स बाकी शुगर वर्क्स, मुरादाबाद।

2—मेसर्स ए0 पी0 लेबोरेटरीज, मुरादाबाद।

3—मेसर्स स्वदेशी केमिकल्स, मुरादाबाद।

1976–77

मेसर्स एलाइड इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज, मुरादाबाद।

उपरोक्त पार्टियों में से किसी पर किस्त देय नहीं हुई अतः किस्त की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले में उद्योगों के स्थापना की मांग

6—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में औद्योगिक दृष्टि से घोषित पिछड़ा हुआ जिला होने के कारण कौन-कौन से उद्योगों की स्थापना करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राम प्रकाश—

मुरादाबाद में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला होने के कारण अभी कोई उद्योग स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

पी०ए०सी० काण्ड से सम्बन्धित सेवामुक्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की मांग

7—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973 में पी० ए० सी० कान्ड में कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से कितनों पर मुकदमा चला, कितने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पी० ए० सी० कान्ड से सम्बद्ध निकाले गए कर्मचारियों को पूर्व सेवा में वापस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम नरेश यादव—

वांछित सूचना दिया जाना जनहित में नहीं है।

जिला कारागार, बस्ती से श्री शामउल्ला कैदी के भाग जाने की घटना की जांच

8—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 सितम्बर, 1976 को जिला कारागार, बस्ती से कोई कैदी जेल से दीवार कूद कर भाग गया ? यदि हां, तो उक्त घटना की जांच जिलाधिकारी, बस्ती ने किस तारीख को किया ? उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

इस घटना की जांच प्रारम्भिक रूप से कारागार विभाग के अधिकारियों द्वारा करी गयी तथा दिनांक 22 सितम्बर, 1976 को उसकी मजिस्ट्रीरियल जांच श्री बाबू लाल, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती ने करी। श्री बाबू लाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23 नवम्बर, 1976 को जिला अधिकारी को प्रस्तुत करी।

जांच रिपोर्टों से यह सामने आया कि दिनांक 18 सितम्बर, 1976 को विचाराधीन बन्दी शामउल्ला पुत्र मोहम्मद रजा, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1976 को दफा 42/109 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत जेल में दाखिल हुआ था, प्रात : सवा 9 से 10 बजे के बीच एक लम्बी बल्ली की सहायता से दीवाल फांद कर कारागार से भाग गया।

विभागीय जांच तथा मैजिस्ट्रीरियल जांच के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों का इस घटना में उत्तरदायित्व प्रतीत हुआ :—

(1) श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी, जेलर।
(2) श्री हरिओम सक्सेना, उप जेलर।
(3) श्री अखिलेश्वर सिंह, सहायक जेलर।
(4) श्री कल्पनाथ सिंह, प्रधान बन्दी रक्षक।
(5) श्री पारस नाथ सिंह, बन्दी रक्षक।
(6) श्री मधु सूदन पांडे, बन्दी रक्षक।

उक्त सब के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही कारागार विभाग द्वारा आरम्भ की गयी है।

लखनऊ जिले के ग्राम भदरुक निवासी श्री छेदा लाल की हत्या

9—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर) श्रीमती सुनीता चौहान (जिला राय बरेली) तथा श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 35 वर्षीय हरिजन वकील (छेदालाल) की माडल जेल,लखनऊ के पास 24 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार 35 वर्षीय हरिजन वकील श्री छेदालाल पुत्र बरातीदास, प्रधान, ग्राम भदरुक, थाना कृष्णानगर, लखनऊ की पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 24 जुलाई को नहीं वरन् 25 जुलाई, 1977 को माडल जेल, लखनऊ के कृषि फार्म के सामने प्रात : काल गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस सम्बन्ध में आदर्श कारागार, लखनऊ के अधीक्षक द्वारा टेलीफोन से सूचना मिलने पर थाना आलमबाग में दिनांक 25 जुलाई, 1977 को ही धारा 302 भारतीय दन्ड विधान का मुकदमा 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था और उसी दिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है तथा अभियुक्तों के बरामद किए गए देशी पिस्तौल तथा घटनास्थल से बरामद किए गए कारतूसों के सम्बन्ध में बेलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्राप्त होनी है इसके बाद मुकदमें की विवेचना पूरी की जायगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो प्रश्नोत्तरों की सूची है, इसमें तारांकित प्रश्नों को अतारांकित करके सूची में छाप दिया जाता है। कल मेरा प्रश्न अतारांकित कर दिया गया जिसमें करोड़ों रुपए के मामले थे और आज भी इस पी0 ए0 सी0 कांड के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न किया था उसको अतारांकित कर दिया गया। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न न किया जाय और यदि आप समझते हैं कि वह महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ....

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि प्रश्न जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम से एजेन्डे के अन्दर रखे जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक के प्राप्त होने का समय इसमें दिया है। इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह क्रम के अनुसार बाद में आया है और यह भी मेरी कठिनाई आप देखिए कि खुद माननीय पांडेय जी ही अनुपूरक प्रश्न पर ज्यादा अवसर लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक प्रश्न लिए जायं और आप मेरी कठिनाई जानते हैं, कुछ माननीय सदस्यों को नाराजगी भी हो सकती है क्योंकि मैंने ज्यादा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिए। तब भी बहुत से प्रश्न रह गए हैं। तो जब तक नियमों में परिवर्तन न हो, बैलेटिंग हो या अध्यक्ष उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। पर यह तो नियम के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मुझे दुख हुआ कि जिस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा में मुख्य मन्त्री जी से करता था... मैंने यह प्रश्न पूछा था कि अनुसचिवों के पदों पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र कुमार ने प्रश्न प्रस्तुत किया तो लोक सेवा आयोग ने जो किया उसको शासन ने मान लिया कि इसको निरस्त कर दिया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की अनुसचिवों के पदों पर स्थायीकरण की क्या नीति है और उसमें क्या कार्यवाही की, यह तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए...

एक सदस्य—

यह कौनसा तरीका है कि आपने व्यवस्था दे दी और यह बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन, आप बैठिए। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। जब माननीय नेता विरोधी दल ने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछा, तुरन्त ही समय समाप्त हो गया। नियमों के अनुसार जैसे ही 12 बजे उसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने जैसी व्यवस्था दी कि तरतीब से सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न यह है कि कोई भी माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्न नहीं देता। सभी अल्पसूचित या तारांकित में प्रश्न दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्न में सदस्यों को अधिकार है सप्लीमेन्टरी करने का, अतारांकित में नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जो तारांकित या अल्पसूचित, प्रश्न अतारांकित कर दिए जाते हैं जिसमें हमारा वह अधिकार, जो सप्लीमेन्टरी करने का है उससे हम वंचित हो जाते हैं। फिर आयें न आयें वह तो समय के आधार पर और जो तरतीब है उस तरीके से है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न अतारांकित कर दिए जाते हैं जिससे माननीय सदस्य सप्लीमेन्टरी करने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं वह उचित नहीं है। जब तक माननीय सदस्य का सवाल स्वयं ही अतारांकित न हो तब तक उसे अतारांकित में देना उचित नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जानते हैं कि दो प्रश्नों तक कोई भी माननीय सदस्य तारांकित प्रश्न दे सकते हैं। अगर उससे अधिक होते हैं तो वह अतारांकित हो जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

वही चीज तो नहीं हो रही है। हम तो एक ही प्रश्न एक दिन में देते हैं ..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन आप मेरे कक्ष में बात करिए क्योंकि जब तक मैं पत्रावली न देखूं इस पर कोई निर्णय नहीं कर सकता और न इसको यहां उठाना चाहिए। आप कक्ष में आकर मालूम कर लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कल 12 तारीख को मेरा एक ही प्रश्न था। अगर आपकी बात को मैं मान लूं तो दो तारांकित प्रश्न हो सकते हैं और अगर उससे ज्यादा होंगे तो अतारांकित होंगे। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था गन्ना मिलों पर किसानों के बकाये के सम्बन्ध में। मगर उसको अतारांकित कर दिया गया। तो उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका जो प्रश्न था वह आपने तमाम सूबे के आंकड़े मांगे थे।

श्री ऊदल—

उनमें 18 करोड़ का बकाया है। उसमें बहुत ज्यादा सप्लीमेन्टरी हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न देंगे तो उसको देख कर मैं बतलाऊंगा।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्य प्रहर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति, प्रोफेसर के0 एन0 कौल [× × ×] अपनी कार्य प्रणाली तथा प्रशासन द्वारा अनेक गम्भीर त्रुटियां कर संस्था को महान् क्षति पहुंचा चुके हैं। ऐसी बहुत सी निम्नलिखित प्रशासनिक एवं आर्थिक अनियमितताओं के कारण ही समस्त कर्मचारी तथा अधिकारी आन्दोलन के मार्ग पर हैं जिसकी पूर्व सूचना उत्तर प्रदेश शासन, विश्वविद्यालय कुलपति, कानपुर जिलाधिकारी, कानपुर तथा कानपुर पुलिस अधीक्षक को 20 अगस्त, 1977 को दी जा चुकी है।

1—कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कार्यालय में समय से नहीं जमा किया।

2—इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए ऐतिहासिक भवन जो 70 वर्ष पुराना है, उसको तोड़ दिया गया है।

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

3—कर्मचारियों के भय एवं असुरक्षा की भावना को जगा कर काम करने का वातावरण समाप्त कर दिया है।

4—विश्वविद्यालय में संचित पदों की नियुक्तियों में निर्धारित योग्यताओं का उल्लंघन करके अयोग्य, सम्बन्धित व्यक्तियों का चयन किया है।

5—बचत खाते की प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

6—विभिन्न आवास गृहों का आवंटन गलत ढंग से किया गया है।

7—अब तक विश्वविद्यालय ने अपनी कोई सेवा शर्तें तैयार नहीं की हैं जिससे ढाई हजार कर्मचारियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

8—हाई स्कूल पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पांच साल से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उनकी प्रोन्नति राजकीय आदेशानुसार नहीं की गयी है।

9—30,000 रु0 की बेबुनियाद व्यक्तिगत कहानी कि पुस्तकें छपवा कर अपने अधिकारों एवं राजकीय धन का दुरुपयोग किया है।

उपर्युक्त सभी समस्याओं से कुलपति महोदय को समय-समय पर अवगत कराया गया परन्तु उन्होंने हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। तब कर्मचारियों ने दिनांक 20 अगस्त, 1977 को अपना एक मांग-पत्र कुलपति महोदय को दिया जिसकी प्रतिलिपियां माननीय मुख्य मन्त्री जी, कृषि मन्त्री जी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गयीं। परन्तु कुलपति एवं प्रशासन की उपेक्षित नीति से विवश होकर उक्त विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी ....

श्री अध्यक्ष—

आइन्दा इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा, इसमें जो अप्रासांगिक अंग होगा, निकाल दिया जाएगा।]

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। 70 वर्ष पुराने अनुशासन एवं प्रतिष्ठा को छोड़कर दिनांक 6 सितम्बर, 1977से क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया है, आज 7 दिन अनशन के समाप्त होने जा रहे हैं। [× × × ×]

ऐसी सम्भावना है कि कर्मचारियों के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आमरण अनशन एवं पूर्ण ताला बन्दी हड़ताल से विश्वविद्यालय में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय की 2,000 (दो हजार) मुर्गियां, 400 गाय व भैंसों को चारा पानी न मिलने से मौत के मुंह में जाना पड़ सकता है। साथ ही शिक्षण और शोध कार्य बन्द हो जाने से छात्रों के अन्दर भी रोष उत्पन्न हो जाएगा।

माननीय कुलपति महोदय की अमानवीय प्रकृति का एक अन्य ज्वलन्त उदाहरण और है उस विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कल्पुद्दीन जिसका

नोट—[××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]

देहावसान कार्यविधि में हो गया, 36 घंटे तक उसकी लावारिस लाश अन्त्येष्टि के लिए रखी रही, परन्तु कुलपति महोदय को सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी उस अभागे की लाश को देखने नही आए और न हीं अन्त्येष्टि का कोई प्रबन्ध किया। अन्त में विवश होकर कर्मचारियों ने स्वयं चन्दा करके उसकी अन्त्येष्टि की।

जिस विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्राध्यापक एवं छात्र अनुशासन के लिए प्रदेश में अपना एक विस्फोटक स्थान रखते हैं उनको आन्दोलन के पथ पर संघर्षशील देखकर कानपुर के शिक्षा जगत में बहुत ही अप्रत्याशित भयानक घटना घटने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि यदि इस विस्फोटक स्थिति की ओर सरकार ने अपना ध्यान [× × ×] और संघर्षरत कर्मचारियों को उचित आश्वासन न दिया तो पूरे कानपुर की विस्फोटक स्थिति सरकार के हाथ से निकल सकती है।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। इसमें जो अप्रासांगिक अंग हैं और जो आक्षेप है, वह कार्यवाही से निकाल दिए जायेंगे। आइन्दा जो संक्षेप वक्तव्य होगा उसी पर कार्यवाही होगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह आपकी आज्ञा से दिया है।

मथुरा तथा पन्त नगर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों पर कथित लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कल दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को मथुरा तथा पन्तनगर पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्रों ने कुछ मांगों को लेकर शाम 5 बजे विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 200 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी से जनमानस में असन्तोष व्याप्त है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी मांगों के ऊपर विचार किया जाय।

गोण्डा पालीटेक्निक के प्राचार्य की अनियमितताओं के विरुद्ध छात्रों द्वारा आमरण अनशन एवं उनकी गिरफ्तारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री दीप नरायन (जिला गोन्डा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान व मुख्य मन्त्री जी का ध्यान गोन्डा जिले में पालीटेक्निक गोन्डा के छात्रों द्वारा आमरण अनशन व

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिरफ्तारी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह विषय अत्यन्त गम्भीर है इसलिए सरकार का ध्यान अविलम्ब इस विषय पर दिलाना अत्यन्त आवश्यक है।

गोन्डा जिले में गोन्डा नगर में स्थित राजकीय पालीटेक्निक के तीन विद्यार्थियों श्री आर0पी0 विश्वकर्मा, श्री वी0पी0 सिंह व श्री के0पी0 जैसवाल ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ व अनियमितताओं के विरुद्ध भूख हड़ताल कई दिनों से कर रखी थी। जब इन विद्यार्थियों की हालत ज्यादा खराब हुई तो दिनांक 9 सितम्बर, 1977 की रात्रि में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। जब कि शासन व जिलाधिकारी, गोन्डा ने विद्यार्थियों की मांगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विद्यार्थियों ने जिला जेल, गोन्डा में भी आमरण अनशन कर रखा है जो एक गम्भीर मामला है तथा गोन्डा नगर की शान्ति व्यवस्था को भी खतरा है। सरकार ने प्राचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उल्टे छात्रों की गिरफ्तारी कर एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया है जो अनुचित है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश शासन तत्काल विद्यार्थियों की मांगों पर ध्यान दे तथा भ्रष्ट प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक के विरुद्ध आरोपों की जांच करके तत्काल स्थानान्तरण करें। यह विषय अत्यन्त गम्भीर है। शान्ति व्यवस्था की समस्या को गम्भीर खतरा है। किसी भी समय गोन्डा नगर की शान्ति व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की उपेक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

महोदय, 13 सितम्बर, 1977 से 18 सितम्बर, 1977 तक हिन्दी सप्ताह मनाया जा रहा है। हिन्दी सरकारी कामकाज, सार्वजनिक कार्यकलाप से लेकर जन-जीवन की भाषा बने ताकि 1947 में राजनैतिक आजादी प्राप्त करने के बाद मानसिक गुलामी से भी छुटकारा मिले। इसी पृष्ठ भूमि में महात्मा गांधी, आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर लोहिया, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि महान विचारकों ने अंग्रेजों के स्थान पर हिन्दी तथा मातृ भाषाओं के लिए समय-समय पर भारतीय जनता का आवाहन किया।

उत्तर प्रदेश में शासन की भी यह नीति है कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी न चले बल्कि उसके स्थान पर हिन्दी के माध्यम से काम हो।

किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में अभी भी बड़े पैमाने पर विदेशी भाषा में ही काम काज हो रहा है। अफसरों के नामपट, सरकारी गाड़ियों के नम्बर ही सिर्फ अंग्रेजी में नहीं लगे हैं बल्कि लगाए भी जा रहे हैं। यहां तक कि अंग्रेजी में पटु अधिकारियों को पदोन्नति देने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के कार्यालय से अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र बांटे जा रहे हैं जिनमें लिखा है 'अंग्रेजी में अवश्य भरें' यह आवेदन-पत्र 24 सितम्बर, 1977 तक बांटे जायेंगे इससे जहां एक ओर शासन की नीति की घोर आवहेलना हो रही है वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों को भी काफी परेशानी हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरूद्ध प्रकाश]

मान्यवर, हम लोग अंग्रेजी साहित्य व भाषा के विरोधी नहीं हैं लेकिन उसे हिन्दी या मातृ भाषाओं की दासी बनाकर कामकाज की भाषा के रूप में चलाया जाय यह भी स्वीकार नहीं।

अत : मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण सूचना के द्वारा तत्काल अंग्रेजी विशेष कर लोक सेवा आयोग द्वारा अंग्रेजी में आवेदन-पत्र भरने एवं कार्य करने की आवश्यकता को समाप्त कर हिन्दी में आवेदन-पत्रों को भरने एवं काम-काज हिन्दी में करने के लिए सरकार से मांग करता हूं।

(एक पत्र दिखलाते हुए) मान्यवर, यह वह आवेदन-पत्र है, अंग्रेजी में है। जिसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में ही इस आवेदन-पत्र को भरें।

ग्राम पिड़थरा, थाना घिरौर, जिला मैनपुरी में अज्ञात संक्रामक रोग के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा) --

महोदय, मैनपुरी जनपद के थाना घिरोर के ग्राम पिड़थरा में किसी अज्ञात संक्रामक रोग से दिनांक 7सितम्बर, 1977 को 10 व्यक्तियों की मृत्यु होना, उनकी चिकित्सा व्यवस्था का प्रबन्ध न होना, लगभग 90 व्यक्तियों का इसी रोग से और पीड़ित होना तथा पेट के दर्द व तेज बुखार के संक्रमाक रोग से मैनपुरी, शिकोहाबाद, आगरा, फिरोजाबाद जनपद के ग्रामों में इस संक्रामक रोग से अनेक लोगों का पीड़ित होना।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनीखेज हृदय विदारक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद के थाना धिरौर के ग्राम पिड़थरा में दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को 10 व्यक्तियों को पेट में दर्द और तेजबुखार के संक्रामक रोग से मृत्यु हो गयी और उन्हें कोई उचित डाक्टरी सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसी रोग से उस गांव में 99 व्यक्ति और पीड़ित हैं। जिनका जीवन खतरे में है और जैसा लोगों ने मुझे बताया कि पेट में एकदम से बड़े जोर का दर्द उठता है और आदमी अपने पेट को पकड़ कर बैठता और चीखना शुरू करता है। वैसे-वैसे बुखार बड़ी तेज गति से बढ़ता जाता है और दर्द की गति भी तीव्रता पकड़ती जाती है जिससे पीड़ित व्यक्ति बेहोश होता जाता है और 6-7 घंटे में ही मौत के मुंह में चला जाता है। गांवों में यह रोग एक व्यक्ति को होता है वैसे ही दूसरे लोग भी पीड़ित दिखाई देने लगते हैं और यह रोग बड़े पैमाने पर फैल जाता है।

मान्यवर, मैनपुरी जनपद के उपरोक्त ग्राम में दस व्यक्तियों की मौत और अन्य 99 के पीड़ित होने से समस्त जनपद में बैचेनी फैली हुई है और आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद के गांवों में 4-4, 6-6 व्यक्ति इसी रोग से पीड़ित हैं जिन्हें अभी तक कोई डाक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अस्तु इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गम्भीर संक्रामक रोग से रोकथाम के हेतु आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि ग्रामों में तत्काल डाक्टरों के पैनल भेजे जायं जिसके जरिए इस रोग का भी परीक्षण, खून का परीक्षण कराते हुये किया जावे और इस रोग की दवा बड़े पैमाने पर देहात में वितरित कराई जाय जिससे अनेक लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। कुओं के पानी की दवा मच्छर के मारने की दवा का छिड़काव कराया जावे।

उपरोक्त गांवों में सूचना के बाद भी जिलाधिकारियों ने सतर्कता नहीं बरती जिसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी .....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद के थाना विन्ध्याचल क्षेत्र में हृदय विदारक लोमहर्षक हत्यायें हो रहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं लिखा जाएगा। प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

श्री कौशिक जी ने जो कहा है वह प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रोसीडिंग का अंग नही बनेगा? यह नियम विरुद्ध है कि इस तरह बिना इजाजत के कुछ कहें।

मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संक्रामक रोग फैला है उसकी कृपया जानकारी प्राप्त करके सूचना दे दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा नियम 51 का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

वह समय अभी नहीं आया है।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित के निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी सदन से 3 दिन के लिए निलम्बित किए गए थे। दो दिन उनके समाप्त हो गए और आज तीसरा दिन है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनका आज का निलम्बन समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि, श्री सुन्दर लाल दीक्षित का आज का निलम्बन समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

20 जुलाई, 1977 को पूछे गए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर जो दिएगए थे उसके साथ कुछ त्रुटियां रह गयीं और जो बाद को पता चला इसमें सब दे दिया गया है। जो प्रश्न ऊदल का था उसका सही उत्तर यह है।

अभी तक जो रिपोर्ट है या सरकार के यहां जानकारी है, उसके आधार पर कुल एक विचाराधीन है जो जमानत पर है तथा 10 दोष सिद्ध हैं जिनमें से 9 जेल में हैं तथा एक जमानत पर है।

दूसरा मान्यवर, सभी 11 नक्सली हत्या के अपराधी हैं जिनमें से 10 दोष-सिद्ध अपराधियों के ऊपर हत्या के अतिरिक्त 147/148 आदि के भी आरोप हैं।

तीसरा मान्यवर, यह विचाराधीन बन्दी एक हरदोई के हैं जो जमानत पर हैं और 10 दोष सिद्ध बन्दी भी हरदोई के हैं जिनमें से 9 जेलों के अन्दर बन्द हैं तथा एक जमानत पर हैं।

चौथा मान्यवर, हरदोई में 11 लोग हैं जिनमें से 10 का ट्रायल हुआ और उनमें से एक जमानत पर है तथा शेष 9 जेल में बन्द हैं। एक विचाराधीन बन्दी का ट्रायल हो रहा है जो जमानत पर है।

पांचवां जी नहीं। नक्सलपंथी बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(उस समय पूछे गए अनुपूरक प्रश्न तथा उनके उत्तर तथा मूल प्रश्न व उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1024 पर।)

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। इस पर कोई अनुपूरक की इजाजत नहीं होती है। संशोधित उत्तर जो था वह दे दिया। आपका कहना नियम के विरुद्ध है।

एक सदस्य—

संशोधित उत्तर भी मान्यवर, गलत है। एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं। जो संशोधन था, वह कर दिया।

प्रदेश में बाढ़ एवं नदियों से कटाव तथा सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री का वक्तव्य

*राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लगभग . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह काफी बड़ा वक्तव्य है। इसको पढ़ा हुआ मान लें। यह आगे काम देगा। जब रेवन्यू की डिमाण्ड्स आयेंगी तो इससे मदद मिलेगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

इस वक्तव्य की प्रतिलिपि नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट का पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए जब तक सब की अनुमति न हो तब तक राजस्व मन्त्री जी इसको पढ़ें। सब को यह मिल चुका है?

श्री रियासत हुसैन—

पिजिन होल में रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

यह रिपोर्ट भेज दी गयी है। पिजिन-होल में भी माननीय सदस्य देख लिया करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

रिपोर्ट सदस्यों को मिल जाती है लेकिन कोई उसको पढ़ता नहीं। अगर यहां यह पढ़ दी जायगी तो सभी को मालूम हो जायगा। इसलिए इसका पढ़ना जरूरी है।

श्री शारदा भक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने बाढ़, सूखा और कटान तीनों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा था तो निश्चित है कि यह बड़ा हो जाता।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि कुछ सदस्य चाहते हैं इसलिए मन्त्री जी आप वक्तव्य पढ़िए। वैसे पूरा पढ़ने के बजाय इसका सार दे दें, तो अच्छा है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मेरा यह सुझाव था कि हम सब सदस्यों को यह प्राप्त हो जाय। हम इसको पढ़ा हुआ मान लें और कल मन्त्री जी से हम स्पष्टीकरण कर लें।

श्री अध्यक्ष—

यह ज्यादा उचित होगा। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय और कल इस पर माननीय सदस्य जो स्पष्टीकरण चाहेंगे, वह हो सकेगा। इसको कल के लिए स्थगित किया गया।

(वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1025–1036 पर।)

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 9––भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35––नगर विकास, अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 69––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 74–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 91–ऋण और अग्रिम–स्वायत्त शासन तथा अनुदान संख्या 92–ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन

श्री अध्यक्ष––

स्वायत शासन मन्त्री जी, आप सभी अनुदानों को एक साथ रख दें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9–भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों कोचुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35––नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,76,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,97,68,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,20,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होनें वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकानें के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,58,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होनें वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91––ऋण और अग्रिम––स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होनें वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,43,58,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम––सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,02,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं संक्षेप में स्वायत्त शासन विभाग की नीति और उसके कार्य-कलापों से माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा और चाहूंगा कि इस माननीय सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यगण––वे चाहे पक्ष में बैठते हों या विपक्ष में बैठते हों––अपने ठोस सुझाव देंगे। मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में जितना अधिकार सत्ता पक्ष को है ठोस सुझाव देने का, उतना अधिकार विपक्ष को भी है और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के जितने भी ठोस सुझाव यहां पर किए जायेंगे, सबको सुनने के बाद यथा-सम्भव कोशिश की जायगी कि उन सुझावों को कार्यान्वित किया जाय।

मान्यवर, लोकतन्त्र में जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं, उनका अपना विशेष स्थान होता है, क्योंकि इस देश में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हुए हैं, सबने अपना प्रारम्भिक राजनैतिक जीवन इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं से प्रारम्भ किया। और यदि यह कहा जाय कि इस देश में जितने भी बड़े-बड़े नेता आजादी के पूर्व या आजादी के बाद भी हुए हैं, सबने अपना राजनैतिक प्रशिक्षण इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, मेयर या सदस्य होकर पाया है, तो अतिशयोक्ति न होगी। मैं इस सम्बन्ध में केवल कुछ ही नामों को गिनाना चाहूंगा क्योंकि ये नाम अपने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सरदार बिट्ठल भाई पटेल भी म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे हैं। भारत के महान राजनीतिज्ञ सरदार बल्लभ भाई पटेल का सम्बन्ध भी नगरपालिकाओं से था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लाला लाजपति राय आदि जैसे महान नेता भी कहीं न कहीं स्वायत्त सेवी संस्थाओं से बराबर सम्बद्ध रहे हैं। मुझे यह भी कहने में गर्व हो रहा है कि इस सम्बन्ध में इलाहाबाद की नगर महापालिका और नगरपालिका का अपने में विशेष स्थान रहा है। इलाहाबाद नगर महापालिका में महामना मालवीय जी, मोती लाल नेहरू जी और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो इस माननीय सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं, श्री जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और अमर नाथ जी ऐसी विभूतियां इलाहाबाद नगरपालिका से सम्बन्धित रही हैं।

एक सदस्य––

सत्य प्रकाश मालवीय तो छूट गए। श्रीमन्, इनका नाम तो जोड़ दिया जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस माननीय सदन में भी ऐसे कितने ही सदस्य उपस्थित हैं जिनको मैं देख रहा हूं और मुझे व्यक्तिगत जानकारी है जो किसी न किसी नगरपालिका से या नगरमहापालिका से अपने पूर्व के राजनीतिक जीवन में सम्बन्धित रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री एस0 एन0 सिन्हा के एक मरतबे के भाषण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं के अध्यक्षों की कांफ्रेंस का उद्घाटन कर रहे थे। "लोकल बाडीज में बी डेस्क्राईब्ड एज मिनिएचर लिजेस्लेचर व्हैर आवर फ्यूचर पार्लियामेंटेरियन्स गेट दियर इनिशियल ट्रेनिंग" यानी "स्वायत्त सेवी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर भावी संसद सदस्य तथा विधायक जनतन्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।"

जैसा आप जानते हैं जितनी भी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनके कार्य-कलापों का प्रत्येक माननीय सदस्य के दैनिक जीवन से सम्बन्ध है चाहे वह कोई महिला हो, पुरुष हो, बालक हो या छोटी लड़की हो बल्कि माननीय सदस्यों के जीवन के जो चौबीस घंटे हैं उनके क्षण क्षण का सम्बन्ध इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं से है यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। सारे प्रदेश भर में जो पेय जल की व्यवस्था है या जो आवास की समस्या है, सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में या सड़क के सुधार के सम्बन्ध में जितनी भी समस्याएं हैं या जो आम आदमी के स्वास्थ्य सम्बन्धी मामला है या और भी बहुत से विषय हैं सब का सम्बन्ध सीधे इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे देश के पूर्व के अनेक नेताओं ने विचार प्रकट किए हैं कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के प्रशासन में राजनीतिक दलबन्दी नहीं होनी चाहिए और हम सब का केवल एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए दरिद्र नारायण की सेवा करना, सारे मानव समाज की सेवा करना और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर मैंने अपना भाषण प्रारम्भ किया है और मुझे आशा है कि प्रदेश में जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उनमें सुधार लाने के लिए इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से बार-बार शासन को सहयोग मिलता रहेगा। मैंने पूर्व में ही आप सभी भाइयों को आश्वासन दिया है कि जितने भी सुझाव आप दीजिएगा उन सबको यथा-सम्भव कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी।

हमने इस प्रदेश का पिछली जून के महीने से प्रशासन संभाला। जो जानकारी मुझे हासिल हुई उससे मुझे ज्ञात हुआ कि 1961 से लेकर 1971 के बीच में स्थानीय निकायों के अन्तर्गत रहने वालों की संख्या करीब एक करोड़ थी और जो अब बढ़कर करीब पौने दो करोड़ हो गयी है। उत्तर प्रदेश में इस समय पांच नगरपालिका हैं, 175 नगरपालिकाएं हैं, 338 नगर क्षेत्र समितियां हैं तथा 47 अधिसूचित क्षेत्र समितियां हैं। पांच नगरपालिकाओं में प्रशासक थे और पिछली सरकार ने पांच ही नगरपालिकाओं का अवक्रमण कर रखा था। इलाहाबाद नगर महापालिका का पिछला चुनाव 1970 में हुआ था और बाकी जो चार नगर महापालिकाएं हैं, आगरा, कानपुर, बनारस और लखनऊ उनका पिछला चुनाव 1968 में हुआ था।

लेकिन पिछली सरकार ने इन नगर महापालिकाओं का चुनाव नहीं कराया था और इनको अवक्रमित कर रखा था और अवक्रमण के कार्यकाल को बराबर बढ़ाया गया। ठीक उसी प्रकार से यहां पर 75 नगरपालिकाएं ऐसी थीं जो जिला मैजिस्ट्रेट के प्रशासन में थीं 338 टाउन एरियाज में 107 ऐसी थीं जिनमें जिलाधिकारियों का प्रशासन था। इन

स्वायत्त सेवी संस्थाओं का चुनाव पिछली बार 1971 में हुआ था और ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए हुए थे। उनका कार्यकाल 1976 में समाप्त हो गया था। लेकिन सरकार ने समय के अन्दर चुनाव नहीं कराए और पहले एक वर्ष के लिए शायद लगता है राजनीतिक आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और चुनाव के पूर्व पिछली कांग्रेस सरकार ने एक बार और 6 महीने को कार्यकाल उनका बढ़ा दिया और इस प्रकार से जब प्रदेश की जनता ने इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं को केवल 5 वर्ष के लिए चुना था उनका कार्यकाल दो बार पहले साल भर के लिए और दुबारा 6 महीने के लिए बढ़ाना अनुचित था। इसीलिए वर्तमान शासन ने इस बात को तय किया कि जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उनका वैध समय समाप्त हो गया है इसलिए उनका अवक्रमण कर दिया जाय और इस निश्चय की घोषणा भी की गयी कि 30 नवम्बर, 1977 को उनका चुनाव हम करा देंगे। 30 नवम्बर, 1977 की तिथि इसलिए निश्चित की गयी कि जो बढ़ा हुआ कार्य काल था वह 30 नवम्बर, 1977 को समाप्त होना था और भावी चुनाव के लिए जो सम्भावित तिथियां हैं उनके सम्बन्ध में भी शासन की ओर से घोषणा की जा चुकी है जैसी कि पूर्व में इस सदन में जानकारी दी जा चुकी है। सम्भावित तिथि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ साथियों और जनता की ओर से इस प्रकार के सुझाव आए हैं कि जो तिथियां घोषित की गई हैं वह गन्ने का तथा ऊशर का सीजन है, जिससे इन तिथियों में कुछ परिवर्तन की मांग की गई है।

मैं इस सम्बन्ध में आपके सुझाव का स्वागत करूंगा क्योंकि चुनाव ऐसी तिथियों में होने चाहिए जिनमें प्रदेश भर की जनता, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता भाग ले सकें। जब आम जनता ऐसे चुनावों में हिस्सेदार होगी तभी स्वायत्त सेवी संस्थाओं में ठीक प्रकार से चुन कर उनके प्रतिनिधि आ सकेंगे। इसलिए यदि इन सम्भावित तिथियों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन की अपेक्षा लोग करते हैं तो उसका स्वागत है। इन तिथियों को आप अगर लिख कर दे देंगे तो हमें 15 दिन चुनाव आगे या पीछे कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन एक बात का बिलकुल दृढ़ संकल्प है कि शासन ने जो फैसला लिया है, उस चुनाव को निश्चित समय के अन्दर अवश्य कराना है। अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली तथा मेरठ के सम्बन्ध में भी कुछ शंकाएं प्रकट की गयी हैं। अलीगढ़ तथा मुरादाबाद ऐसी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं जहां लगभग पिछले 15, 20 वर्ष से चुनाव हुए ही नहीं और शायद यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन नगरपालिकाओं के चुनावों को टाल दिया जायगा। ये स्थान कुछ ऐसे भी हैं मुझे जानकारी दी गयी है कि पिछली सरकार ने जब जब चुनाव कराने का इन स्थानों पर फैसला लिया विशेषकर मुरादाबाद और अलीगढ़ के सम्बन्ध में तो पता नहीं जिलाधीश अपने से या शासन के निर्देश से जिसे वे लोग ही बतला सकते हैं यह रिपोर्ट भेज दिया करते थे कि वहां पर साम्प्रदायिक झगड़े की आशंका है, इसलिए चुनाव टाल दिए जायं और उसके आधार पर चुनाव टाल दिए जाते थे। मुझे पूरी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

आशा है कि इस बार यहां चुनाव भी होंगे और इस सम्बन्ध में वहां के जो जिलाधिकारी हैं अलीगढ़ और मुरादाबाद के उनको आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मैं इस बात को इसलिए बतला रहा हूं चूंकि इस माननीय सदन के सदस्यों का भी कर्तव्य है और विशेषकर ऐसे माननीय सदस्यों का जो इन क्षेत्रों से आते हैं वह भी इस बात की कोशिश करें कि साम्प्रदायिक दुर्भावना यदि कोई वर्ग फैलाता है तो वह न फैलने पाए और सबके साथ यहां पर भी चुनाव हो जायं।

एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं कि जितनी भी नगर महापालिकाओं में जिनमें पिछले दो चुनाव हुए, द्विकक्षीय वार्ड हुआ करते थे उनको पिछली सरकार ने एक कक्षीय वार्ड कर दिया था और प्रत्येक नगर महापालिका की सीटें भी घटा दी गयीं। लेकिन बराबर इस बात की मांग आती रही है कि चूंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है इसलिए बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसामन हो और सीटों की संख्या बढ़ा दें लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है परिसीमन करने में कुछ निश्चित प्रक्रिया करनी होती है और उसके सम्बन्ध में काफी समय भी लग जाता है और उसमें वैधानिक कठिनाई भी है। अगर परिसीमन में परिवर्तन किया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि चुनाव को निश्चित रूप से टालना पड़ेगा और यह चुनाव आगे मार्च–अप्रैल के पूर्व नहीं हो पायेंगे। इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि परिसीमन के जो क्षेत्र हैं वह अपनी जगह पर बरकरार रहें लेकिन जो एक सदस्यीय कक्ष हैं उनको दो सदस्यीय कक्ष कर दिया जाय। जैसा कि पहले घोषणा की जा चुकी है कि कानपुर में पहले 50 सीटें थी उनको बढ़ा कर 100 सीटें कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त बाकी जो 4 महापालिकाएं हैं––इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी यहां सभासदों की संख्या 40 से बढ़ाकर 80 हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इन सदस्यों की सख्या की वृद्धि से निश्चित रूप में जो जनसख्या बढ़ी है, उसके आधार पर इन नगरमहापालिकाओं में वह पहुंचेगे।

इसके अतिरिक्त जैसा कि पूर्व में इस सदन में विधेयक पारित हो चुका है कि जितने भी राज्य सभा के सदस्य हैं या लोक सभा के सदस्य हैं और विधान सभा और परिषद् के सदस्य हैं जिन क्षेत्रों में स्वायत्त सेवी संस्थाएं पड़ती हैं वे स्वयमेव पदेन इस स्वायत्त सेवी संस्थाओं के सदस्य हो जायेंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि पिछला जो जिला परिषद् अधिनियम था उसके अन्तर्गत इन माननीय सदन के जो सदस्य हैं वह स्वयमेव जिला परिषद् या ब्लाक के सदस्य हो जाया करते थे। इसलिए निर्णय यह लिया गया है कि इन 4 कैटेगरीज के जितने सदस्य हैं आर जिनके क्षेत्र में स्वायत्त सेवी संस्था पड़ती है स्वयमेव पदेन सदस्य हो जायेंगे। उनका भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि किसी निर्वाचित सदस्य का।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)––

विधान परिषद् और राज्य सभा के सदस्यों का क्या होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

उनके निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में उनका जो निवास स्थान है जैसा कि श्री गोपीनाथ का केस है। इसमें यह है कि जहां इलेक्टोरल रोल में उनकी इंट्री होगी, जहां के वह रहने वाले होंगे उसमें जो टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी पड़ती है तो उसके वह स्वयमेव सदस्य होंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

राज्य सभा के सदस्य का क्या होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

राज्य सभा और विधान परिषद् की भी बात बताता हूं कोई ग्रेजुएट कांस्टीटुयेंसी से आता है हमारे श्री लक्ष्मी सहाय जी हैं वह चार जगह से इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर आदि चार जगह से आते हैं। तो यहां पर माननीय सदस्य के विवेक पर होगा कि वह चार, पांच जगहों में से किसी एक स्थान को चुनेगा और उसका सदस्य माना जायगा। राज्य सभा के सदस्य के लिए प्राविधान है कि उनका निवास स्थान जो है जहां वह मतदाता सूची में होंगे उसकी स्वायत्त सेवा संस्था के सदस्य वह माने जायेंगे।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

यदि किसी विधायक के क्षेत्र में चार संस्थाएं हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यदि किसी विधायक के क्षेत्र में 10 स्वायत्त सेवी संस्थाएं पड़ती हैं तो यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है कि जिस स्वायत्त सेवी संस्था के लिए वह अपना मन्तव्य लिख कर देंगे, वहां के वह सदस्य माने जायेंगे और यदि लिखकर नहीं देंगे तो जहां के लिए शासन तय करेगा, वहां के वह माने जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इसमें क्या हर्ज है कि वह मेम्बर सब जगह का हो जाय, किन्तु राइट आफ वोट एक ही जगह का हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में विधेयक तो अब पास हो चुका है और पिछले बार ही पारित किया गया है।

एक सदस्य—

टाउन एरिया पर भी यह लागू हो ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आप सुझाव देंगे तो विचार हो जायगा। एक बात और है, जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं, जिसमें टाउन एरिया भी सम्मिलित हैं, वहां पर जो सफाई मजदूर होते हैं, उनके वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अकसर निर्वाचित होकर सदस्य नहीं हो पाते हैं, इसलिए विधेयक पारित करके पिछले सत्र में, यह भी प्राविधान किया गया है कि किसी स्वायत्त सेवी संस्था में यदि इस वर्ग का कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं पहुंचे तो राज्य

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

सरकार को अधिकार हासिल होगा कि वह इस वर्ग के एक व्यक्ति को नामांकित कर दे। ठीक इसी प्रकार का प्राविधान महिलाओं के सम्बन्ध में भी किया गया है। यदि किसी स्वायत्त सेवी संस्था में कोई महिला सदस्य निर्वाचित होकर नहीं पहुंच पाये तो ऐसी हालत में राज्य सरकार को इस बात का हक हासिल है कि वह ऐसी किसी स्वायत्त सेवी संस्था में किसी महिला को नामजद कर दे।

मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं चूंकि चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं और मैंने पूर्व में ही इस ओर इशारा किया है कि जो राजनीतिक नेता हैं, मान्य नेता रहे हैं, उन सबकी बराबर धारणा रही है कि जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं, चूंकि उनका कार्य क्षेत्र अत्यन्त लोकलाइज्ड होता है, स्थानीय होता है, इसलिए उनके चुनावों को भी राजनीति से, दलगत राजनीति से हटकर ल ा जाय। इससे मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि राजनैतिक दल चुनाव न लें, वह लड़ सकते हैं। वह चाहें तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाकर चुनाव ल ा सकती है या उन सीटों को छो ड़ सकती है। फिर भी आवश्यक है कि इन चुनावों में स्थानीय मसलों को ही लिया जाय। क्योंकि हर स्वायत्त सेवी संस्था की समस्यायें अलग-अलग होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं को लेकर चुनाव ल े जायं तो जो उनके अन्तर्गत क्षेत्र आता है, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित हो सकेगा और क्षेत्र का भी कल्याण हो सकेगा और जब इस आधार पर चुनाव लड़ा जायगा तो सुधार भी होगा।

इसके सम्बन्ध में एक स्थानीय निकाय निदेशालय भी है, जिसकी स्थापना सन् 1973 में की गयी थी। इसलिए की गयी थी कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी कुछ की सेवायें सेन्ट्रलाइज्ड कर ली गयी थीं। यह भी देखा गया था कि इनकी जो आर्थिक हालत होती है, वह अच्छी नहीं होती है और जो बजट बनता है, उसके सम्बन्ध में वे एक निश्चित नीति नहीं अपनाते हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए 1973 में इस निदेशालय की स्थापना की गयी है और निदेशालय बराबर इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं या माननीय सदस्य हैं, काम करते हैं, उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के निरन्तर प्रयास किया करता है और उन्हें यहां से सुझाव भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर जो अधिशासी अधिकारी या एक्जीक्यूटिव आफिसर, लेखाधिकारी यानी एकाउन्ट्स आफिसर और टाउन एरिया से सम्बन्धित जो बक्शी होते हैं, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी इस निदेशालय द्वारा किया जाता है, जिससे प्रशासन में जो भी कमी है, उसमें सुधार होता रहे। यह भी शिकायत रही है अनुदानों के सम्बन्ध में और स ड़कों और भवनों के निर्माण में दुरुपयोग के सम्बन्ध में। लेकिन इसमें कठिनाई यह होती है कि निदेशालय के पास कोई टेक्निकल अधिकारी नहीं होते हैं, जिनको इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसलिए शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि निदेशालय के अधीन एक विशेष टेक्निकल आडिट सेल की स्थापना की जाय। इस सेल का काम हो कि भवन और सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में और भी जो निर्माण कार्य हैं, उनके सम्बन्ध में जो आए दिन शिकायतें मिला करती हैं, निदेशालय के स्तर पर टेक्निकल स्टाफ जांच कर लिया करे।

स्थानीय निकायों में लगभग 85 हजार कार्यकर्ता कार्यरत हैं। उनकी तरफ से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बराबर मांगें आया करती हैं। शासन भी इन कर्मचारियों की

सेवा की स्थिति में सुधार लाने के लिए चिन्तित है। चूंकि शासन का मत है कि जो कर्मचारी असन्तुष्ट होंगे वह इच्छा से काम नहीं करेंगे, जब अनिच्छा से काम करेंगे तो जनहित का काम भी नहीं होगा, इसलिए इन कर्मचारियों की ओर से जो भी मांगें आए दिन शासन को प्राप्त हुआ करती हैं, उनका बराबर परीक्षण कराया जा रहा है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा। जिन कर्मचारियों की इन निकायों में कार्यरत रहते हुए, मृत्यु हो जाती है उनकी ग्रैच्युटी और पेंशन आदि के सम्बन्ध में काफी परेशानी और दिक्कत हुआ करती थी इन निकायों में सामूहिक बीमा योजना लागू कर दी गयी है। लेकिन अभी तक यह योजना केवल महापालिकाओं या प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर ही लागू हैं। लेकिन शीघ्र ही इस सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है जितने भी स्वायत्त सेवी कर्मचारी हैं, चाहे टाउन एरिया के हों या नोटीफाइड एरिया के हों, द्वितीय या तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के हों, उनके समस्त कर्मचारियों पर योजना लागू कर दी जाय। जितने भी कर्मचारी हैं उनको राज्य कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों को गृह भत्ता वेतन का 10 प्रति शत दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बड़े-बड़े नगर हैं, वहां पर शासकीय विभाग के कर्मचारियों को गृह भत्ता दिया जाता है तो उसके हिसाब से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को साढ़े सात परसेंट गृह भत्ता देना स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन केवल नगर महापालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को रिटायर होने पर पेंशन की सुविधा नहीं दी जाती है। यह विषय भी इतना दुखद है, इसमें निश्चित रूप में इस सदन के आदेश की जरूरत है क्योंकि नगरमहापालिकाओं के अन्य कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा है। लेकिन जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं जो सबसे निकृष्ट काम करते हैं, उनको पेंशन की सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें निश्चित रूप से अपने विचार प्रकट करें। साथ ही साथ नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों के अतिरिक्त जो भी स्वायत्त सेवी कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

यह बात सर्वविदित है कि जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके अनेक कारण हैं। उनमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को समाप्त करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी की जा सकती है और उस कमी को पूरा करने के लिए जो निर्णय शासन लिया करती है उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयीं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]
की गयी और उनके विरुद्ध जांच भी जारी है। तो संक्षेप में मैं बतलाना चाहता हूं कि जो ईमानदार कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए शासन सजग है, लेकिन जितने भ्रष्ट हैं.

एक सदस्य——
ईमानदार हैं भी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——
ईमानदार और बेईमान सब जगह होते हैं। तो जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी और शासन की ओर से तनिक ढिलाई नहीं की जायगी और इस सम्बन्ध में आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है।

अब मैं संक्षेप में पेय-जल योजना के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। सारे प्रदेश में पेय-जल का संकट व्याप्त है। आज भी जनता पार्टी के विधायकों की बैठक थी। बराबर माननीय सदस्यों की शिकायतें आया करती हैं और उन शिकायतों में इस बात की चर्चा रहती है कि उनके क्षेत्रों में पेय-जल का संकट है या पानी मिलता भी है तो शुद्ध नहीं रहता है। पहले इस पेय-जल के सम्बन्ध में नगरपालिका व्यवस्था करती थी या स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग है उसकी ओर से इस बात की व्यवस्था की जाती थी। 18 जून, 1975 को पिछले शासन ने यह निर्णय लिया और स्वायत्त शासन अभियन्त्रण को समाप्त कर दिया और जल निगम को स्थापित किया। इसकी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। यह सोचने की बात है कि जल निगम जो है वह कायम रहे या उसमें परिवर्तन किया जाय। इस अधिनियम में मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं कि नगरपालिकाओं के कुछ प्रतिनिधि या और भी ऐसे जन-प्रतिनिधि जल निगम में नामांकित किए जायं लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में आप लोग जो सलाह देंगे तो उन्हें उचित समय में देखा जायगा।

पेय-जल के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारा ध्यान आकर्षित किया था, जिसे उन्होंने 12 जुलाई, 1977 को दिया था। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार इस बात पर विशेष बल देगी कि हर गांव में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो। प्रदेश में लगभग 35,000 गांव सूखे की श्रेणी में आते हैं जहां ग्राम वासियों को पानी के लिए तीन किलोमीटर तक चलना पड़ता है और पहाड़ों में 150 मीटर तक नीचे जाकर नदियों से पानी लाना पड़ता है। ऐसे गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए सरकार उच्च प्राथमिकता देगी और यही कारण है कि जब इस प्रदेश के वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया, 26 अगस्त, 1977 को, तो उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि गांवों में पेय-जल की समस्या को दूर करने में वर्तमान सरकार कोई कोर-कसर नहीं रखेगी। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन वर्ष के अन्दर सुदूर स्थित ग्रामीण अंचलों में जहां पर पेय-जल व्यवस्था नहीं है, विशेषतः हरिजन तथा निर्बल जन समुदाय बस्तियों में पेय-जल की व्यवस्था की जाय जिससे कि पीने का पानी सुगमता से उपलब्ध हो जाय। इस हेतु पक्का कुआं बनाने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें हरिजनों को वरीयता दी जायगी। इस उद्देश्य से आय-व्ययक में 2 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था के अति-

रिक्त जल निगम द्वारा पाइप पेय-जल की चालू योजनाओं को त्वरित आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस समय जिन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध है, वह भी अनेक स्थानों पर दूषित है जिससे अनेकानेक बीमारियां पैदा होती हैं। पीने के पानी के शुद्धीकरण की भी व्यवस्था की जायगी ताकि दूषित पानी पीने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, वे न हों।

इस ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हैं। कहां पर पेय-जल की दिक्कत है ? कहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और यदि मिल रहा है तो दूषित पानी मिल रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी तो माननीय सदस्यों को जल निगम के अधिकारियों से मिल जायगी और कुछ माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में जानकारी भी दिलाई गई है। लेकिन फिर भी मैंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, उन सब को इस सम्बन्ध में क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, अवगत कराया जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में जल निगम के अधिकारियों और मुझे यदि उनके क्षेत्र में कोई कठिनाई हो, तो उससे अवगत कराने की कृपा करें क्योंकि बिना सहयोग से काम नहीं चलने वाला है।

श्री श्यामधर मिश्र--

चूंकि जल निगम से सम्बन्धित प्रश्न है तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जल निगम में कितनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं और उनके लिए कितना रुपया रखा गया है और जो योजनाएं धन के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं उनके लिए क्या इस वर्ष के बजट में कोई प्राविधान है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

18 जून, 1975 को जब जल निगम का गठन हो गया तो उसके बाद ही विश्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम के सहयोग से 60 करोड़ रुपए की एक महायोजना स्वीकृत की गयी थी जिसके अन्तर्गत कुमायूं तथा गढ़वाल एवं पांच महानगरों की नगरपालिकाओं में पेय-जल तथा सीवर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। इस वर्ष आलोच्य बजट 1977-78 में रु0 14 करोड़ 65 लाख प्राप्त कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अन्य समन्वित कार्यक्रमों के लिए 1977-78 के बजट में 18 करोड़ 43 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है जिसको शासन और जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण सम्पूर्ति योजनाएं हैं, उनका कार्यक्रम अलग है। प्रत्येक गांव में इस योजना के अन्तर्गत 5--7 वर्षों के अन्दर पेय-जल की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना का त्वरित कार्यक्रम चालू है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने, जो जनता पार्टी की सरकार है, 40 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। उसने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि राज्य

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

सरकारें अपने-अपने प्रदेश के लिए योजनाएं केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजें। पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं हुआ था।

समय-समय पर जैसा कि मैंने कहा है कि प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत पांच सालों में पेय-जल की सुविधा पहुंचाने का इरादा है। तो इन योजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है तो इस चालीस करोड़ में से कितना रुपया प्रदेश को मिलेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन जो योजनाएं प्रदेश सरकार ने केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए भेजी हैं उनके अनुसार प्रथम चरण में 25 जनपदों के 2736 ग्रामों में पेय-जल व्यवस्था कराने हेतु निगम ने 142 योजनाएं बनाई हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 57 करोड़ रुपए है। उन्हें भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है इनमें 27 चालू तथा 115 नई योजनाएं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

क्या 57 लाख रुपए में इतनी योजनाएं बन जायेंगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

हां, वे गांवों की योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो पेय-जल की अन्य योजनाएं हैं उनसे लाभ पहुंचाने के लिए 1522 लाख रुपए की आवश्यकता है। योजना के द्वितीय चरण की तैयारी है और इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए की मांग हमने केन्द्रीय सरकार से की है, कितना रुपया मिल पाएगा यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग की है, वह अवश्य मिलेगी। वित्तीय वर्ष 1977 में जो सामान्य कार्य हैं उसमें निम्नलिखित उपलब्धियां हैं :---

13 नगरिया हैं, जिनमें 5 महा नगरियां हैं इनमें 255 पेय-जल की योजनाएं हैं। 945 ग्रामों में जल सम्पूर्ति की योजनाएं हैं और 6,500 स्वच्छ शौचालयों के निर्माण करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त डच सरकार की भी एक स्कीम है। उनसे पत्राचार हुआ है। इसके लिए जो रुपया मांगा जा रहा है यदि वह रुपया मिल जायगा तो करीब 2 योजनाएं कार्यान्वित हो जायेंगी और उनसे 13 गांवों को लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में 8 पर्वतीय ग्रामों की योजना भी रखी गयी है। 54,92 ग्रामों की 65 लाख रुपए से 12 योजनाएं रखी गयी हैं। एक झांसी---बबीना जल सम्पूर्ति योजना है। उसके रख-रखाव के लिए वर्तमान बजट में 6 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में नैनी के औद्योगिक क्षेत्र में जल सम्पूर्ति योजना के रख-रखाव के लिए 1 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जो छोटे तबके के लोग हैं निर्धन लोग या ऐसे ही कितने लोग हैं जिनके मकानों में नल नहीं होते हैं और नल के जरिए उनको पेय जल नहीं मिलता है लेकिन ऐसे लोगों से जल-कर वसूला जाता है, आज भी वसूला जाता है, उनको जल-कर से छूट दे दी जाय। जिनके मकान में टोंटी (नलकी) नहीं है, उनसे भी कर वसूला जाता रहा है। शासन ने निर्णय लिया है कि जिन मकानों में नल नहीं

है उनसे जल-कर न वसूला जाय। यही नहीं, जिन मकानों का मूल्यांकन 360 रुपया प्रति वर्ष अर्थात् 30 रुपया माहवार है अगर उन मकानों में नल नहीं है तो भविष्य में उनसे भी कोई जल-कर वसूल नहीं किया जायगा। इसके लिए अगले सप्ताह में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

आप जानते हैं कि आवास की समस्या भी बहुत जटिल है। प्रदेश की आबादी बराबर बढ़ रही है। लोग गांवों से हटकर शहरों में आकर रहना पसन्द करते हैं। पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किए थे, इस बात को मैं बहुत ईमानदारी से मानता हूं। आवासीय समस्या बड़ी जटिल है, इसे कैसे सुलझाया जाय, कैसे इसका निदान हो, यह बड़ा कठिन प्रश्न है। जब आदमी गांवों से हटकर शहर में आता है तो उसे आवास की दिक्कत होती है। शहरों में जमीनें घिरी रहती हैं। यदि जमीन मिल जाती है तो मकान कहां से बनाया जाय, उसके लिए पैसे की कठिनाई होती है।

अक्सर देखा जाता है कि जो मकान बन गए हैं हायर परचेज सिस्टम पर किराए पर देने के लिए उनका किराया और माहवारी किस्त इतनी अधिक है कि लोग उन मकानों में जाकर अपनी माहवारी के हिसाब से किराया नहीं चुका सकते हैं और न माहवारी किस्त दे सकते हैं। फिर भी इस समस्या का धीरे-धीरे समाधान करने के लिए शासन कटिबद्ध है। पिछली सरकारों के समय में कुछ बड़े-बड़े नगरों में आवासीय भवन बनाए गए थे, छोटे नगरों में आवासीय भवन बनाने का पिछली सरकार का विचार नहीं था। वर्तमान शासन ने निर्णय लिया है कि कबाल टाउन्स में और बड़े-बड़े शहरों में आवासीय समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाय और छोटे-छोटे शहरों में कुछ निर्माण कार्य कराए जायेंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी जैसा कि सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं। तीन स्तर पर ये कार्य कराए जाते हैं। एक तो आवास विकास परिषद्, दूसरा विकास प्राधिकरण और तीसरा नगर महापालिकाओं या नगरपालिकाओं के अपने स्तर पर भी निर्माण कार्य कराए जाते हैं। वर्तमान बजट में इसके लिए आय के हिसाब से प्राविधान किया गया है। एक तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उसमें अभीतक जिनकी माहवारी आय साढ़े तीन सौ रुपया होती थी उन्हीं को माना जाता था, लेकिन अब इस परिधि को बढ़ा दिया है। अब जिनकी माहवारी आय 500 रुपए तक है वह सब आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में आयेंगे। वर्तमान बजट में 1977–78 में इस मद में हम 11 लाख रुपए का प्राविधान कर पाए हैं। इसमें आशा है कि लगभग 160 मकान बन जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक अल्प-आय वर्ग होता है, जिनकी आय 501 से लेकर 600 रुपया तक होती है। इस वर्ग के लिए वर्तमान बजट में 41 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है और इससे लगभग 186 मकान बन पायेंगे। इसके अतिरिक्त एक मध्यम आय वर्ग है, उसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनकी आय

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

601 से लेकर 1,500 रुपया तक होती है। इसके लिए वर्तमान बजट में जो प्राविधान किया गया है उससे लगभग 158 मकान बन जायेंगे।

इसके अतिरिक्त एक भूमि अध्याप्त एवं विकास योजना है 1977–78 में। मकानों को बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, अध्याप्त करना होता है और जो भाई कब्जे में होते हैं उनको मुआवजा देना होता है। इस मद में 110 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है और 1210 एकड़ भूमि के अक्वायर होने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त हमारी एक योजना है मलिन भूमि सुधार एवं निपातन योजना। इसमें दो प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक तो मलिन बस्तियों को समाप्त करके वहां पर नयी बस्तियां बनाई जायं और एक इस प्रकार की होती है कि उन्हीं बस्तियों में सुधार किया जाय, वहां पर सड़कों का निर्माण किया जाय, नाली का निर्माण किया जाय और सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय या स्नान गृह का निर्माण किया जाय और साथ-साथ वहां प्रकाश की व्यवस्था हो। इस मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना के अन्तर्गत पेय-जल के लिए 1977–78 में 20 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है और इससे जिन भवनों को लाभ पहुंचेगा वह करीब 320 भवन होंगे। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना है। इसके अन्दर अर्बन डेवलपमेंट ऐक्ट, उसी के अन्तर्गत काम हुआ करता था। उस कानून में निश्चित रूप से संशोधन की जरूरत है। नगर विकास योजना के अन्दर स्थानीय निकायों की दूकानों, वाणिज्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों और रंगशालाओं आदि योजनाओं पर सहायता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में अनुदान भी दिया जाता है और वर्ष 1977-78 में इस सम्बन्ध में 14 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त एक सम्भागीय नियोजन योजना होती है उसके अन्तर्गत. . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

बाकी आप जवाब में बोल लीजिएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वर्ष 1977–78 में 32 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। बहुत सूक्ष्म में मैं समाप्त कर दूंगा। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जानकारी हो जायगी। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि मैं आप लोगों के सुझावों का स्वागत करूंगा। तो इस स्कीम के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली बात है वह यह कि जो परिधि माहवारी किस्तों की देने की होती है और जिस विशेष वर्ग के लिए वह स्कीम बनाई गई है वह उसका लाभ ही नहीं उठा पाता। मिसाल के लिए अल्पाय वर्ग साढ़े तीन सौ रुपए माहवार तक पाने वालों को माना जाता था जिसे बढ़ा कर अब 500 रुपए कर दिया गया है, तो इतना वेतन पाने वालों का अगर 200 रुपया माहवार देना पड़ तो मैं समझता हूं कि वह अपनी आय से नहीं दे सकते। शायद यही कारण रहा है कि इस प्रकार की स्कीम सफल नहीं रही है। फिर भी मकान सस्ते कैसे बन पायें और मकान बनवाने में जो भ्रष्टाचार होता है, जो सामान चोरी जाता है उसको कैसे रोका जाय इस सम्बन्ध में भी आप लोगों के सुझावों की आवश्यकता है। जो मकान बने हुए हैं उनके सम्बन्ध में शिकायतें भी प्राप्त हुआ करती हैं।

(इस समय 1 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

अब मैं बहुत ही संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है तब से उसने जो छोटे तबके के लोग हैं विशेषतौर से उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या काम किए। एक तो मैंने अभी चर्चा की जल-कर के सम्बन्ध में। दूसरे, अभी तक नगर महापालिका और नगरपालिका कानूनों में इस बात का प्राविधान है कि ऐसे मकान मालिक जिनके पास केवल एक मकान है और वह स्वयं मकान में रहता है, किराए की उनकी कोई आय नहीं है और जिनका वार्षिक मूल्यांकन 180 रुपए तक है उनको गृह-कर में छूट दी जाती है, आगरे में तो केवल 60 रुपए तक के मकानों को छूट दी जाती थी। अब इस परिधि को बढ़ा दिया गया है और इस सम्बन्ध में विधेयक पेश किया जायगा। अब 360 रुपए तक अथवा 30 रुपए माहवार तक जिनका मूल्यांकन है ऐसे मकानों के मालिकों को गृह-कर में छूट दी जायगी।

चुंगी के सम्बन्ध में जितनी भी कमेटियां रही हैं, चाहे लक्कड़वाला कमेटी रही हो, चाहे पिछली सरकार द्वारा बनाई हुई जे0 डी0 शुक्ला कमेटी रही हो, सभी समितियों ने चुंगी के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है। यह सर्वविदित है कि चुंगी में भी बहुत भ्रष्टाचार है। चुंगी से होने वाली आधी आमदनी लोगों की जेब में चली जाती है। इसलिए शासन ने चुंगी की वर्तमान प्रणाली को निश्चित रूप से समाप्त करने का फैसला लिया है। उसके लिए विकल्प क्या होगा इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने चुंगी को समाप्त कर दिया था। वहां से भी मैंने प्रारूप मंगवाया है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में शासन की ओर से घोषणा की जायगी। दूसरे, जैसा आप सभी जानते हैं जो यह बैरियर सिस्टम है इससे समय का बड़ा दुरुपयोग होता है। एक आंकड़ा है जिसके हिसाब से आज बैरियर रहते हुए जितनी देर में एक ट्रक लखनऊ से दिल्ली जाता है, अगर बैरियर हटा लिए जायं तो उतनी ही देर में तीन मर्तबा वह ट्रक दिल्ली का चक्कर लगा सकती है। इसलिए इस बैरियर प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है और जब चुंगी का विकल्प तय हो जायगा तो दोनों की साथ-साथ घोषणा की जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री. . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी, क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, मैं केवल इतना स्पष्टीकरण के लिए जानना चाहता हूं कि जो चुंगी समाप्त की जा रही है और बैरियर समाप्त किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की प्रणाली सेल्स टैक्स

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्रणाली है जो सेल्स टैक्स समाप्त किया जा रहा है, तो इससे जो नगरपालिकाओं के साधन कम होंगे, करोड़ों रुपयों का जो घाटा होगा उनकी पूर्ति के लिए क्या उनको ग्रान्ट दी जायगी? सब्सीडी दी जायगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि इन सारे विषय पर शासन द्वारा जो गठित समिति है, वह विचार कर रही है। इस बात पर फैसला ले लिया गया है कि वर्तमान चुंगी प्रणाली समाप्त की जायगी। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि चूंकि मध्य प्रदेश ने इसको समाप्त कर दिया था, तो वहां से इस सम्बन्ध में सारे प्रारूप मंगाए गए हैं। मध्य प्रदेश ने जैसा किया है वैसा ही अगर होता तो निर्णय ले लिया गया होता। तो श्रीमन्, सारे विषय विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

तब तक चुंगी लगेगी कि नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

अभी तो चुंगी लग रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य सदन में शान्ति बनाए रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, 1914 में टाउन एरिया बनी थी, उसमें जितने भी लोग रहते थे यदि उन की वार्षिक आय 200 रु0 अथवा 16 रुपए 66 पैसे प्रति माह होती थी, तो उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था और इस टैक्स का प्रभाव बहुत ही छोटे तबके के लोगों पर पड़ता था। इसलिए शासन ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया है। अब केवल उन्हीं लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, जिनकी माहवारी आय डेढ़ सौ रुपया या 1,800 रु0 वार्षिक होगी। तो इस कर को हमने समाप्त कर दिया है। अब यह कर उन्हीं लोगों से लिया जायगा, जिनकी आय डेढ़ सौ रुपए माहवार या 1,800 रुपए वार्षिक होगी। पहले ऐसे भी मकानों पर टैक्स लगा था जिनकी कोई हैसियत नहीं होती थी, तो इसको भी समाप्त कर दिया जाय, यह तय किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हर टाउन एरिया टैक्स लगाती थीं या कुछ लगाती थीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

हर टाउन एरिया लगाती थीं।

(व्यवधान)

वर्तमान शासन ने जब यह पद सम्भाला तो उस वक्त आलू के बीज पर भी चुंगी लगती थी, कहीं-कहीं पर जिस दर पर लगती थी, उसको आधा कर दिया गया है और जो इक्सर-

साइज बुक्स थीं, किताबों के कागज पर चुंगी लगती थी, छात्रों को राहत के लिए उसे समाप्त कर दिया गया है ।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

हमारी समझ से आप इधर आ जाते तो हमें भी सहूलियत होती ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह सदन में शान्ति बनाए रखें । तिवारी जी से खासतौर से कहूंगा कि वह रनिंग कमेंटरी न करें । उनका इस पर स्वयं का कटमोशन आने वाला है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसके अतिरिक्त जनता सरकार को इस सिद्धान्त पर पूरा विश्वास है कि जहां जन-प्रतिनिधि नहीं हैं, वहां पर कर नहीं लगाने चाहिए । "नो टैक्ससेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन" इसलिए जहां भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि जब तक नगर पालिकाओं या स्वायत्त सेवी संस्थाओं का निर्वाचन न हो जाय तब तक जितने भी विभिन्न प्रकार के कर हैं या चुंगी की दरें हैं उनमें वृद्धि न की जाय । यही नहीं हुआ है, आपात्-कालीन स्थिति के दौरान जिन-जिन नगरपालिकाओं ने, नगर महापालिकाओं ने, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया ने चुंगी की दरों या मकानों के मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाए हैं या अन्य किसी तरह की कर वृद्धि किया है उनको वर्तमान शासन ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

यह इसलिए किया गया है कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान में कितनी ही स्वायत्त सेवी संस्थाओं ने आपत्तियां मांगी थीं लेकिन मीसा के डर से किसी आदमी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । पिछली सरकार ने, जिसके मुख्य मन्त्री, आज के माननीय नेता विरोधी दल हैं, बराबर वृद्धि स्वीकार करते रहे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह पैट्रोलियम मिनिस्टर हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

केशव देव मालवीय जी के बारे में कह रहे हैं ?

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तो वर्तमान शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनके करों में कोई वृद्धि नहीं की जायगी जब तक आम चुनाव न हो जायेंगे। इसके अलावा जितनी भी वृद्धि आपात्कालीन स्थिति के दौरान हुई है उस वृद्धि को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि सुन्दरीकरण के नाम पर ऐशबाग रोड पर जो निर्माण कार्य थे, उनको गिरा दिया गया था उस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय लिया है, 10 लाख रुपए के विशेष सहायक अनुदान का प्राविधान किया गया है। ऐशबाग रोड पर जिस बर्बरता से और जिस निर्ममता से लोगों के मकानों को गिराया गया, वह एक उदाहरण है। मैं समझता हूं कि प्रदेश भर में कितने ही ऐसे जिलों में और नगरों में निर्माण कार्यों को, भवन को सुन्दरीकरण के नाम पर या श्री संजय गांधी के स्वागत कराने के नाम पर, क्योंकि मैं जौनपुर गया था पिछले महीने की 17 अगस्त को, जौनपुर स्टेशन के पास करीब-करीब 15 भवन ऐसे थे जिसके लिए अधिकारियों ने मुझे बताया, मैंने पत्रावली देखी कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में करीब-करीब 15 से 20 भवनों को बर्बरतापूर्वक गिरा दिया गया है। तो शासन ऐसे लोगों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है। यथासम्भव, यथाशक्ति इस सम्बन्ध में प्रयास किया जायगा। ऐसे लोगों को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाय इसके लिए लखनऊ के लिए 10 लाख रुपयों का विशेष प्राविधान किया गया है।

कुछ सदस्य—

जिन लोगों ने गिराया है उनसे वसूल किया जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सुन्दरीकरण के नाम पर प्रदेश भर में लोगों की दूकानों को गिराया गया, लोगों को दूकानों के नाम पर लूटा गया है और रास्ते किसी व्यक्ति विशेष को साफ दिखाई पड़े इस-लिए रास्तों को चौड़ा भी किया गया। इस सम्बन्ध में मैं बधाई देना चाहता हूं 'शाह कमीशन' को। क्योंकि लगता है कि "शाह कमीशन" के पास इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें पहुंची हैं। "शाह कमीशन" ने स्वयं अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अन्तर्गत सुन्दरीकरण के नाम पर, 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के नाम पर जो जुर्म और अत्याचार किए गए हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्वयं एक आयोग बैठाना चाहिए। मैं पूर्व में भी विधान सभा को बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है अपने स्तर पर न्यायिक जांच कराने का और एक अयोग बिठाने का। उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे, इस सम्बन्ध में निर्णय अभी नहीं लिए गए हैं लेकिन शीघ्र ही निर्णय ले लिए जायेंगे। तो मान्यवर, दो-ढाई महीने में वर्तमान सरकार से जो हो सका उसके सम्बन्ध में रौशनी डाली है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान कुव्यवस्था व्याप्त है और जो भ्रष्टाचार है उसमें किस प्रकार सुधार लाया जाय उसमें दोनों पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है और आपके सुझावों को मैं गौर से सुनूंगा और बराबर विचार करूंगा।

मान्यवर, एक चीज यह भी है कि जो सामान्य कर या ग्रह-कर हैं उनके सम्बन्ध में जो भेदभाव है जैसे कि मैं बरेली गया था तो वहां सिविल लाइन में 10 प्रतिशत के आधार

पर टैक्स मकानों पर लगता है और बरेली के अन्य भागों में 5 प्रतिशत, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए शासन ने निर्णय ले लिया है, बरेली में। लेकिन उसके साथ ही और कहीं भी यदि स्वायत्त सेवी संस्थाओं में इस प्रकार के भेदभाव हैं और उसकी कृपया जानकारी करायें तो उनको निश्चित ही दूर किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पूरी आशा करता हूं कि इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं में सुधार लाने के लिए, नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए आप सब का सहयोग शासन को मिलेगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92 की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, स्वायत्त सेवी संस्थाओं का सम्बन्ध जन-साधारण के जीवन से घनिष्टरूप से जुड़ा हुआ है। उनके वर्गीय दृष्टिकोण के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि "मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि नगरपालिका कितने सुन्दर पार्क या सड़कें बनवाती है। मैं जानना चाहता हू कि कारपोरेशन ने गरीबों तथा गृह विहीनों के लिए क्या-क्या किया?" मान्यवर, हमारे प्रदेश में 5 नगर महापालिकाएं, 174 नगरपालिकाएं, 47 नोटीफाइड एरिया तथा 334 टाउन एरिया कमेटी स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अन्तर्गत आती हैं। इनकी कुल आबादी लगभग पौने दो करोड़ की है।

[श्री राम आसरे वर्मा]

मान्यवर, जैसा कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री एस0 एन0 सिन्हा ने कहा था कि यह स्वायत्त संस्थाएं विधायक और संसद सदस्यों के लिए जनतन्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के स्थान हैं। लेकिन आज देखने को मिलता है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने का स्थान न होकर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। वहां पर गुटबन्दी के आधार पर विरोधियों के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं और उनके ऊपर भांति-भांति के मुकदमे खड़े कर दिए जाते हैं। देहातों से आने वाले किसान भी अपने को उनसे बचा नहीं पाते। उनसे वसूला गया पैसा यदि जनता की भलाई के कामों में लगता तो कुछ सन्तोष मिलता। देखने को यह मिलता है कि जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लाखों रुपये के घोटाले प्रति वर्ष होते हैं। पहले तो ऐसे मामलों में जांच ही नहीं होती, और यदि किसी मामले में जांच हुई भी, तो जांच अधिकरी अपना हिस्सा लेकर उस मामले को रफा-दफा कर देते हैं। मैं अपने हरदोई जिले की एक टाउन एरिया में भ्रष्टाचार की कहानी कहना चाहता हूं। यह टाउन एरिया मूंगफली की बहुत बड़ी मन्डी है। यहां पर लाखों रुपए का गोलमाल किया गया।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप अपना भाषण लिख कर लाए हैं और उसे पढ़ रहे हैं। लिखित भाषण न पढ़ कर ऐसे ही बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माधवगंज टाउन एरिया की बात कह रहा हूं। यहां पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। गृह विहीनों के बारे में जो चर्चा सुनने को मिली और कांग्रेसी शासन में जो कुछ हुआ उसके घाव अभी भी ताजे हैं। लेकिन आज जनता पार्टी के शासन में जो कुछ हो रहा है, वह भी कम नहीं है। थोड़े दिन पहले 'अतिक्रमण हटाओ' का अभियान चलाया गया। बिलग्राम की नगरपालिका है जहां पर लोग केले और दूसरे फल बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनको हटाया गया। जब एक केले वाले ने कारण जानना चाहा तो उसको जेल में बन्द कर दिया गया और आज भी वह हरदोई जेल में 394 के अन्तर्गत बन्द है, जिसका नाम अमजद है। इस तरह से गरीबों की भलाई की जा रही है। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री दो साल पहले विरोध पक्ष की और बैठा करते थे। तब उन्होंने कहा था "नगरपालिका और नगर महापालिका ऐसी संस्थायें हैं। जिनके जरिए गरीबों और दरिद्र नारायण की सेवा की जा सकती है।" आज वह सत्ता की कुर्सी पर हैं इसलिए गरीबों और दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए उन्होंने ऊपर दिया तरीका ही चुना है। छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि "आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को काम दिया जाय।" शहरों में जाइए देहातों में जाइए चूंकि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से भी सम्बन्धित है। देहातों में शौचालय नहीं हैं। शहरों में स्नान-गृह नहीं हैं। होता क्या है। औरतों को सरे आम सड़कों पर नालियों पर मल निस्तारण के लिए बैठना पड़ता है और रात के अन्धेरे में जब जीप की गाड़ी की रोशनी पड़ती है तो उन महिलाओं को उठक बैठक करनी पड़ती है। इससे बढ़कर और कलंक की बात इस प्रदेश और देश के लिए नहीं हो सकती है। निश्चय ही

यह एक कलंक है। कांग्रेसी शासन के लिए कलंक था आज जनता पार्टी के शासन के लिए यह एक कलंक है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस कलंक को धोने का कौन सा नुस्खा पेश किया है। चाहे सफाई हो, पानी या प्रकाश हो सभी मायनों में प्रदेश के गांव या शहर, जिस-जिस क्षेत्र में दो साल पहले जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। नालियां कूड़ा-करकट से भरी हैं। पानी के अभाव में लोग परेशान हैं। आदमी के मल को आदमी उठा रहा है। आज से दो साल पहले हमारे मौजूदा स्वायत्त शासन मन्त्री जी जिन बातों के बारे में शिकायत किया करते थे, आज उन्हीं बातों को हंस-हंस कर सहन कर रहे हैं।

मान्यवर, आज हम देख रहे हैं कि लखनऊ नगरमहापालिका के आस-पास 40 गांव लिए जा रहे हैं। आवास के लिए उनकी जो जमीन छीनी जाएगी, उसकी व्यवस्था की बात माननीय मन्त्री जी ने सदन में नहीं रखी। सलेज फार्म (जुगौली गांव) में मालगुजारी आपातकालीन स्थिति में दुगुनी कर दी गयी थी? आपातकालीन स्थिति की इस चोट से राहत देने के लिए कोई भी रूपरेखा हमारे इस सदन के सामने माननीय मन्त्री जी ने नहीं पेश की। स्वायत्त संस्थाओं में पुराने मुड्ढ, जो कई वर्षों से वहां बैठे हैं और जिन्होंने वहां अपनी जमींदारी समझ रखी है, उनको हटाने के लिए न मन्त्री जी देख रहे हैं और न अधिकारीगण।

मान्यवर, ये बातें कहते हुए मैं अपनी उस बात के ऊपर आऊंगा कि पहले भ्रष्टाचार था, लेकिन आज का शासन भी भ्रष्टाचार से शराबोर है। ये अगर अपने को उससे वंचित या दूध का धोया साबित करना चाहते हैं, तो यह गलत होगा।

मान्यवर, स्वायत्तशासी संस्थाओं के बारे में कहा जाता है कि उनका गठन आबादी के हिसाब से होता है। लेकिन, मान्यवर, आज भी हरदोई जिले के अन्दर एक गांव कुरसठ है जहां की आबादी 6,000 से ऊपर है। कुरसठ जैसे गांव में जिसकी आबादी 6,000 से भी ऊपर है, टाउन एरिया बनाना चाहिए था। तमाम दरख्वास्तें और प्रतिनिधि इसके लिए सरकार से मिले, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी उस ओर ध्यान दें। यह कुरसठ गांव अंग्रेजों के जमाने में दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इन दोनों की आबादी 6 हजार से ऊपर है और यह टाउन एरिया के दायरे में आ जाता है, इसलिए इसको लिया जाना चाहिए था।

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो भंग स्वयात्तशासी संस्था के बारे में बताया कि 30 नवम्बर तक चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ दो बातें और कहीं हैं जिससे आशंका पैदा होती है। एक बात कही है कि सुझाव दिए जाने पर तारीख आगे-पीछे की जा सकती है। सुझाव मांगने और तिथि आगे पीछे करने की बात करने में आशंका प्रकट होती है जैसे कांग्रेसी शासन काल में करते थे कि पहले एक साल, फिर 6 महीने और फिर

[श्री राम आसरे वर्मा]

सिलसिला बढ़ता ही चला गया और बढ़ता ही गया, उन्हीं के पदचिह्नों पर चलकर जनता पार्टी भी उसको टालने का प्रयास कर रही है।

इन शब्दों के साथ मैंने यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उस पर जोर देना चाहूंगा और चाहूंगा कि यह माननीय सदन इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो अनुदान आज स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया हैं, मैं उसके सम्बन्ध में सबसे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे शहर सीतापुर में, शहर के बीच में नदी है सरायन, जिस पर पिछले पचास वर्षों से पुल बनाने का विचार ही किया जाता रहा है। वह मरघट का रास्ता है। लोगों को परेशानी होती है। इस नई सरकार के गठन होने के बाद, मुझे खुशी है, माननीय मन्त्री जी ने तीन लाख रुपए की मैंचिंग ग्रान्ट की घोषणा की है और उस पुल को बनवाने का आश्वासन दिया है और शीघ्र ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसे विस्तृत रूप से देखने से यह बात साफ दिखाई देती है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष राहत देना चाहती है। इस अनुदान की किताब को देखने से पता लगता है कि सामाजिक सुरक्षा, कल्याण के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 41 लाख रुपए अधिक खर्च का प्राविधान रखा गया है। यह रुपया पाकिस्तान से आए विस्थापितों को बसाने के लिए, हरिजन एवं निर्बल वर्ग की आवासीय व्यवस्था के लिए रखा गया है। अनुदान संख्या 91 में जो प्राविधान किया गया है उस को देखते हुए स्वच्छता, जल व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देने की घोषणा इस बजट में की गयी है। आज हमारी सरकार ने, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने हरिजनों और समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान देने की बात कही है।

मान्यवर, अब मैं भूतपूर्व सरकार के कारनामे आपको बताना चाहता हूं। मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या के बारे में किताब छपी है। इसके पृष्ठ 13 की ओर आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसमें 1 जनवरी, 1976 तक हरिजन और अनुसूचित वर्ग के लोगों की संख्या दी गयी है। मान्यवर, आपको आश्चर्य होगा कि स्वायत्त शासन विभाग में कुल 202 प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनमें से मात्र दो अनुसूचित जाति के हैं। अभी प्रश्नोत्तर काल में माननीय नेता विरोधी दल और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी मेरे प्रश्न पर काफी हलचल के साथ बोलना चाहते थे। मान्यवर, इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 580 है जिसमें से मात्र सात अनुसूचित जाति के हैं। तृतीय श्रेणी के 437 हैं जिनमें से 77 अनुसूचित वर्ग के हैं और इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के 1617 कर्मचारी हैं जिन में 148 अनुसूचित जाति के हैं। तो इस प्रकार के इन के कारनामे रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात के लिए मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नगरपालिकाओं में करने की घोषणा की है, सफाई मजदूर का प्रतिनिधि वहां पर आएगा। इसी के साथ-साथ एक बात और मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, जैसी उन्होंने घोषणा की है कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में, किसी एक नगरपालिका के सदस्य हो सकेंगे कि वे इस पर पुनर्विचार करें। मुझे स्मरण है कि इस सदन के माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी विकास खंड हैं उन के सदस्य हो सकते हैं, उनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। मान्यवर, इसी प्रकार माननीय सदस्यों को उनके क्षेत्र में जितनी महापालिकायें हैं, या नोटीफाइड एरिया हैं या और इसी प्रकार के स्थानीय निकाय हैं उन सब का भी सदस्य होने का अधिकार मिलना चाहिए जिससे कि वे समाज के हर वर्ग की ओर ध्यान दे सकें। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा से नगरपालिका के बारे में सुझाव दें। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैंने यह बात कही है।

इसी के साथ-साथ इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मान्यवर, जल कर की एक भीषण समस्या है। माननीय मन्त्री जी ने अपने 31 अगस्त के भाषण में, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, कहा है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जल कर में राहत दी जायगी। यह बात स्वागत योग्य है। परन्तु जरा इस बात को विस्तार से समझने की चेष्टा की जाय। यह बात तय होना चाहिए कि जिन घरों में टोटियां नहीं हैं उनको जलकर से मुक्त किया जाना चाहिए। नीचे के तबके के जो लोग हैं जो अपने यहां नल नहीं लगा सकते परन्तु उन पर टैक्स पड़ता है, यह अनुचित है। एक पुराना नियम यह भी है कि जिनके घर का 5 रुपए माहवार किराया है उनको जलकर से छूट दे दी जाती है। कब यह नियम बनाया गया और कब यह 5 रुपए तय हुए और उस समय 5 रुपए का मूल्य क्या था? मेरा यह सुझाव है कि आज के समय में 5 रुपए के स्थान पर कम से कम 30, 40 रुपए जिन मकानों का किराया हो उनको जलकर से मुक्त किया जाना चाहिए।

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)––

30 रुपए तक छूट कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार––

इसी तरह से आमदनी की बात है। बहुत सी नगरपालिकायें हैं जिन्होंने 10, 15 साल से यह कर वसूल नहीं किया है वहां पर मेरा सुझाव है कि जो निर्बल हैं, कम आमदनी वाले हैं उनको छूट दे देना चाहिए। चुनाव घोषणा-पत्र में भी जनता पार्टी में यह बात कही गयी है। इसी तरह से पेयजल की व्यवस्था भी उस कोटि में आती है। हम कुछ न कर सकें

[श्री राजेन्द्र कुमार]

तो कम से कम नगरपालिकाओं में ऐसी व्यवस्था करें, उसके लिए समय बांध दें कि आप सबके लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करेंगे। सीतापुर नगरपालिका में दो नलकूप पिछले दो महीने से स्थगित पड़े हुए हैं। पैसा न पहुंचने से काम पड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप शहर में पानी की भीषण किल्लत है। मैं समय की कमी के कारण ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे।

दूसरी बात चुंगी के सम्बन्ध में है। इकोनामिक टाइम्स ने सर्वे किया था जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें यह बात कही गई है कि चुंगी से जितना पैसा वसूल करते हैं उससे ज्यादा उसके उगाहने में खर्च हो जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायतें भी काफी आ चुकी हैं। कई कमीशन व कमेटीज भी बैठी हैं जिनकी रिपोर्ट है कि चुंगी की वसूली की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। बहुत से प्रस्ताव पास हुए जिनमें इस प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की है। प्रश्न यह उठता है कि चुंगी की प्रथा समाप्त होगी तो आमदनी का जरिया क्या होगा, वह घाटा कैसे पूरा किया जायगा ? इस सम्बन्ध में एक कमेटी का सुझाव है और उसकी ओर मैं स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिक्रीकर तथा मनोरंजन कर का एक निश्चित प्रतिशत नगरपालिकाओं को मिलना चाहिए।

नगरपालिकाओं को रिसोर्सेज के लिए, साधनों के लिए राज्य सरकार की ओर देखना पड़ता है। इस कमजोरी का लाभ उठा कर राज्य सरकारें राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करती हैं और पिछली सरकार यह हमेशा करती रही है कि विपक्ष के लोग अगर नगरपालिकाओं में पहुंच गए तो उनके अनुदान नहीं पहुंचे। मैं यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उनके अपने रिसोर्सेज होने चाहिए जिनसे उनको मालूम हो कि उनकी इतनी आमदनी होगी और उसके आधार पर अपने निर्माण की योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें और इसके लिए उचित यही होगा कि जो स्थानीय कर हैं उनमें एक हिस्सा उनको मिलना चाहिए। हमने ग्राम सभाओं को जिस तरह से विकास कर का पैसा दिया है उसी आधार पर नगरपालिकाओं को स्थानीय करों में से एक हिस्सा मिलना चाहिए। अभी पूर्व वक्ता ने और स्वायत्त शासन मन्त्री ने कहा हमारे यह स्थानीय निकाय राजनीतिक क्षेत्र की प्रथम इकाइयां हैं, वही आधार स्तम्भ हैं। उनको मुख्य स्थान मिलना चाहिए। रिसोर्सेज दें, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

मैं एक तीसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीतापुर की जो समस्या है वह और स्थानों पर भी उत्पन्न होती है। वह यह है कि नगरपालिकाओं में सड़कों के किनारे जो जगह पड़ी होती है वहां पर दूकानें बना दी जाती हैं लेकिन उनका एलाटमेंट कैसे होता है ? उनकी नीलामी बोली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पैसे वाले पैसा खर्च करके, ऊंची बोली बोल कर उन दुकानों को ले लेते हैं। सीतापुर में यही हुआ है। तो मान्यवर, मेरा स्पष्ट सुझाव है कि जिन लोगों को उजाड़ा जाय, जो बेचारे खोंचा लगाते हैं, बिस्कुट बेचते हैं उनको अगर हटा दिया गया या ऊंची कीमत में दुकान एलाट की गई तो उसके पास 4 हजार या 6 हजार रुपए एक दम कहां से आयेंगे ? इसलिए मान्यवर, व्यावहारिक आवश्यकता यह है कि जो हटायें जायं उनको बिना पगड़ी के, बिना पूर्व पैसा लिए दुकानें सस्ते दर पर दी जायं। इससे जो दूसरी कठिनाई आएगी वह मैं समझता हूं फिर

नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं के पास पैसा कहां से आएगा ? तो इस सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि कोण पर विचार किया जा सकता है। अगर 10 दुकानें बनाई गईं और उन 10 दुकानों को बना कर ऊंचे दाम पर नीलाम कर दिया गया जिसे पैसे वाले ले लेंगे। लेकिन जो वहां से हटाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा ? उन सब को स्थान मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि जो दुकानें बनें उनमें से आधी ऊंचे दामों पर पैसे वालों को नीलाम कर दी जायं लेकिन जो उजाड़े गए हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए।

इसी सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं सड़कों के अनुदान देने के बारे में। सड़कों के लिए अनुदान देते वक्त मान्यवर, ध्यान रखा जाता है (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट और चाहूंगा। वहां की पापुलेशन कितनी है उनके साधन कितने हैं? बजाय इसके इन बातों को ध्यान में रख कर अनुदान दिया जाय कि वहां पर सड़कों की हालत क्या है, वहां पर विकास की हालत कैसी है। मैं सीतापुर की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर सीवेज की व्यवस्था है ही नहीं। हमारे यहां से साढ़े तीन लाख रुपए की एक योजना भेजी गई जो सरकार के विचाराधीन है। वहां बहुत सी परेशानियां हैं। जब अनुदान देनें का वक्त आता है तो देखा जाता है कि नगरपालिका कितनी बड़ी है तो इससे तो यह होगा कि जो पहले से अनुदान पाती रही हैं उन्हीं को अनुदान मिलेगा और जो छोटी नगरपालिकायें हैं उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनुदान देते वक्त साधन को न देख कर जो कमजोर हैं उनको अनुदान दिया जाय। कमजोर वर्ग की हम सहायता करना चाहते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर विचार किया जाय।

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। अभी लखनऊ नगरमहापालिका की आडिट रिपोर्ट के बारे में समाचार-पत्रों मैं आया। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी का ध्यान भी इस पर गया होगा। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 4 सौ दैनिक मजदूरों के मस्टर रोल फर्जी बनाए गए यह आडिट रिपोर्ट में कहा गया है। इसी तरह टेंडर मांगने में गम्भीर अनियमिततायें बरती गई। तारीख से पहले ही टेंडर खोल दिए गए। तीन टेंडर आने जरूरी थे तो उसमें फर्जी टेंडर लगा दिए गए और अपने मित्रों को टेंडर दे दिए गए। इसी तरह लाइसेन्स विभाग ने आडिट को कागज दिखाना ही गवारा नहीं किया और जितने अनधिकृत कब्जे थे, उनके बारे में जो जुर्माना वसूल किया गया उसकी रसीद नहीं काटी गई।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मैं समझता हूं कि जो आडिट में आपत्तियां आई हैं उनके सम्बन्ध में विस्तार से सूचना मन्त्री जी के पास पहुंच गई होगी। मैं एक सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूं कि

[श्री राजेन्द्र कुमार]

जो आडिटर होते हैं वह नगरपालिका के अधीन होते हैं वह जो कागज मांगते हैं वह नहीं मिलते। इसलिए मेरा सुझाव है कि लेखा परीक्षा विभाग को एक अलग निकाय के अन्तर्गत कर दिया जाय और जो वह आख्या प्रस्तुत करे उस पर अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जाय तब जाकर यह ठीक हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, स्वायत्त सेवी संस्थाओं का जो मकसद है जो पवित्र उद्देश्य है वह बिल्कुल साफ है—आत्मविश्वास, जिम्मेदारी की भावना, लोकतन्त्र का प्रशिक्षण तथा रोजमर्रा की जो हमारी जरूरी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करना। लेकिन श्रीमन्, सवाल इस बात का है कि स्वायत्त सेवी जो संस्थायें हैं और उनके प्रति जो घोषणायें हैं उनमें वह कितनी सफल होती हैं और कितनी जिम्मेदारी की भावना से वह काम करती हैं।

मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के साथ पिछले 30 सालों में एक मजाक होता रहा है। उनके हाथ में काम नहीं, सत्ता नहीं और पैसा नहीं और हमारे राजनेताओं की ओर से यह घोषणा होती रही कि हम इन संस्थाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं और अपने पैरों पर इन्हें खड़ा होना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार से हमें अपेक्षा है, जैसा कि हम उसके प्रति समर्पित हैं कि हम देश में लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं। उस लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अधिकारों को बढ़ाना परम आवश्यक है। श्रीमन्, 1973 से आप जरा गौर करें कि इन संस्थाओं के ऊपर कितने निगम बन गए हैं—जल निगम, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आवास विकास परिषद्, जल संस्थान विकास प्राधिकरण, पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान आदि-आदि। ये सारे के सारे उसी क्षेत्र में काम करने के लिए बने हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको यह पूरा नहीं करेंगे और मैं यह भी नहीं कहता हूं कि इनके जरिए जो काम जनता के हित में होंगे, लोगों के प्रशिक्षण के होंगे, लोगों की समस्याओं को हल करने के होंगे, वे नहीं होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं वे अपने यहां काम करने के लिए सक्षम बनें। जब हमारा यह उद्देश्य है तो सारे के सारे निगम और संस्थान हम उनके उपर छोड़ देंगे तो वे काम क्या करेंगी!

आपने देखा कि 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के जरिए से शिक्षा का सारा काम जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं से ले लिया गया है। मैं यह अपेक्षा करता था कि इस शासन के जरिए जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं और अनुदानों का भी समर्थन करूंगा कि कहीं से तो हम कोई बुनियादी परिवर्तन की शुरुआत करते। अपने यहां 174 नगरपालिकाएं उत्तर प्रदेश में हैं हम उनमें बुनियादी परिवर्तन ला देंगे और उतनी नगरपालिकाओं में स्वच्छ पाखाने ही बना देंगे। इतना भी हुआ होता तो हम यह बुनियादी परिवर्तन मान लेते। हम यह भी बुनियादी परिवर्तन मान लेते कि इस विभाग

के द्वारा तय हो जाता, जितनी स्वायत्त सेवी संस्थाए हैं उनको राज्य के राजस्व से पैसा मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जो आमदनी होती है, उसमें उनका पैसा होगा, चाहे बिक्री-कर के रूप में हो। जैसा हमारे साथी राजेन्द्र कुमार जी ने कहा या मनोरंजन कर के रूप में हो। लेकिन जब उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं होगा तो जो उनका पवित्र उद्देश्य है, उसमें वह कदापि सफल नहीं हो सकते हैं। मैं जल निगम के बारे में यह नहीं कहता कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता के रूप में भी देखें, तो उत्तर प्रदेश में पेयजल की जो योजनाएं चलीं उनमें ऐसे गांवों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनमें पहले से ही पेयजल उपलब्ध है। इस समय गांवों में जो पानी की सुविधायें हैं, वह स्वच्छ नहीं है लेकिन हमें प्रायरिटी तो अभी इस बात को देनी है कि जहां पेयजल बिल्कुल है ही नहीं––पहाड़ों पर नीचे आकर लेना होता है या तीन-तीन मील चलकर लोग पानी लेने आते हैं, पहले पेयजल उनको देंगे या जहां के लोग सदियों से पी रहे हैं, उन पर भी लाखों-लाख रुपया खर्च करेंगे ?

इस सम्बन्ध में मुरादाबाद की बात मैं बताता हूं, जिन गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है यद्यपि आज के विज्ञान के हिसाब से वह स्वच्छ जल नहीं है, फिर भी पीने योग्य है, कोई गन्दगी नहीं है, इस पर भी वहां पेयजल की व्यवस्था हेतु लाखों लाख रुपया खर्च करके हजारों मीटर पाइप बिछाए गए हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जिस चीज का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है और मालवीय जी ने भी किया है, उनमें कैसे हम पेयजल की व्यवस्था कर पाएंगे जब हमारा जल निगम ऐसी जगहों पर पेयजल की सुविधा देने में ही लग जायगा।

इस तरह से नगर प्राधिकरण भी बना है। जल निगम के अलावा जल संस्थान भी हैं। यद्यपि वह अभी हर जगह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे हो जाए। तो ये जो सारे के सारे संस्थान हैं, एक दूसरे के कार्य में रुकावट डालते हैं, एक दूसरे के कार्य में दखल रखते हैं। साथ ही अपने सीमित साधनों का उपयोग जो हम दूसरी तरफ कर सकते हैं, उसका कई संस्थायें मिलकर अपव्यय करती हैं। नगर विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् दोनों एक ही काम करेंगी। पिछले शासन में विकास प्राधिकरण ने नगर सौन्दर्यीकरण के नाम से बड़ी आफत मचाई, उसके नाम पर हजारों गरीब बेसहारा परिवारों को उजाड़ दिया गया, लाखों लाख रुपए की सम्पत्ति नष्ट-भ्रष्ट कर दी गयी, लाखों लोगों को तबाह करने की साजिश की गई। इसी लखनऊ नगर में क्या-क्या नहीं हुआ ? हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन सौन्दर्यीकरण नम्बर दो की बात होगी। पहले मूलभूत जरूरतों को पूरा करें।

मैं अपेक्षा करता हूं कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से ही कोई बुनियादी बात रखते यद्यपि यह सारे शासन के सोचने की बात है। आखिर हम कौनसी

[श्री रमा शंकर कौशिक]

बात लेकर जनता में जायेंगे जिसमें हम यह कहें कि हम एक बुनियादी परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हैं। बुनियादी परिवर्तन की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं, जब हम इस ढंग की घोषणाएं करें कि जो स्वायत्तसेवी संस्थायें हैं उनके लिए स्थायी प्रबन्ध करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की जो आमदनी है उसमें से इतना हिस्सा स्वायत्तसेवी संस्थाओं को देंगे। बुनियादी परिवर्तन हम तभी समझेंगे जब कि इस बात की घोषणा करें कि हम इतने दिनों के अन्दर इतनी नगरपालिकाओं में कमाने वाले पाखानों को बन्द करके स्वच्छ पाखानों को बनाएंगे। बुनियादी परिवर्तन हम तब मानते जब कि हम घोषणा करते कि नगरपालिकाओं के जरिए से शिक्षा का इन्तजाम करायेंगे। बेसिक शिक्षा तक नगरपालिकाओं के हाथ से ले ली गयी। जो स्कूल नगरपालिआओं के क्षेत्र में चलते हों, चाहे वे हाई स्कूल हों या इन्टरमीडिएट कालेज, उनका प्रबन्ध नगरपालिकाओं द्वारा कराते और जो बीच की जमींदारी है उसको खत्म करते आज सारा पैसा तनख्वाह का सरकार देती है और फीस जो इक्टठी होती है, जो कागज के हिसाब से फीस इक्ट्ठी करते हैं वह मैनेजर जमा कर देते हैं और बिना कागज के राशि जमा की जाती है उसको अपने खर्चे में लाते हैं। यह जमींदारी खत्म करके हम शिक्षा का इन्तजाम नगरपालिकाओं से करायें। हम ऐसे बुनियादी परिवर्तनों की तरफ बढ़ते तो हमारी इस घोषणा में ज्यादा सार्थकता होती कि हम स्वायत्तसेवी संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां श्री मालवीय जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, श्री मालवीय जी ने जो घोषणायें की हैं चुंगी की समाप्ति की, बैरियर की समाप्ति की और इसके अलावा गृहकर और जल कर में गरीब परिवारों के मकानों को छूट की घोषणा की वह सर्वथा स्वागत योग्य है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। फिरोजाबाद नगर और आगरा नगर में एक बहुत बड़ी समस्या पेयजल की है। उसके सम्बन्ध में फिरोजाबाद में 17 नलकूप लगाए गए हैं जिनमें से 10 बेकार पड़े हैं जिनको कम्प्रेशन मशीन लाकर ठीक करने की जरूरत है जिसके सम्बन्ध में 29 जून, 1977 को एक बैठक जिला अधिकारी के माध्यम से बुलायी गयी जिसमें सारी बातें की गयीं कि दस नलकूप तुरन्त ठीक कराए जायें। लेकिन अब तक जल निगम की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 17 नम्बर का नलकूप जो बनाया गया, 5 मई, 1975 को एक टंकी बनाने के लिए योजना थी। वह पूर्ण हो गयी। लेकिन उसमें वह पाइप नहीं लगाया गया जिनके द्वारा पानी भेजा जाता है यह नलकूप नं0 17 नगलावरी में स्थित है। यहां की टंकी 5 मई, 1975 को बनकर तैयार हो गयी थी लेकिन अभी तक पाइप लाइन नहीं बन पायी है। 29 जून, 1977 को मैंने फिरोजाबाद में एक बैठक बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की थी, जिलाधिकारी ने यह आदेश दे दिया था कि उस पाइप लाइन को 15 अगस्त तक पूरा कर दिया जाये, लेकिन आज 13 सितम्बर है वह पाइप अभी नहीं डाला गया है।

मान्यवर, एक चीज की ओर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि जल निगम और जल कल संस्थान में खींचातानी रहती है। जलकल संस्थान के इन्जीनियर कहते हैं कि फलां कुंए का पानी खराब है तो जल निगम के लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि जल निगम और जलकल संस्थान में सामंजस्य होना चाहिए। फिरोजाबाद में जल निगम का कोई कार्यालय नहीं है। जब जलकल संस्थान के इन्जीनियर को कोई बात जल निगम के अधिकारियों से कहनी होती है तो उन्हें आगरा जाना होता है। मेरा यह निवेदन है कि उनका सीधा सम्पर्क होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शासन सुधार करे। फिरोजाबाद में एक और गड़बड़ी है, जहां इन नलकूपों में 50 और 60 हार्स पावर कनेक्शन के लगने थे लेकिन बिजली 30 हार्सपावर की फिट करायी गयी जिससे नगरपालिका को बड़ा नुकसान हुआ और बाद में 50 हार्स पावर की गयी। इसी तरह से नलकूप नं0 16 है जहां पर जल कल संस्थान की मशीनें नहीं फिट हो पायी हैं लेकिन बिजली पहले से ही लगा दी गयी है और इस कारण मिनिमम चार्जेज उनसे लगातार लिए जा रहे हैं और पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। 29 तारीख को मैंने जिलाधिकारी के सामने कहा था कि इसकी जांच की जाए लेकिन कोई जांच नहीं की गयी। मैं चाहूंगा कि माल्वीय जी ऐसे मामलों में जांच आयोग बैठाएं जो इस तरह के अधिकारी हैं उनको दन्डित करें।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद की हालत ऐसी है कि कोई भी आदमी वहां जाने पर बिना नाक-कान बन्द किए नहीं जा सकता है। वहां पर इतनी दुर्गन्ध आती है कि वहां पर कोई जाना पसन्द नहीं करता है। वहां पर कोई सार्वजनिक शौचालाय नहीं है। यह बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। यहां पर जो श्रमिक बस्ती है वहां पर पाखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जायं। वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। वहां पर कभी डी0 डी0 टी0 का छिड़काव नहीं होता है। यहां पर सीवेज लाइन 1972 में बनकर तैयार हो गयी थी और काश्तकारों की जमीन लेकर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था लेकिन उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि उसे चालू किया जाए। वहां पर एक नहर की व्यवस्था की गयी थी कि जो गन्दा पानी होगा उसे किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वह भी अभी पूरा नहीं हो पाया है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, 2 मिनट और दे दें। फिरोजाबाद में सुन्दरीकरण के नाम पर लगभग 150 लोगों को उजाड़ दिया गया है और जो दुकानें बनायी गयी हैं उन पर 5-5 और 6-6 हजार रुपया प्रीमियम लिया जा रहा है। जिनकी परचून की दुकान थी या इसी तरह की और छोटी-छीटी दुकानें थी उन लोगों से इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं हैं मेरा निवेदन है कि उनसे इस रकम को न लिया जाए।

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

इसके बाद मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आगरा महापालिका में महात्मा गांधी रोड और जमुना के किनारे रोड पर करीब सात सौ लोगों को बेघरबार कर दिया गया था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें बसाने के लिए कुछ ऐसा मुआविजा दिया जाए जिससे वे गरीब लोग जो वहां रह कर अपना जीवन यापन करते थे, उनको बसाने का प्रबन्ध किया जा सके।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

माननीय मन्त्री जी के भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर वर्तमान शासन को "वायदा एक्सपर्ट" की उपाधि दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। अभी तक जितने भी वायदे किए गए, शायद ही उनमें से अमल किसी पर हुआ हो। आज भी मन्त्री जी ने कुछ वायदे किए हैं लेकिन उन वायदों को पूरा करने की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकी है।

चुंगी सीमा की बात, बैरियर्स को हटाने के लिए 2, 4, 6 माह या 5 साल या सात साल की अवधि निश्चित कर दी जाती तो जनता को कुछ आशा हो जाती। आज चुंगी में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। मेरा अनुमान है कि रुपए में 12 आने जो आमदनी होती है, वह नीचे से ऊपर तक लोगों की जेब में चली जाती है। और मुश्किल से 4 आने महापालिका को प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ चुंगी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। आगरा में जो नगरपालिका है वहां पर आलू और अन्य सब्जियां न आ करके राजस्थान और मध्य प्रदेश को चली जाती हैं। वहां आलू, खाने वाले पर अलग दर से चुंगी लगती है और बीज के आलू पर अलग दर से लगती है। इसी तरह से गेहूं खाने वाले और गेहूं के बीज पर अलग दर से चुंगी लगती है। चुंगी पर जो आदमी बैठा रहता है वह आलू खाने वाले को आलू का बीज बता कर चुंगी अदा करा देता है और मामले को रफा-दफा कर देता है जिससे वहां के व्यापारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अभी माननीय मन्त्री जी ने 'स्लम क्लीयरेंस स्कीम' की बात कही जिसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपए की व्यवस्था भी की है। श्रीमन्, आगरा में 77 नगले ऐसे हैं जहां न पीने के पानी की व्यवस्था है, न सड़के हैं, न खं जे की व्यवस्था है, न शौचालय हैं लेकिन दसियों साल के बिल इकट्ठा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बिल के रूप में उन लोगों के पास भेज दिए गए जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं। जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहते हैं। ऐसे लोगों को हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं और भुगतान न करने पर कुर्की आदि की धमकी दी जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह जो 30 लाख रुपए की राशि है यह बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की जो पंच महानगरियां हैं जहां 'स्लम-क्लियरेंस स्कीम' की बात चल रही है, वहां इस राशि को बढ़ाया जाए।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इन वर्गों पर जो टैक्सेज देने के लिए दबाव डाला जा रहा है और जिन्हें किसी प्रकार की नागरिक सुविधायें नहीं दी गई हैं तो अब तक के पुराने टैक्सेज को माफ करने पर सरकार अवश्य विचार करें। ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। आप नागरिक सुविधायें प्रदान कर दें और तब टैक्सेज वसूल करें तो मैं समझता हूं कि कोई गलत बात न होगी।

माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में भवन निर्माण के विषय में प्रकाश डाला। उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि निम्न और कमजोर वर्ग के लिए तथा अल्प एवं मध्यम वर्ग के लिए जो मकान बनाए गए थे, उनमें किसी की छत गिर गई, किसी का फर्श टूट गया, किसी की दीवार बैठ गई। आगरा में ऐसी कालोनी में कुछ लोग रहते हैं। एक पत्रकार ने ठीक ही कहा था कि इन भवनों में रहने वालों को आत्महत्या का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इन मकानों को बनवाने में जो भ्रष्ट अधिकारी लिप्त थे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए तथा आवश्यक जांच भी कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों को दन्डित किया जाए।

आपने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की बात कही है, आशा है कि इन कमजोर और निम्न वर्ग के लिए जिनके पास मकान नहीं है, उनको कम कीमत पर मकान मुहैया किए जायें। लेकिन ताज्जुब होता है। आगरा के अन्दर आगरा विकास प्राधिकरण ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें सराय रुस्तम में जिसमें कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें मकान बनाने की बात कही गयी। वहां पर 150 मकानों में समाज के गरीब लोग, हरिजन, मुस्लिम, जाटव आदि लोग रहते हैं, उन लोगों के मकानों को धराशायी करके आप उनको गृहविहीन करने जा रहे हैं। जिस वर्ग के लिए वहां पर मकान बनाए जायेंगे, उनसे उस वर्ग का फायदा नहीं हो पाता है। इनसे वे लोग ही फायदा उठा पायेंगे जो आपकी शर्तों को पूरा करेंगे और पैसे वाले होंगे। इससे वहां के सैकड़ों मनुष्यों का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वे अपना मकान बनवा सकें। मेरी प्रार्थना है कि वे इस योजना को समाप्त करें ताकि जिन लोगों का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा, वे इससे बच सकें।

वहां पर कुछ नालों का भी निर्माण कराया गया। एक नाले पर साढ़े चार लाख और एक पर 2 लाख रुपया व्यय किया गया लेकिन बरसात की पहली ही झड़ी में वे नाले बह गए। जिस समय वे बन रहे थे तो सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट कराया गया लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। नतीजा यह हुआ है कि लाखों रुपया बरसात में बह गया। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इसकी जांच करवायें और जो अधिकारी और इन्जीनियर इसके दोषी पाए जायें उनको मुअत्तल करके विस्तृत जांच कराई जाय ताकि सही रिपोर्ट सरकार के सामने आ सके।

इस समय आगरा नर्क बना हुआ है। वहां पर हजारों पर्यटक विदेशों से आते हैं। एक ओर तो वे ताजमहल की सुन्दरता को देखते हैं और दूसरी ओर आगरा की गन्दगी को भी देखते हैं तो बहुत ही गलत उनकी इमेज बनती है। जितने भी नाले बने हैं शायद ही किसी की सफाई होती हो। नतीजा यह होता है कि जरा सी बरसात होने

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

पर वे नाले उफन पड़ते हैं। बहुत से गरीब लोग जो उन नालों के किनारे पर बसें हैं उनके मकानों तक में पानी भर जाता है। और जो कीचड़ होता है वह इधर उधर फैल जाता है जिससे उन नालों के पास रहने वालों का जीवन नरकीय जीवन हो जाता है। जब इनकी सफाई के लिए वहां के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया तो उनका कहना था कि नालों की सफाई कराने के लिए शासन के पास स्कीम भेजी गयी है जो कई करोड़ रुपए की है। तो न तो वह स्कीम पास होगी और न वहां पर नालों की सफाई ही होगी।

मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि आगरा नगर में जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं वहां पर जो नाले सड़ रहे हैं उनकी सफाई के लिए एक विशेष योजना बनाई जाय और सफाई कराई जाय ताकि उनके किनारे जो लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं, उनको गन्दगी से कुछ राहत मिल सके।

एक सबसे बड़ी दुखद बात यह देखने में आती है कि रेल की पटरी के दोनों ओर हजारों लोग पुरुष और महिलायें पाखाना कर रही होती है। इससे बड़ी बेपर्दगी होती है लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं क्योंकि वहां पर कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। और है भी तो न वहां पर पानी होता है, न बिजली और न सफाई का ही कोई प्रबन्ध होता है। फ्लश भी बिगड़ी पड़ी हुई है। सीवर से कनेक्टेड हैं लेकिन कोई सफाई नहीं है। जल निगम ने कुछ शौचालयों का निर्माण कराया था लेकिन उनमें इतना गोलमाल हुआ, भ्रष्टाचार हुआ कि एक-एक शौंचालय में आठ-आठ और 10-10 हजार रुपया लग गया, बिल्कुल ड्राइंग रूम बना दिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम कीमत पर ऐसे शौचालय बनाए जायें जहां पर पानी की व्यवस्था हो, बिजली का बल्ब भी लगा हो ताकि लोग आसानी से वहां पर जा सकें और उस सुविधा का लाभ उठा सकें।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है आगरा नगर अन्धकार में डूबा रहता है। वहां पर बिजली के जो पोल लगे हुए हैं शायद ही किसी पर बल्ब लगा हो, वहां पर रोज जरायम बढ़ रहे हैं, दुर्घटनायें होती रहती हैं, लेकिन महापालिका बिजली कर के ऊपर और बिजली घर महापालिका के ऊपर जिम्मेदारी डालकरबरी हो जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता——

आपका समय समाप्त हुआ। अब एक मिनट में समाप्त करें।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल——

जल कर के जो बिल आते हैं उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जल-कर का वाटरवर्क्स में अलग रिकार्ड होता है और महापालिका में अलग रिकार्ड होता है और हालत यह है कि 10-10 साल के पुराने बिल भेज दिए जाते हैं। महापालिका में कुछ एन्ट्री है और वाटरवर्क्स में कुछ है। कर्मचारियों से मिलकर बिलों में तरमीम हो जाती है और वह रकम कर्मचारियों के जेब में चली जाती है।

एक बात की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जो वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स हैं वह 25 साल से वहीं कार्य कर रहे हैं। वहीं सर्विस में आए और वहीं रिटायर हो जायेंगे। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके विरुद्ध कुछ कहे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

हम तो अभी आए हैं। अगर 25 साल से कोई होगा तो....

श्री अधिष्ठाता––

मन्त्री जी यह सब अपने उत्तर में कहेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल––

अब तक कोई कोशिश नहीं की गयी, लेकिन आपने इसको ठीक कर दिया तो आगरे के लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो स्वायत्त शासन के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आभार नहीं, आपका दायित्व है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल––

हमारे माननीय नेता श्यामधर मिश्र बैठे हुए हैं, आपके दल के शासन काल के काले कारनामों का कुछ विवरण देना चाहता हूं। सिसवा बाजार को 1871 में टाउन एरिया का रूप दिया गया है और 1871 के बाद 1971 तक कांग्रेस के प्रशासन में वह टाउन एरिया रहा है और उसके अन्तर्गत 71 तक एक भी सड़कें, चाहे कंकड़ की हों, सीमेंट की हों, चाहे ईंटों की, एक भी नहीं बनायी गयी। कारण यह था कि जमींदारी अभी भी आज भी वहां कायम है। जो नगर क्षेत्र समितियां हैं वहां की जमींदारी नहीं तोड़ी गयी हैं। वह इसलिए नहीं तो ी गयीं कि सारे मठाधीश जो ब े-बड़े जमींदार थे कांग्रेस के प्रशासन में सदस्य के रूप में घुस गए और उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए टाउन एरिया के अन्तर्गत जो आमदनी है, जो तहबाजारी लगती है उसे वसूलते हैं। वह उनके निजी कोष में चली जाती है, वह जनता के कोष में नहीं जाती और न जनता के विकास कार्य में व्यय होती है। इस को अभी तक खत्म नहीं किया गया और वह जमींदारी आज तक नहीं तोड़ी गई है, इससे हजारों रुपया प्रति वर्ष सिसवा टाउन में सरकार की हानि होती है और उससे कोई लाभ जनता को नहीं पहुंचता वह रुपया जो भूतपूर्व जमींदारों के कोष में चला जाता है वह उनसे वापस लिया जाय और यह आदेश दिए जायं कि नगरक्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत सिसवा बाजार की तहबाजारी की वसूली टाउन एरिया करेगा और उसका उल्लंघन करके जितनी धनराशि उन लोगों ने वसूली है, जमींदारों से वसूल कर वह टाउन एरिया के फंड में उनसे लेकर जमा की जाय ।

[श्री शरदा प्रसाद जायसवाल]

वहां की हालत इतनी दयनीय है कि वहां न कोई सड़कों की व्यवस्था है न कुछ है। जब मैंने वहां चेयरमैन का चार्ज लिया था तो केवल 13.60 रुपए मिले थे। आज वहां की आमदनी 1 लाख 20 हजार रुपए हैं और पूरे कस्बे में ईंटों का सोलिंग हो गया है। वहां के जमींदार ने उस कस्बे की तरक्की के लिए कोई जमीन नहीं दी। वह भूतपूर्व राज्य मन्त्री न्याय खाद्य तथा उद्योग के थे। उनका काफी प्रभाव रहा है। मैं शासन से चाहूंगा कि सन् 1971 तक वहां सड़कों आदि के लिए कोई अनुदान नहीं मिला और सन् 1971 से 1976 तक केवल 80 हजार रुपया अनुदान के रूप में मिला। इसलिए वहां चुंगी प्रथा लागू की गयी। अगर यह न किया गया होता तो वहां की हालत और खराब होती। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि समय-समय पर शासन की ओर से जो मलिन बस्तियों की सुधार योजना एवं आवास विकास की योजनायें लागू की गयीं वह वहां केवल जमीन न होने के कारण लागू नहीं की जा सकीं। न ही कर्मशियल ऐक्ट के अनुसार कोई दुकान उस टाउन एरिया के लाभ के लिए बनवायी जा सकी। यह सब केवल जमींदारी न तोड़ने की वजह से ऐसा हुआ। वहां पेय जल व्यवस्था पूरे वार्डो में विशेषकर हरिजन बस्तियों में शासन द्वारा धन स्वीकार कर के मजबूत बनायी जाय।

इतना बड़ा टाउन एरिया जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का जो तराई क्षेत्र है जिसका सम्बन्ध सीधे नेपाल और उत्तर प्रदेश से है वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियों का एक जूनियर हाई स्कूल वहां जो है भी, वह जिला परिषद् की तरफ से है। जिस जिला परिषद् के लोग कांग्रेस प्रशासन में रहते थे और केवल फर्जी बाउचर बना कर पैसा ले लेते थे, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। वहां का रिजल्ट जीरो नम्बर पर आता था। वहां लड़कियों की संख्या केवल 10-15 रहती थी। कोई गार्जियन अपनी बच्चियों को वहां प्रवेश नहीं कराता है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि लड़कियों का वह जूनियर हाई स्कूल टाउन एरिया को सुपुर्द कर दिया जाय और उसको हाई स्कूल और इन्टर मीडिएट की मान्यता दी जाय।

इसके अलावा हमारे यहां जो चकबन्दी व्यवस्था लागू है उसमें हजार, दो हजार एकड़ भूमि जिनके पास है उनसे जो 5-7 परसेंट की कटौती की जाती है उसमें से शौचालय, मूत्रालय, कम्पोस्ट गड्ढों के लिए और मलिन बस्तियों के सुधार के लिए जमीन सुरक्षित करायी जाय क्योंकि जो 20 हजार आदमी वहां बसे हुए हैं उनकी जमीन से जो भूमि कटौती हो रही है उस जमीन को उपरोक्त कार्यों में लगाया जाय। इसके अतिरिक्त पेय जल योजना जिन वार्डों में नहीं है या अपूर्ण है वहां उसको सरकारी खर्च से पूरा कराया जाय ताकि वहां का पिछड़ापन दूर हो। मैं चाहूंगा कि सरकार वहां के लिए शीघ्र ही पेय जल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जभी की व्यवस्था कराने की कृपा करे।

श्री अधिष्ठाता ——

आपका समय समाप्त। जो माननीय सदस्य बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें बार-बार नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। जो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है तथा जो उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज के लिए छूट दिया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का ध्यान अपने जनपद की म्युनिसिपैलिटीज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जिले में जो म्युनिसिपैलिटी हैं, वहां पर एक ही तरह के मकान बने हुए हैं और जिनके मकान बने हुए हैं, वे न तो जमीन खरीदे हैं और न जमीन का पट्टा ही लिया है। मान्यवर, वहां पर श्री चन्द्रिका प्रसाद और श्री तारकेश्वर जी जो भूतपूर्व कांग्रेसी सांसद हैं। हर साल वहां पर कागज पर सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं रहता है। हमारे बलिया में जो एक बार चेयरमैन बन जाता है वह एक सिनेमा हाल बनवाता है। हमारे जनपद में दो भूतपूर्व चेयरमैन जो थे उन दोनों ने दो-दो सिनेमा हाल बनवा लिया हैं। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात की जांच करें और जो लोग दोषी पाए जायं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। मान्यवर, वहां पर बलिया में शौचालय के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है और न लाइट की ही कोई व्यवस्था है। स्वायत्त शासन विभाग इस तरफ ध्यान दे और जो बलिया की ऐसी स्थिति है, उसको बदलने की कृपा करें।

मान्यवर, बलिया ऐसा जिला है जहां के माननीय चन्द्रशेखर जी तथा माननीय जय प्रकाश जी हैं। आज वह एक उपेक्षित जिला है। मान्यवर, एक विशेष परिस्थिति मानकर उस जनपद के विकास के लिए, म्युनिसिपैलिटी में एक नयी योजना लागू की जाय ताकि वह लोक नायक जय प्रकाश का जिला प्रदेश में एक विशेष स्थान पा सके। वहां पर बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा साइकिल पर टैक्स लगाया गया है, जिससे वहां के म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों और विद्यार्थियों में आए दिन झगड़ा हुआ करता है। मान्यवर,वहां पर जो साइकिल पर टैक्स लगाने की व्यवस्था है, उसको माफ करने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे जिले में जो नाले हैं उनमें बहुत ज्यादा सड़न है, उनकी सफाई नहीं होती है। वहां पर जो सड़कें हैं, आम रास्ते हैं, वे भी गन्दे रहते हैं। जो स्वीपर हमारे यहां पर तैनात हैं, चाहें बलिया में, चाहें चितगांव में तैनात हों, चाहें उनकी तनख्वाहें कम हों या और कोई कारण हो सकता है, वे सफाई नहीं करते हैं, वहां पर पूरी की पूरी सड़क गन्दगी से भरी पड़ी रहती है। सड़क के पक्के निर्माण के नाम पर बहुत से धन का गबन किया। मान्यवर, इसी तरह से तमाम कांग्रेसी लोग हैं, जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं और गलियों में अपने-अपने मकान बनवा रहे हैं। मान्यवर, अगर इसको देखा नहीं गया, रोका नहीं गया, तो गलियों में बड़े-बड़े लोगों के मकान खड़े हो जायेंगे।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

मान्यवर, हमारे जनपद में जो मकान का किराया निर्धारित होता है, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके तो मकान नियन्त्रण में आ जाते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके जो मकान हैं, जो पचासों वर्षों से बने हुए हैं उनके ऊपर किराया नियन्त्रण को नहीं लागू किया गया है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े लोगों के मकान बने हुए हैं उनको भी किराया नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया जाय। इसके अलावा जिनके पास मकान नहीं हैं, उनके लिए रहने के लिए मकान दिए जायं।

दूसरी बात मैं दवा के छिड़काव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हर साल हजारों रुपया इस काम के लिए सरकार से लिया जाता है लेकिन आज तक वहां न तो कोई दवाई छिड़की गई है और न स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई काम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि बलिया शहर की हालत नरक के समान हो गयी है, म्युनिसिपैलिटी की कुव्यवस्था के कारण। अत: मैं आपके माध्यम के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि बलिया म्युनिसिपैलिटी और जो वहां म्युनिसिपैलिटियां हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय और उनको स्वच्छ बनाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर उनको सुन्दर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। मान्यवर, मेरा विचार है कि जो नीति की घोषणा है उसमें 30 वर्षों में कोई बुनियादी फर्क नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नीति यह है कि व्यक्ति के रूप में, राष्ट्रीय लक्ष्य, सबसे गरीब आदमी का विकास करना है। जय प्रकाश जी ने जिसे अन्तोदय कहा है। व्यक्ति के रूप में राष्ट्र का ध्यान ऐसे व्यक्ति के विकास के लिए जाना चाहिए जो सबसे पिछड़े हैं। वही सिद्धान्त इन संस्थाओं के सम्बन्ध में लागू होता है। जो छोटी इकाइयां हैं, चाहे गांव की हैं या नगरपालिकायें हैं, यहां से विकास शुरू होना चाहिए। हमारे देश के तीन प्रमुख व्यक्तियों ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ इन संस्थाओं से किया। आचार्य नरेन्द्र देव जी फैजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, श्री जवाहर लाल नेहरू और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, यह ऐसे प्रमुख लोग थे जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ नगरपालिका के अध्यक्ष से किया। लेकिन देखा जाय तो 1947 के बाद इन स्थानीय निकायों का ह्रास होता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि अगर श्यामधर मिश्र जी को कहा जाय कि टाउन एरिया के अध्यक्ष या एम0 एल0 ए0 में से किस पद को पसन्द करेंगे तो अध्यक्ष बनना वह पसन्द नहीं करेंगे। अगर मालवीय जी से कहा जाय कि इलाहाबाद के मेयर बनना पसन्द करेंगे या एम0 एल0 ए0, तो एम0 एल0 ए0 बनना वह पसन्द नहीं करेंगे। कारण यह है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद कमजोर है।

हमारा कहना तो यह है कि हम स्थानीय निकायों को मजबूत बना रहे हैं लेकिन इनका जो ढांचा है वह टूटता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि स्वायत्त शासी संस्थाओं से बेसिक शिक्षा को ले लिया गया। बेसिक शिक्षा का काम नगर पालिकाओं के हाथ में था। उनसे यह ले लिया गया जो उनकी आमदनी का मुख्य साधन था। अब जल निगम बन जायगा तो वाटरवर्क्स चले जायेंगे। इससे आमदनी कम होगी।

कुछ इनको आमदनी नक्शे वगैरह से होती थी तो अब इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, डी0 डी0 ए0, आवास विकास के कारण कम हो गई है। चुंगी से इनको काफी आमदनी होती है लेकिन अब इस सम्बन्ध में दूसरी नीति की घोषणा की गई है। मुझे नहीं मालूम कि मालवीय जी किस बात के लिए इस विभाग को रखे हुए हैं। क्योंकि मान्यवर, जो शक्तियां स्वायत्तशासी संस्थाओं की बुनियाद थीं, उनको मिलनी चाहिए थीं, राष्ट्रीय उत्थान की जो प्रथम सोपान थीं, जिस पर हम राष्ट्र के विकास की बुनियाद डाल सकते थे, 30 वर्षों के अन्दर वह शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं। इन संस्थाओं के आमदनी के साधन समाप्त होते जा रहे हैं। यह चल किस बुनियाद पर रही हैं? जो मदद सरकार से विभिन्न ईकाइयों को मिलती है उससे ज्यादा एक साल में ब्याज देना पड़ता है। नगरपालिका, मेरठ या बलिया में जो सहायता जाती है उसका ब्याज जो है वह मदद से ज्यादा है।

मैं मान्यवर, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आंकड़े साहित्य में मिले हैं वह यह हैं—1 करोड़ 20 लाख और कुछ हजार रुपया 1975-76 में ब्याज देना था और 1977-78 में 2,12,14,400 रु0 ब्याज का देना पड़ेगा। इस प्रकार जो मदद आती है वह ब्याज में देना पड़ता है। तो फायदा टैक्स इक्ट्ठा करने का क्या हुआ? डा0 लोहिया कहते थे कि सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धान्त चौखम्भा राज्य है और आचार्य नरेन्द्र देव कहते-कहते मर गए कि इस राष्ट्र का यदि निर्माण करना है तो स्थानीय इकाईयों को मजबूत करना होगा। हमारा तो समाजवादी समाज निर्माण करने का इरादा है लेकिन जो बजट बनता है वह उसके मुताबिक नहीं बनता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के निर्माण का मष्तिष्क में जो इरादा होता है वह बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उसको जब कार्यान्वित करना पड़ता है तो वह पुराने बजट को देखकर इधर-उधर करके बना देते हैं। मुझे मालवीय जी से निवेदन करना है कि उनको अधिकार मिले हैं तो चाहे बजट हो या बहस हो या और कारण हों सब में हमको निर्माण कार्य करना चाहिए। यदि इस विभाग को रखना है तो उसको पंगु क्यों बनाया जाय? लखनऊ से सहायता चले और घूमते-घूमते कुछ रास्ते में सूख जाय और उनको ब्याज देना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राज्य को आमदनी टैक्स से होती है उसका एक हिस्सा यदि नगरपालिका को दे दें तो वह बुनियादी निर्माण होगा।

मान्यवर, मैं मालवीय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डा0 लोहिया जी के सिद्धान्त को यदि वह नहीं लागू करेंगे तो कौन लागू करेगा? राज्य की चौथी आय का हिस्सा यदि नगरपालिकाओं को मिले तो वह प्रथम सोपान निर्माण का होगा। उसकी कोई इंट रखी जा सके जिसको सामने वाले न रख सके तो हमारे मित्र उसको रखें।

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

इसलिए मान्यवर, जो साहित्य का गोरखधन्धा है उस पर आज बहुत बहस हुई है। हमारे मित्रों को समाजवाद दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमको अपनी राष्ट्रीय नीति को, सरकार की राष्ट्रीय नीति को लागू करना होता है और इसके लिए नौकरशाही को बताना पड़ता है कि उसको किस तरह लागू करें। यदि यह नहीं होगा तो नौकरशाही ने समाजवाद नहीं पढ़ा है। वह एक सरकमस्टान्सेज में पैदा हुआ है इसलिए उनको एक दूसरा रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसलिए कोई ग्रान्ट आए तो हमारे मन्त्रीगणों को निर्देश देना चाहिए कि किस दिशा में चलना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी तस्वीर है स्थानीय विकास की तो उसके अन्तर्गत अलग-अलग योजनायें बनती हैं। और उन सारी की सारी योजनाओं को एक बड़ा विराट रूप होकर छोटे रूप में विकृत कर दिया जाता है। हमारे यहां एक योजना है गन्दगी की योजना। यहां एक योग्य इंजीनियर रहे जिन्होंने उसके लिए योजना बनायी थी। हमारे यहां सबसे गन्दगी की चीज है और जिसको लोग सुबह निकल कर देखते हैं और वह है कि सड़कों पर लोग टट्टी करते है, गलियों में लोग टट्टी करते हैं। लेकिन इस गन्दगी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सिरों पर लोग टट्टी उठाते हैं। अंग्रेज सुबह सात बजे निकलता है तो यह देखकर वह कहता है कि यहां दो ही चीजें है या तो टट्टी करने वाले लोग हैं या ढोर हैं जो सड़कों पर और गलियों में घूमते फिरते हैं और जगह-जगह गोबर करते हैं। जैसा मैंने कहा यहा एक बड़े इन्जीनियर रह गए हैं जिनका नाम मिस्टर राय था। उन्होंने एक योजना बनायी थी जिसके अनुसार सस्ते ढंग से हर गांव में, हर नगरपालिका में टट्टी की व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन पीछे बैठे नौकरशाही के लोगों ने उत्तर प्रदेश से उनको भगा दिया क्योंकि छोटी योजना लागू करते तो बड़ी योजनाओं में जो रुपया खाने को मिलता है वह न मिल पाता। उनकी ही योजना इन्डोनेशिया में लागू हो गयी, ईरान में लागू हो गयी, यूरोप में लागू कर दी गयी। लेकिन उस व्यक्ति को हमारे यहां की ब्युरोक्रेसी ने किक कर दिया। मैं अपने मित्र और नेता मालवीय जी से कहूंगा कि उनके पास वह विभाग है, जिसमें समाजवाद के दर्शन जनता को करा सकते हैं। उनको इस बात के लिए लड़ना चाहिए और हम उनका साथ देंगे कि नगरपालिका, स्वायत्त शासन की इकाई को राजस्व का चौथाई भाग मिलना चाहिए क्योंकि यह इकाई समाजवाद की प्रथम सोपान है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। स्वायत्त शासन विभाग के इस आय और व्यय के बजट पर मैंने अपने मित्र मालवीय जी के भाषण को सुना और मुझे बड़ी निराशा हुई। उस पार्टी से जो समग्र क्रान्ति की बात करती है उसके द्वारा विशेषरूप से उन मुद्दों पर उपेक्षा का भाव रख कर और उनको बजट भाषण में न रख कर कथनी और करनी में फर्क वाली बात सिद्ध होती है। मैं देख रहा हूं कि इस बजट में अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात स्वायत्त संस्थाओं में नहीं रखी गयी है। मैं चाहूंगा कि जो परसेन्टेज कम है या आरक्षण पूरा नहीं है वह कम से कम उनके शासन काल में, मालवीय जी मेरे मित्र हैं, पूरा होना चाहिए। उनके बजट भाषण में सफाई मजदूरों की ओर भी

कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके वेतन क्रम और आवास की समस्या है। पिछली सरकार ने यह किया था कि जो पिछले दस पन्द्रह वर्ष से मकान में रह रहे हैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत मूल्य लेकर उनके नाम उस मकान को कर दिया जाय। इस बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। 334 टाउन एरिया, 47 नोटीफाइड–एरिया की कमेटी, 174 नगरपालिका और 5 नगर महापालिकायें हैं वहां पर मलिन बस्तियों की समस्या है लेकिन इसके लिए केवल 30 या 40 लाख रुपए का प्राविधान किया मया है जो नाकाफी है। यह बात सर्वविदित है कि हमारे शहरों में मलिन बस्तियां एक दाग की तरह हैं, एक कलंक हैं। उनका सुधार होना चाहिए। बजट में कुछ ऐसी चीजें रखी गयी हैं जिनका स्वागत तो मैं करता हूं लेकिन उनको कार्य रूप में परिणित करने के लिए कितना समय लगेगा इसका जिक्र नहीं है। बैरियर टैक्स की ही बात है। घोषणा तीन महीने पहले से हो रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अभी तीन महीने नहीं हुए सरकार को बने हुए। कुल 77 दिन हुए हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं माने लेता हूं। थोड़ें से दिन कम हैं। ढाई महीने से घोषणा हो रही है। कब तक कर पायेंगे, कोई निश्चित समय बजट भाषण में इंगित नहीं किया। दूसरी बात जो 10-10 वर्ष के पुराने मकान हैं, उन पर 15-15 वर्ष का हाउस टैक्स लगाया गया है और उसकी माफी की बात चल रही है। उन पर भी माननीय मन्त्री जी को कुछ न कुछ करना चाहिए क्योंकि वहां पर नागरिक सुविधायें आज तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनसे हाउस टैक्स की वसूलयाबी की बात चल रही है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं कि स्वायत्त संस्थाओं में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, उस पर भी मन्त्री जी ने कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की। तो उसको भी देखना चाहिए।

मान्यवर, विकास प्राधिकरण (जो अभी पांच बनाए गए हैं) उनके बारे में कहना है कि उनकी प्लानिंग बड़ी डिफेक्टिव है क्योंकि विकास प्राधिकरण के द्वारा जो बने हुये मकान छोटे-छोटे लोगों को दिए जा रहे हैं, उनकी कास्ट इतनी अधिक है कि वह छोटे लोगों के लिए हो पाना सम्भव नहीं है। डेवलपमेन्ट चार्जेज के साथ एम0 आई0 जी0 की कास्ट 30/35 हजार के करीब और एल0 आई0 जी0 की तो 20/30 हजार से भी ऊपर है। तो इस योजना में कहीं न कहीं दोष है और इसके कारण सिंगिल स्टोरी की कास्ट भी ज्यादा पड़ती है। उस पर मन्त्री जी कृपया पुन: विचार करें कि लोगों को 2/2 या 3/3 स्टोरी के मकान सस्ते दाम पर मिलें। अगर योरोपियन स्टाइल में देखें तो दिल्ली में छोटी-छोटी लाइन में मकान बहुत कम दाम में प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि भूमि अधिग्रहण का खर्च और डेवलपमेन्ट चार्जेज का खर्च 3/4 में डिवाइड हो जाता है।

[श्री गुलाब सेहरा]

दूसरी बात यह कहना है कि जो नए प्राधिकरण मथुरा, वृन्दावन और बरेली आदि में बनाया है, उसमें मथुरा-वृन्दावन के बारे में यह कहना है कि यहां पर काफी यात्री आते हैं और विदेश के लोग भी आते हैं। वहां पर कुल 25 लाख रुपए जो रखा गया है, वह मेरी दृष्टि में कम है। वह धार्मिक स्थल भी है और वहां के लोगों को धार्मिक लगाव भी है और ऐतिहासिक स्थान भी है। इसलिए वहां कुछ अधिक रुपया लगाया जाना चाहिए ताकि वहां की खूबसूरती और सौन्दर्यीकरण को बढ़ाया जा सके।

दूसरी बात यह कहना है कि जल निगम का कार्य इतना सुस्त है कि जल निगम की पेय जल की योजनाओं को आज तक कार्यरूप में कहीं नहीं कर पाए हैं। इसका कार्य पर्वतीय क्षेत्र में भी उतना सन्तोषपूर्ण नहीं रहा है, जितना कि होना चाहिए। बुन्देलखंड के इलाकों की भी यही स्थिति है। आगरा में 24 घंटे में केवल 3 घन्टे पानी मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि आगरा जो राजस्थान के करीब है, वहां पर जल निगम द्वारा यमुना वैराज की योजना थी जिसमें पेय जल की सुविधा मिलनी चाहिए थी लेकिन इस योजना का प्रारूप बन चुका था, वह पता नहीं क्यों ड्राप कर दिया गया ? उससे आगरा जिले की पानी सिंचाई और पेय जल की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जल निगम के बारे में रायबरेली की बताना चाहता हूं। वहां पर 24 घंटे में केवल दो घंटे पानी आता है। अत : यदि जल निगम की तरफ तेजी से काम करने के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी निर्देश दें, तो वह ज्यादा मुनासिब होगा और इससे विभिन्न क्षेत्रों की पेय जल की समस्या जैसे बुन्देलखंड और राजस्थान के करीब के स्थानों की पेय-जल की समस्या आसानी से हल हो सकेगी। सिवेज की व्यवस्था की बात है। कितने ही शहर ऐसे हैं जहां दो-दो साल से सिवेज लाइन खुदी पड़ी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। मुझे जानकारी है आगरा शहर की, मथुरा की और रायबरेली की। वहां पर सिवेज लाइन खुदी पड़ी है लेकिन पूरी नहीं हो सकी है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की ओर से मकान बनाने वालों को ऋण दिया जाता है लेकिन उसके पास मुद्रा नहीं है। मैं कहूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जाय और जो मकान बनाना चाहते हैं उन्हें रुपया उपलब्ध कराया जाय।

एक बात मुझे यह कहनी है कि यह पुस्तिका मैंने देखी है और इसे देखने पर मुझे महसूस हुआ कि सौन्दर्यीकरण की उपलब्धी है उसे स्वायत्त शासन मन्त्री जी अपने ऊपर ले लेते हैं। पिछली सरकार ने सौन्दर्यीकरण पर जो रुपया खर्च किया था शासन को उसकी देख-रेख में जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं आगरा की बात करना चाहता हूं। वहां सुन्दरीकरण पर एक करोड़ चौदह लाख रुपया खर्च हुआ जिससे महात्मा गांधी रोड से ले कर यमुना किनारे तक का स्थान बहुत खूबसूरत हो गया लेकिन उसकी देख-रेख बिल्कुल नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि वहां पर ट्रान्सपोर्ट नगर की व्यवस्था की गयी है लेकिन सरकार की ढीली नीति के कारण ट्रान्सपोर्टर आज भी शहर में जमे हुए है। विशेषरूप से मैं आगरा की एक बात कहना चाहता हूं। यमुना का किनारा पिछले वर्षों से ट्रान्सपोर्ट केन्द्र रहा है। जब उनका ट्रान्सपोर्ट नगर बन गया है तो छोटे-छोटे कारीगर

जो रिपेयर करने वाले हैं वे तो शिफ्ट हो गए लेकिन बड़े-बड़े ट्रान्सपोर्टर ठेले वहीं खड़े करते हैं और सौन्दर्यीकरण पर जो रोड बनाए गए थे वे धीरे-धीरे खराब होते जा रहे हैं। सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में शहर में ट्रैफिक बत्तियों की व्यवस्था की गयी थी लेकिन मैं जानता हूं कि उन बत्तियों की देख-रेख नहीं हो रही है। कोई जलती हैं कोई नहीं जलती हैं। इस तरह की स्थिति आ रही है।

भ्रष्टाचार के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि शायद मालवीय जी का दृष्टिकोण बदल गया है। मुझे पिछले सत्र की बात याद है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आपने मेरा भाषण नहीं सुना....

श्री गुलाब सेहरा—

एक अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ मालवीय जी ने उसकी भ्रष्टाचार की शिकायत गवर्नर से की, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। वह एक डिप्लोमा होल्डर भी नहीं था। बी0 ई0 नहीं था। हो सकता है आपका दृष्टिकोण बदल गया हो। और आज मन्त्री जी की कलम से वह चीफ इन्जीनियर हो गया है इलाहाबाद में जिसके खिलाफ उन्होंने खुद प्रदर्शन किया, खुद लिखा। आगरा की एक घटना बताना चाहता हूं। एक सड़क सार्वजनिक जनता ने, क्षेत्रीय जनता ने श्रमदान द्वारा बनाई। नगरमहापालिका ने ठेका दिया लेकिन बीस हजार रुपए का इस श्रमदान का भी ठेका जाली कागजों में दिखा कर खा लिया। मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रुख अपनायें, दृष्टिकोण को न बदलें, वही दृष्टिकोण रखें जो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश—

स्थानीय निकायों के बारे में आज प्रस्तुत बजट पर हम लोग विचार कर रहे हैं। वास्तव में, मान्यवर, जैसा हम लोग जानते हैं, स्थानीय निकाय लोकतन्त्र की मुख्य धारा है और जितनी भी नागरिक सुविधायें हैं वे सब इसी माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। चाहे हमारे नगर की स्वच्छता का सवाल हो, पीने के पानी का सवाल हो, सीवर, सड़कों एवं उद्यानों का सवाल हो—ये सारी की सारी सुविधायें नगपालिकाओं एवं टाउन एरियाज से प्राप्त होती हैं और इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि नगरपालिका प्रशासन में सुधार किया जाय, नया रूप दिया जाय और ऐसी योजनायें प्रस्तुत की जायें जिससे जो वर्तमान प्रशासन है उसे अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सके। इसके लिए सबसे पहला कदम जो सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

की ओर से उठाया गया वह यही था कि सारी नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों में नए चुनाव कराए जायें। नए चुनाव के जरिए से नए लोगों को आने का अवसर मिलेगा, नई भावनाओं के साथ वे आयेंगे। चुनाव का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है। सभी लोग उसमें सहयोग देंगे ताकि चुनाव निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण ढंग से निष्पादित हो सकें। स्वायत्त शासन के नए चुने हुए लोग नया कार्यभार सम्भालेंगे और उसके साथ एक नई व्यवस्था तथा नया युग प्रारम्भ होगा।

इसमें एक विशेष बात तो यह है कि अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा होगा और अध्यक्ष जनता के प्रति जिम्मेदार होगा और जैसी लोगों ने भ्रष्टाचार की बात कही है अध्यक्ष उसे रोकने के लिए जिम्मेदार होगा। चूंकि अध्यक्ष जनता से सीधे चुना जायगा और मैं समझता हूं इस बार इससे स्वायत्त शासन प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है उसके द्वारा भ्रष्टाचार में जरूर कमी आएगी। इसके अलावा महापालिका में दो सदस्यीय वोर्ड तथा नगरपालिका और टाउन एरियाज में एक सदस्यीय वोर्ड बनाए गए हैं। इससे जन प्रतिनिधियों को आने में सुविधा होगी। तमाम समस्यायें जो अभी तक रुकी पड़ी हैं नए बोर्ड आ जाने पर उनको प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो अब तक प्रस्तुत नहीं हो सकी थीं।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि म्युनिपैलिटीज में परिसीमन नहीं हुए, पुराने जमाने के परिसीमन हैं जो गलत-सलत हैं तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है इस पर वह प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। वह जिक्र करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश—

वर्तमान चुनाव में जो परिसीमन हैं उन्हीं के आधार पर होंगे और इन चुनावों के बाद जो फिर से परिसीमन होंगे उनमें जो सुझाव होंगे अथवा कठिनाइयां होंगी उन पर विचार किया जा सकेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

नगरपालिका तथा टाउन एरियाज में एक सदस्यीय बोर्ड तथा महापालिका में दो सदस्यीय बोर्ड क्यों रखे गए हैं ?

श्री सत्य प्रकाश—

सदस्य महोदय जानते होंगे कि इन क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या कम हो गयी थी और प्रतिनिधित्व अधिक देना था आबादी के हिसाब से इसलिए उसे बढ़ा दिया गया है और बाकी सब जगह आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व ठीक है। महापालिकाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है।

मेरा सम्बन्ध ज्यादातर पेय जल योजनाओं से है। केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण से विदित होगा पेयजल की व्यवस्था को विस्तृत करने के लिए वचनबद्ध है। वैसे तो जल सुविधाओं को विस्तृत करने के लिए जल निगम

की स्थापना 75 में कर दी गयी थी लेकिन अब इसके कार्य को और भी विस्तृत किया जा रहा है और इस हेतु 1977-78 के लिए एक विस्तृत कार्य क्रम तैयार किया गया है। अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाय तो आप इस सम्बन्ध में ज्यादा जान सकेंगे। जो 1977-78 का कार्यक्रम तैयार किया गया है उसके अन्तर्गत नगर जल आपूर्ति योजनायें हैं, सीवर की स्कीमें हैं और जल आपूर्ति की योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं और जहां 20 हजार से कम आबादी है वहां जल व्यवस्था पहले की जायगी।

इसके अलावा ऐसे गांव जो अभावग्रस्त हैं जहां जल का अभाव है जैसा कि मेरे एक बन्धु ने कहा कि जहां पहले से जल है वहां जल की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे गांवों को पहले लिया जाएगा, जहां जल नहीं है।

इसके अतिरिक्त कुछ मलउपयोगी योजनायें हैं जिनके बारे में इस वर्ष कार्य किया जाएगा। दूसरा है आई0 डी0 ए0 इन्टरनेशनल डेवलपमेंट आथेरिटी के द्वारा जल आपूर्ति। इसमें 5 महानगरों में सीवेज की व्यवस्था का कार्य किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा और उसमें जो खराबी पैदा हो गई है सफाई आदि न होने के कारण उसे ठीक किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त तीन जल संस्थान गढ़वाल, कुमायूं और झांसी इसमें भी सीवेज की व्यवस्था अभी तक नहीं है वहां भी सीवेज की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 30.32 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है और 184 नगरों में पेय-जल की पूर्ति हो चुकी है। ग्रामीण पेय जल योजना में 48 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है और 5,807 गांवों को शुद्ध जल दिया जा रहा है।

सीवर की योजनाओं पर 11.72 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त जल निगम और विश्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें जल पूर्ति एवं सीवेज योजनाओं में 60 करोड़ रुपया व्यय होगा। इस 60 करोड़ रुपया में से मान्यवर, 32 करोड़ रुपया विश्व बैंक देगा, 18 करोड़ एल0 आई0 सी0 और 10 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार देगी। इस प्रकार 60 करोड़ रुपया की योजना तैयार की गई है। वर्ष 1977-78 में 2062 ग्राम मैदानी क्षेत्र में और 2824 ग्राम पर्वतीय क्षेत्रों में जल व्यवस्था की जाएगी। 1971 की जनगणना के अनुसार 1,12,561 ग्राम प्रदेश में हैं इनमें से 35506 ग्राम ऐसे हैं जो जल की दृष्टि से अभावग्रस्त कहलाते हैं। इसमें से 27735 ग्राम मैदानी क्षेत्र में हैं और 7771 ग्राम पर्वतीय क्षेत्र में हैं। वर्ष 1976 में 2824 ग्रामों में जल व्यवस्था की गई इसमें 240 व 300 ग्रामों में और व्यवस्था हो गई है और 1977-78 के लिए 945 ग्रामों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की है जिसमें से 345 पहाड़ी क्षेत्रों में और 600 मैदानी क्षेत्रों के गांवों में हैं।

[श्री सत्य प्रकाश]

इसके अतिरिक्त आई0 डी0 ए0 कार्य क्रम के अन्तर्गत 255 ग्राम और पूर्ण हो जायेंगे। 155 हिल एरियाज में और 100 बुन्देलखंड में। 1977-78 में जल निगम ने 62 करोड़ 50 लाख का बजट बनाया है।

इसके अलावा अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा देखें तो वह इस प्रकार है जिसमें निम्नलिखित स्कीमें हैं :—

अल्मोड़ा में 126 योजनायें, पिथौरागढ़ में 182 योजनायें, नैनीताल में 63 योजनायें और इन पर कुल 23 लाख 87 हजार रुपया का कार्य होगा। गढ़वाल जल संस्थान में निम्नलिखित योजनायें हैं—देहरादून, पौड़ी, उत्तर काशी, टेहरी और चमोली इस पर 31 लाख 11 हजार रुपया खर्च किया जाएगा।

झांसी जल संस्थान में—झांसी में 3, ललितपुर में 4, जालौन में 5 और बांदा में 5 इसमें 25 लाख 76 हजार रुपया व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाराणसी में 16, जौनपुर में 10, गाजीपुर में 19, इलाहाबाद में 19, मिर्जापुर में 10, कानपुर में 2 और सहारनपुर में चार योजनायें हैं जिनमें कुल मिलाकर 33 लाख 60 हजार 300 रुपया व्यय किया जाएगा, इस प्रकार कुल मिलाकर पूरा व्यय 1 करोड़ 14 लाख 34 हजार होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के पूरे ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति का प्रबन्ध अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में किया जाएगा। अभी तक इतना विस्तार कभी नहीं हुआ। पिछले एक और दो वर्षों में जब से जल निगम की स्थापना हुई है यह सम्भव हो सका है। कोई कार्य क्रम शुरू करने से पहले विस्तृत योजना तैयार करनी पड़ती है। आगामी 1980 तक हमें क्या-क्या करना है उसके लिए भी खाका बनाया गया है और जितनी आबादी बढ़ रही है उसमें जल पूर्ति के लिए योजनायें तैयार कर रहे हैं और इस काम के लिए साढ़े 7 करोड़ रुपए तक की योजनायें बना रहे हैं जो कि सन् 1985 तक पूरी होंगी। इस तरह से इतना बड़ा कार्य-क्रम लेकर जल निगम और यह शासन चल रहा है।

'नोडा' दिल्ली के पास जो नई औद्योगिक बस्ती है, उसमें 5 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल का इन्तजाम हो रहा है। उसमें काफी कम नीचे में ही पानी आ जाता है, अत: उसको निकाल कर वहां सीवर बनाए जा रहे हैं। पहले यह होता रहा है कि सीवर बनाए गए और पानी आ गया तो वह सीवर बैठ जाता था और पैसा बर्बाद चला जाता था। इसलिए पम्प्स द्वारा पानी निकालकर नए ढंग से वहां सीवर डाले जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की पेयजल व्यवस्था में जब अभी हाल में संकट पैदा हुआ, तो उत्तर प्रदेश जल निगम उसमें मदद दे रहा है। मुरादनगर के शाहादरा तक हिन्दन नदी को पार करते हुए 2800 एम0 एम0 की 25 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन को 10 करोड़ रुपए की लागत से वहां डाला जा रहा है। यह काम भी उत्तर प्रदेश जल निगम कर रहा है।

जल प्रदूषण की भी एक बड़ी समस्या है। नालों में कारखाने वाले अपने यहां का गन्दा पानी डाल देते हैं, उसको भी रोकना आवश्यक था। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद संगम में—गंगा और यमुना नदियों में गिरने वाले 11 नालों को रोक दिया गया है। अब इलाहाबाद संगम और वाराणसी में पानी बहुत स्वच्छ हो गया है और उसको आप पिएंगे तो वह अब उतना गन्दा नहीं होगा। जल शुद्ध हो गया है और **निरन्तर शुद्ध होता चला जा रहा है।**

बड़े-बड़े नगरों में जो नित्य कूड़ा इक्ट्ठा होता है, उसकी भी समस्या थी। मैंने पिछले दिनों में मालूम किया था। कानपुर नगर में यह समस्या विकराल रूप से पैदा हो गई है कि उस कूड़े को कहां डाला जाए। 10-10, 11-11 किलोमीटर तक उसे ले जाना पड़ता है, उसके बाद भी उसको जमा करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान) इस समस्या को हल करने के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है और इसके लिए लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा आगरा के पांच नगरों में मशीनें लगाई जा रही हैं। इसके अन्तर्गत एक तरफ मशीन में इक्ट्ठा किया हुआ कूड़ा डाला जाएगा और दूसरी तरफ से खाद तैयार होकर निकलेगी। जो खेतों में जाकर प्राकृतिक खाद का काम करेगी और उपज बढ़ाएगी। लखनऊ में इस हेतु जो संयन्त्र लग रहा है, साढ़े 63 लाख रुपया उसकी कीमत है, इसमें 100 मीट्रिक टन खाद नित्य बनेगी। इसी तरह से कानपुर वाले संयंत्र से 2 सौ मीट्रिक टन खाद बनेगी और 122 लाख रुपया उसकी लागत आएगी। वाराणसी और आगरा में भी 100-100 मीट्रिक टन का संयंत्र लग रहा है, जिसकी प्रत्येक की लागत 69 लाख 30 हजार रुपए होगी।

एक सदस्य——

बरेली की बताइये ?

श्री सत्य प्रकाश——

बरेली अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। (व्यवधान) जैसा अभी हमारे मन्त्री जी ने बताया था विदेशी वर्ल्ड बैंक के अलावा हालैन्ड की डच सरकार भी उत्तर प्रदेश में इसके लिए सामने आयी है। उन्होंने इलाहाबाद, रायबरली और वाराणसी के कुल 1250 ग्रामों में स्वच्छ पेय जल पहुंचाने के लिए 9 करोड़ 65 लाख रुपया देने का वायदा किया है। आशा है कि दिसम्बर, 1977 तक उनसे अनुबन्ध हो जायगा और उसके बाद शीघ्र ही यह कार्य क्रम भी शुरू कर दिया जायगा। इलाहाबाद के 767 ग्राम, वाराणसी के 267 ग्राम और रायबरेली के 199 ग्राम, इस तरह से कुल 1233 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। लखनऊ हमारी राजधानी है। यहां पर भी जलकल 1894 में स्थापित हुआ था। तब आबादी 2 लाख थी और केवल 14 लाख रुपए से जल व्यवस्था शुरू की गयी थी। इस समय आबादी पांच गुनी हो गयी है। यहां पर कार्य जो होता है चार-चरणों में होता है। गऊघाट से कच्चा जल ऐशबाग ले जाया जाता है। वहां सेटलिंग टैंक है। वहां फिल्टर का कार्य होता है और स्वच्छ जल नगर में दिया जाता है।

*श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)——

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि घायल तहसील में आलमचन्द और चरवा में जो पेयजल की स्कीम चल रही है, उसका इंजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

एक घंटे में गरम हो जाता है । उसके लिए सरकार को लिखा गया । क्या कारण है कि नहीं बन रहा है जिससे किसानों और गांवों के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है ? दूसरे इलाहाबाद चल कर माननीय मन्त्री जी वहां जो स्कीमें चल रही हैं, उनको देखें ।

श्री सत्य प्रकाश--

लखनऊ के बारे में बता रहा था। यहां भी लगभग 17 करोड़ रुपए की योजनायें बनायी जा रही हैं। शीघ्र ही उन क्षेत्रों में जहां पानी का अभाव है, धीरे-धीरे करके अभाव दूर हो जायगा। कुछ नए कुएं बनाए जा रहे है। कुछ वाटर टैंक्स का कार्य है। उनमें पानी ऊपर नहीं जा पाता। पानी ले जाने के लिए टंकियों के नीचे बड़े-बड़े रिजर्वायर्स बनाए जायेंगे और उन्हीं रिजर्वायर्स से टंकियों में पानी जायगा। मैंने इसके बारे में देखा, टंकियां बनी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं जाता है । इतने अच्छे इंजन नहीं हैं जो पानी ऊपर पहुंचा दे। मेन लाइन्स से साइड लाइन्स बना दी हैं जिससे पानी का प्रेशर नहीं आता है। इसलिए पूरा पानी नहीं मिल पाता।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री कितना समय आप लेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश--

दो मिनट।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

मैं एम0 एल0 ए0 हूं। मैंने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा था।

(एक सदस्य के खड़ होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए।

एक सदस्य--

मैं अपनी बात नहीं करता। उनकी बात सुनिए।

श्री अधिष्ठाता--

सुनने का तरीका होता है।

श्री सत्य प्रकाश--

जो आपने इंजन के गरम होने के बारे में कहा है; उसकी गरमी दूर कर दी जाएगी, इंजन ठीक काम करेगा। जल की कठिनाई को हम दूर करेंगे। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बनारस या कोई स्थान हो, गांव से ले कर शहर के कोने-कोने तक पानी, सिवर, कूड़े की खराबियां सबको दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मशीनों का जल निगम द्वारा निर्माण होने लगेगा जिससे सीवर की सफाई और कूड़े द्वारा खाद बनाने का काम होने लगेगा।

अन्त में एक बात और बता दूं। इस जल व्यवस्था को सफल बनाने के लिए दो-तीन बातें आवश्यक हैं। पहली बात यह है कि पानी जो बरबाद करते हैं, खेतों या लान्स में लगाते हैं, इसके अलावा जो पानी बरबाद होता है सारी की सारी जगह मीटर लगाए

जायं। आज तक जो व्यवस्था रही है उसमे जो कुछ भी रहा हो, आने वाले समय में पानी बिना मीटर के नहीं जाना चाहिए, इस व्यवस्था में आपका सहयोग आवश्यक है। पानी का दुरुपयोग होता है। आधा पानी वेस्ट हो जाता है। (व्यवधान) इसके अलावा जो टोटियां लग रही हैं उनको आम तौर से बन्द नहीं करते। हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की आदत पड़े कि लोग टोटियां बन्द करें क्योंकि पानी पीने का मसला है। पानी तभी मिल सकता है जब इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

मान्यवर, इसके अलावा इस विभाग के द्वारा जो सुन्दरीकरण की बात है जो कुछ सुन्दरीकरण हो गया है, लेकिन अब हमारा स्वायत्त शासन विभाग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। नए छोटे नगरों की स्थापना होगी। छोटे नगर जो हैं वहां पर अच्छे मकानों की व्यवस्था होगी।

श्री अधिष्ठाता––

अब समाप्त करें।

श्री सत्य प्रकाश––

पिछड़े क्षेत्रों को सुधारा जाएगा और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप किया जाएगा। हमारे राज्य मन्त्री जी ने एक योजना प्रेषित की है कि उद्यान बनाए जाएं और जो मौजूदा उद्यान हैं उनको ठीक किया जाए और आपको जहां पर केवल बड़ी-बड़ी इमारतें नजर आती थीं, वहां पर अब आपको उद्यान भी देखने को मिलेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र––

मान्यवर, इसके पहले कि मैं कटौती प्रस्ताव का अनुमोदन करूं, मैं माननीय मन्त्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि सही माने में यह एक ऐसा विभाग है और उन्हें मौका मिला है उसमें काम करने का, सही माने में कार्य किया जाए तो इस प्रदेश कीसही सेवा हो सकती है। 2 करोड़ आबादी शहरों में बसती है, यह अब और भी बढ़ गयी है। यहां के शहरों के मुकाबले में दक्षिण भारत के या पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, तामिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक और दूसरे प्रदेशों से तुलना कीजिए तो श्रीमन्, आप इस नतीजे पर आयेंगे कि हमारी कहानी सचमुच दर्दनाक है। आज कहा जाता है कि गांव की हालत अच्छी नहीं है लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि शहरों की हालत उनसे भी खराब है।

एक सदस्य––

यह कैसे हुई ?

श्री श्यामधर मिश्र––

अगर आज यह स्थिति न होती तो आप आते क्यों ? भगवान करे आप अच्छे हों, आपका काम सुन्दर हो और इतना सुन्दर हो कि हमारी तरह 30 वर्ष यहां पर रहे।

[श्री श्याम धर मिश्र]

हम तो 30 वर्ष रहे, लेकिन आप 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन के जरिए आप एक दिशा दे सकते हैं और आप बड़ी-बड़ी महापालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं की ओर जरूर ध्यान दें। लेकिन सब से पहले जो छोटी टाउन एरियायें हैं उनको आप देखें और छोटी म्युनिसिपैलिटीज को देखें। तो आप इस नतीजे पर आयेंगे कि यहां पर सही माने में हमारी दुर्दशा है। जल निगम पुरानी सरकार ने बनाया था। यह 60 करोड़ की योजना है, यह कब पूरी होगी। बर्ल्ड बैंक से जब रुपया मिले तभी यह योजना पूरी हो सकती है। 40 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है और माननीय मन्त्री जी ने 10 करोड़ रुपया मांगा है। अभी जो हालत है अगर उसको आप देखें तो बड़ी पतली है चाहे वह भदोही हो या ज्ञानपुर हो या गोपीगंज हो या बनारस हो। (व्यवधान) यह पूछ रहे थे बनारस के बारे में, मैं सुनाना चाहता था लेकिन इन्होंने नहीं सुना। आप ही प्रजातन्त्र चलायेंगे, आप इन्हें समझा दें कि यह बोलना सीखें और सुनना भी सीखें। इस पांच करोड़ में आप वायदा कर रहे हैं। 10 करोड़ में आप पांच वर्षों के अन्दर इस प्रदेश की हालत में पूरे तौर से सब को पेय जल उपलब्ध करा देंगे। मैं तो इसको बहुत ही लम्बी बात मानता हूं, बहुत लम्बा वायदा मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि कम से कम 25 करोड़ की मांग आप प्रस्तुत करें। 1500 करोड़ रुपया में से 25–30 करोड़ पहाड़ी जिलों के लिए रखने की बात करें। यह रुपया कोई ज्यादा नहीं है। पहाड़ी जिलों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था आप इसमें रखिए। 1,500 करोड़ के बजट में 50 करोड़ रुपए तो निश्चित तौर से पेय जल के लिए खर्च किए जा सकते हैं और उसके लिए राज्यपाल के भाषण में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उसके लिए प्राथमिकता के रूप में पचास करोड़ रखें जायें।

यह सब ऐसी बातें हैं जो पुराने शासन से चली आई हैं इनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। केवल दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप उनको मत दोहराइए।

आज मकानों की क्या हालत है? जो टाउन एरियाज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं अभी मैं पढ़ रहा था कि स्वायत्त शासन विभाग की रिपोर्ट में जो सभी माननीय सदस्यों के पास है, 1500 मकान बनेंगे। मेरा कहना तो यह होगा कि इन टाउन एरियाज को अगर बड़ा करना है और सही मायनों में सुन्दर बनाना है और अगर सुन्दर वर्ड से आपको घृणा है तो बात दूसरी है। आपने इस रिपोर्ट में सुन्दरीकरण की बात स्वीकार की है और आधुनिकीकरण की बात कही है। आधुनिकीकरण सुन्दरीकरण के नाम करना चाहते हैं। आप सुन्दरीकरण के नाम से चिढ़ते क्यों हैं? मैं आप से कहना चाहता हूं कि इन शहरों का आप सचमुच आधुनिकीकरण करें लेकिन जरा उसका सुन्दरीकरण भी करें। सुन्दर आप हों, सुन्दर हमारी सड़कें हों, हमारी गलियां हों। सुन्दर हमारे मकान हों। आप सुन्दर शब्द से जलते क्यों हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो कार्य आप करते हैं, वह सुन्दर न हों, मैं तो आपसे कहूंगा कि हर टाउन एरिया में एक अतिथि गृह हो, आप कम से कम 50 मकान बनवा दें। छोटे लोगों के लिए जरा सस्ते मकान बना दें।

नजूल की जो लैन्ड है वह हर नगरपालिका और टाउन एरिया के पास होती है। आप उनको वह जमीन फ्री दे दें। मैं तो कहूंगा कि आप आमदनी के स्रोत बढ़ायें। तामिलनाडू

में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए। एक दो जगह और देखिए। म्युनिसिपैलीटीज और टाउन एरियाज को एक बाजार चलाने का, डेयरी चलाने का, सिनेमा हाउसेज चलाने का लाइसेन्स मिला हुआ है। वे उद्योग चलाते हैं, रेस्टोरेन्ट चलाते हैं। क्या वजह है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश जिसमें 12 करोड़ की आबादी को जो केवल नगरों में है, हम उनको नए किस्म के रोजगार दें, काम दें। काम तो देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप आक्ट्राय को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आप आमदनी बड़ाने के स्रोत बढ़ाइए। आज जो टैक्स लगने वाले हैं या जो सेल टैक्स आप लेते हैं जिनसे कि 240 करोड़ की आमदनी होने वाली है तो उसके बदले में जो टैक्स होगा उसी का कम से कम एक चौथाई आप म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज तथा कारपोरेशनों को दीजिए। मेरी यह मांग आपसे है और यह इसलिए है कि सही माने में टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, कारपोरेशन और नोटीफाइड एरिया इन सब का प्रसार हो। आज देहातों से सब लोग शहरों में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ रोजगार है, तुलनात्मक ढंग से देखा जाय तो थोड़ा ज्यादा है। आज आवश्यकता है मन्डीज बनाने की, पार्क बनाने की। आज आप देखेंगे कि अगर किसी टाउन एरिया में आप एक सभा भी करना चाहें तो कोई सभा स्थल नहीं है, पार्क नहीं है, जलपान गृह नहीं और यहां तक कि एक भी शौचालय नहीं है।

मैं एक बात माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोग अपने घर से इलाहाबाद-बनारस के बीच में जा रहे थे। रास्ते में गोपीगंज में जो एक औद्योगिक एरिया है, उन्होंने शौचालय को खोजा। उनके साथ में कुछ औरतें भी थीं, लेकिन उन्हें कोई शौचालय नहीं मिला। फिर एक जगह किसी ने बताया कि आप किसी के यहां जायं। ढूंढ़ते-ढांढते वे हमारे यहां भी गए। माननीय मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे एरिया में भदोही, माधोसिंह धूसिया, खमरिया में और गोपीगंज में कालीन का बड़ा उद्योग है। वहां पर कम से कम 50 करोड़ रुपए का काम होता है और लगभग 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपया सरकार को इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स के रूप में वहां से मिलता है। पर वहां की सड़कें बड़ी ही खराब हैं। उस एरिया में सुरयांवा, माधो सिंह और घोसिया हैं। उनके बारे में एक मांग रही है कि इनको टाउन एरिया बना दिया जाय। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो तो मेरी प्रार्थना है कि चुनाव कराए जाने के पूर्व ही इनमें टाउन एरिया बना दिया जाय।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

टाउन एरिया घोषित हो जायगा।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने अनुदान की मांग जिस रूप में सदन में प्रस्तुत की है, उसको उसी रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मान्यवर, हम यहां पर स्वायत्त शासन की विशेष चर्चा करते रहे हैं।जब भारतीय संविधान की स्थापना हो रही थी तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि हिन्दुस्तान के प्रशासन का ढांचा जो हो, पिरेमिड जो हो, वह उल्टी दिशा में हो। उनका कहना था कि सारी शक्ति का स्रोत सबसे नीचे की संस्थाओं में होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे संविधान में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार के अधिकारों की सूची है, उसी प्रकार से इन स्वायत्त संस्थाओं की भी एक अलग से सूची बननी चाहिए। अब तक जो परम्परा रही है, वह यह है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वह नीचे की संस्थाओं को अपने अनुरूप रखने के लिए उनका एक आर्डिनेन्स के द्वारा विघटन कर देती है। मैं इस बात की अपील करना चाहता हूं मन्त्री जी से कि इसका स्पष्ट प्राविधान होना चाहिए कि जो निश्चित टर्म है इन स्वायत्त संस्थाओं की उसके खत्म होने से पहले किसी भी हालत में उनको विघटन करने का अधिकार राज्य सरकार को नही होना चाहिए। इसके साथ-साथ माननीय मन्त्री जी ने बहुत सारे करों में छूट दी है, लेकिन एक समाजवादी आन्दोलन से सम्बन्धित होने के नाते हर नगरपालिका और नगरमहापालिका के चुनाव में जनता को आश्वासन देते रहे हैं कि सामान्य जनता से सम्बन्धित जो इस तरह के टैक्स हैं, वह हटेंगे ? डाक्टर राम मनोहर लोहिया शुरू से अपील करते रहे नदियों का जल दूषित हो रहा है। उपमन्त्री जी ने जब अपना भाषण प्रारम्भ किया तो कहा था कि इलाहाबाद नगर महापालिका के 10 सड़े नालों की धारा को मोड़ दिया गया है, लेकिन एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की और कहा कि यह तथ्य से परे है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्राविधान कुछ नगरमहापालिकाओं में होना चाहिए और इसके लिए कुछ नियम ऐसा होना चाहिए कि जितने गन्दे नाले हैं उनकी धारा नदी की जलधारा में विलीन न होने पाए।

एक समस्या विद्युत् शवदाह गृहों की है। इस बजट में 3 महानगरों में विद्युत् शवदाह गृहों की चर्चा की है। मेरी अपील है कि इस तरह के शवदाह गृहों की व्यवस्था हर नगरपालिकाओं में होनी चाहिए ताकि शहरों की जो दाह संस्कार की आवश्यकता है उसका समाधान निकाला जा सके।

श्यामधर मिश्र जी ने जो सुझाव दिया है उसके तहत मैं कहना चाहता हूं कि बजट का बहुत सारा हिस्सा नगरमहापालिकाओं पर खर्च होता है। आवास-विकास निगम की परियोजनाएं बड़े नगरों तक सीमित हैं। मेरा सुझाव है कि आवास विकास निगम, विकास प्राधिकरण को छोटे शहरों में लागू किया जाय और जितने छोटे-छोटे शहर और टाउन एरियाज हैं उनके अनुदान की जो व्यवस्था है उसमें कुछ ढ़िलाई लायी जाय। नियम यह है कि जो सड़कों का अनुदान छोटी नगरपालिकाओं को दिया जाता है उसमें काफी कड़ाई बरती जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी नगरपालिकाओं को सड़कों और शौचालयों के निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसमें सरकार उदारता बरते। जल निगम के अन्तर्गत आपने जो पेयजल का प्राविधान किया है वह बड़े नगरों, नगरमहापालिकाओं और पालिकाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक सीमित है। छोटे टाउन एरियाज में इस जल निगम की व्यवस्था को प्रसारित होना चाहिए और जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि शौचालय की समस्या बड़ी गम्भीर है, सार्वजनिक शौचालय बिल्कुल नगण्य हैं, जिस तरह से आपने जल निगम स्थापित किया है, प्रान्तीय स्तर पर शौचालयों के निर्माण के लिए भी एक निगम स्थापित करें और उसके पास इतनी प्रचुर मात्रा में पैसा हो और शक्ति साधन हों कि छोटी-छोटी जगहों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण आसानी से किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र की एक छोटी सी नगरपालिका है जिसको गौरा बरहज नगरपालिका के नाम से जाना जाता है। इसकी हालत बहुत ही खराब है। वहां पर सड़कें पिछले 30 सालों में कोई निर्मित नहीं हुई हैं और माननीय विद्युत् मन्त्री जी को जब मैं अपनी नगरपालिका में ले गया था तो सड़कों के गड्ढे से उनकी गाड़ी निकल नहीं सकी। मैं कहना चाहता हूं कि उस नगरपालिका की सड़कों के निर्माण के लिए विशेष अनुदान दिया जाय जिससे टूटी-फूटी सड़कें नए सिरे से बनवायी जा सकें।

इन्हीं थोड़े सुझावों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)——

अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से सन् 1977-78 के आय-व्ययक की मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, स्थानीय निकायें लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इन्हीं स्थानीय निकायों के माध्यम से हमारे देश के दो महान नेताओं का व्यक्तित्व चमका है——नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और सरदार पटेल का।

एक सदस्य——

मालवीय जी का भी।

श्री बाबू राम वर्मा——

मालवीय जी का भी। क्योंकि हमारे महापौर रह चुके हैं, इलाहाबाद के स्थानीय निकायों की जो दुर्दशा आजादी के पहले थी कांग्रेसी राज में उनकी दुर्दशा और बढ़ी और बराबर 30 वर्ष तक जहां एक तरफ आलीशान जिन्दगी थी वहां दूसरी तरफ गरीबी और गन्दगी की जिन्दगी रही। आपात्काल में सुन्दरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए व्यय किए गए लेकिन वह सुन्दरीकरण किन मोहल्लों का किया गया? जिनमें धन्नासेठ और बड़े-बड़े पूंजीपति बसते हैं उनके मकानों के सामने जो गरीबों की छोटी-छोटी दुकानें थीं जिनसे उनका जीवन निर्वाह होता था वे सब सामान के साथ उठवा कर फिकवा दी गयीं। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की रोजी छीन ली गयी। हमारे मन्त्री जी ने लखनऊ में सुन्दरीकरण के नाम पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको अनुदान देने की बात कही

[श्री बाबू रास वर्मा]

है। लेकिन उन छोटे-छोटे शहरों में जहां सड़कों पर गरीब बसे हुए थे, जिनकी सारी पूंजी आपातकालीन स्थिति में गुन्डों के द्वारा लुटवा ली गयी उनको अनुदान देने के बारे में न कोई विचार किया और न कोई प्राविधान ही किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हर शहर में सुन्दरीकरण के नाम पर जिन गरीबों का उत्पीड़न हुआ है उन सब को आर्थिक सहायता दी जाय और उन्हें रोजी में लगाने का प्रयत्न किया जाय। शहरों की आमदनी पिछले 30 सालों में काफी बढ़ी है।

मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। 1950-51 में जहां गांव के लोगों की आमदनी 197.80 रु0 थी वहां शहर के प्रति व्यक्ति की आमदनी 399.40 रुपए थी। सन् 1976-77 में जहां देहात के आदमी की आमदनी घट कर 195.50 रुपए रह गयी वहां शहर की बढ़ कर 813.20 रुपए हो गयी। इस तरह से शहर की आमदनी 1952 से 1977 तक, 25 सालों में ढाई गुने के लगभग बढ़ी। लेकिन इस वृद्धि का फायदा शहर की उन गन्दी गलियों में बसने वाले मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि सारी वृद्धि बड़े धन्नासेठों, पूंजीपतियों और अफसरों की ही हुई। आज शहरों की बहुसंख्यक जनता गरीबी के पैमाने से नीचे अपनी जिन्दगी बिता रही है। उसके पेशाब-पाखाने के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग गन्दी नालियों के किनारे सड़कों की पटरियों पर पाखाना पेशाब करते हैं। जिससे दुर्गन्ध फैलती है और क्षय रोग से पीड़ित हो कर नयी उम्र में ही इस संसार से चल बसते हैं। जो शहरों की गन्दगी, गलियों, पाखाना और पेशाब की समस्या है उसके लिए एक अलग से योजना बननी चाहिए और अन्य सुविधायें देने के पहले शहरों के गरीब तबके के लोगों के लिए पाखाने-पेशाब के लिए शौचालाय बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर 1-2 साल के अन्दर हम शहरों के गरीब लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकें तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

दूसरी समस्या पानी की है। जल निगम बना है लेकिन उसके माध्यम से जहां अमीर लोग बसते हैं वहीं पानी की पूरी व्यवस्था है लेकिन गन्दी गलियों में गरीबों को एक-एक बाल्टी पानी के लिए दो-दो घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान अपने जिले बस्ती की तरफ खींचना चाहता हूं। वहां केवल एक ही नगरपालिका है बस्ती नगर में। वहां एक टंकी पानी की है जो 1952-53 में बनी थी। उससे केवल सड़क के किनारे के बड़े लोगों को पानी मिल जाता है। लेकिन हमारे शहर की 75 प्रतिशत जनता पानी के लिए तरसती है, उसको पानी नहीं मिलता है, आज भी वह गन्दे कुओं से और गन्दे नालों से पानी पीती है और उस पर गुजारा करती है। आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से मांग करूंगा कि हमारे बस्ती जिले में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए दो और टंकियां बनवाई जायं।

हमारे बस्ती जिले की जन-संख्या 32 लाख से ऊपर है, लेकिन वहां पर केवल एक नगरपालिका है। मेंहदावल टाउन एरिया 20 साल से चल रही है, वहां की जन-संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गयी है, अगल-बगल के गांव को लेकर मेंहदावल को नगरपालिका का स्थान मिलना चाहिए। हमारे जिले में हरैया और डुमरियागंज ऐसा स्थान है, जिसको टाउन एरिया का दर्जा देना चाहिए। मान्यवर, हरैया में बाजार है, वहां के लोग काफी दिनों

से टाउन एरिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग की तरफ सरकार ने ध्यान आज तक नहीं दिया। बढ़नी, बखिरा आदि इस तरह से करीब 10 गांव ऐसे हैं, जिनकी जन संख्या 25 हजार से ऊपर है। इन गांवों को तत्काल टाउन एरिया का दर्जा देना जरूरी है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बढ़नी बाजार की तरफ खींचना चाहता हूं, उस बाजार का ठेका 75 हजार पर इस साल हुआ है। मान्यवर, वहां की आमदनी बहुत है लेकिन व्यवस्था की कमी है, उसमें दो लाख रुपया जमा हुआ है, बढ़नी की आमदनी को देखते हुए तथा चूंकि वह नैपाल की सीमा पर है, इसलिए बढ़नी को टाउन एरिया इसी चुनाव के पहले घोषित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बाबू राम वर्मा—

हमारे बस्ती जिले में जो टाउन एरिया वांसी है, उसकी सड़कें बहुत खराब हैं, नरकटहा के बीच वाली सड़क पर आदमी दिन को भी नहीं चल सकता है। वहां पर डिग्री कालेज, नार्मल स्कूल और राजा साहब बांसी की कोठी है लेकिन वहां की टाउन एरिया की सड़कों की दशा बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप समाप्त करें अपना भाषण।

श्री बाबू राम वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले में एक टाउन एरिया खलीलाबाद है, वहां पर जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत घपला किया है, मान्यवर, इसकी जांच कराई जाय और उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं, उसके लिए उनके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाय। इस तरह से मैं स्थानीय निकाय के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने ही एक अनुपात तय किया है कि तीन सत्ता रूढ़ पक्ष के लोग बोलेंगे, एक विरोध पक्ष का बोलेगा ....

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम है कि यह प्रश्न पहले श्री श्यामधर मिश्र जी ने उठाया था। इस सम्बन्ध में जब कि विरोध पक्ष की संख्या आज से भी बहुत कम थी, इस पीठ से यह व्यवस्था दी गयी थी कि यथासम्भवव आय-व्ययक पर दोनों पक्षों को बराबर समय दिया जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

और उस पर मैंने यह व्यवस्था दी थी कि विरोध पक्ष को समुचित अवसर दिया जाय। इसलिए चूंकि यह जो विवाद है यह सामान्य बजट पर है और इस पक्ष का तो समर्थन है ही, लेकिन दो इस पक्ष के बोल चुके, इसलिए मैं इधर बुला रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, सबेरे से यह बहस चल रही है, तीन इस तरफ से बुला रहे हैं, (उंगली से इशारा करते हुए) एक उस तरफ के बुला रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष जी, आमतौर से यह परम्परा रही है .... (व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) —

एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आज सबेरे से इस अनुदान पर बहस चल रही है। यह केवल नागरिक जीवन तक सीमित है। आज की बहस नागरिक जीवन तक सीमित है। मान्यवर, ग्रामों के रहने वाले अधिक से अधिक वोट देते हैं और अधिक से अधिक वोट देकर सरकार चलाते हैं। उनके विषय में 30 वर्षों से उपेक्षा हो रही है और आज भी उपेक्षा की जा रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

मेरी प्रार्थना है कि ग्रामीण अंचल से बोलने वालों को समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं केवल पुरानी याद दिला रहा हूं। हमने यह व्यवस्था की थी कि शासकीय पक्ष में मन्त्री बोलते ही नहीं थे, शुरू में। प्रस्ताव रख देते थे और इस तरह से समय बचता था। मालवीय जी सवा घंटा बोले, मालवीय जी को सुनने में बड़ा आनन्द आता है। अच्छा बोलते हैं। इस तरह से सवा 2 घंटा मन्त्रियों का हो गया। तो उसी परम्परा के अनुसार शुरू में न बोलें और आखिर में बोलें तो समय अधिक मिलेगा। जहां तक विरोधी पक्ष का सवाल है तो जो पुरानी परिपाटी है उसी पर चला जाय। मान्यवर, जब विरोधी दल में 18 मेम्बर थे, उसके बाद 47 हुये तब भी मैं रहा हूं। श्रीमन्, आप भी उस समय मिनिस्टर थे। उस समय स्पीकर साहब ने इस परिपाटी को चलाया था। आज तो श्रीमन्, आप स्पीकर हैं आप उस परिपाटी को ज्यादा चलायेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है वह तथ्य से परे है। मेरे पास सन् 1974-75-76 के कार्यवृत्त रखे हैं। सन् 1974 में माननीय बहुगुणा जी ने प्रस्तुत किया था, सन् 1975 में माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था और सन् 1976 में डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने प्रस्तुत किया है। जितना समय उन्होंने लिया है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोसीडिंग देख लें। उतना समय मैंने लिया। तो जो आप कह रहे हैं वह बिल्कुल तथ्य से परे है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। इस पर कोई विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। जो स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है और जो उस पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में 2 शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जितने स्थानीय निकाय हैं, मन्त्री जी ने उसके बारे में अपने बजट भाषण में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कहीं। मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि नयी सरकार के आगमन के बाद स्थानीय निकायों का जितना अहित हुआ है, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। मन्त्री जे ने कहा है कि इनका चुनाव 30 नवम्बर, 1977 के पहले कर दिया जायगा। क्योंकि 30 नवम्बर तक ही इन संस्थाओं का कार्यकाल था। तो इनको 30 नवम्बर से पहले भंग करने की क्या आवश्यकता थी? जो नए लोग चुनकर आते वह स्वत : पुराने लोगों का स्थान ग्रहण करते और इनको चलाते। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने की बात हम यहां पर सुनते रहे हैं लेकिन वसूलन उसके खिलाफ हो रहा है। तो मान्यवर, मैं सरकार के इस कदम की निन्दा करता हूं और सरकार से चाहता हूं कि भविष्य में जनता द्वारा निर्वाचित हुए लोगों की संस्था को भंग न किया जाय। उनका चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिया जाय जिससे नए लोग चुनकर आयें और कार्य करें।

मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव और देना चाहता हूं बहुत सी महानगर-पालिकाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन नगरपालिकाओं में जहां डबल मेम्बर वार्ड थे उनको सिंगिल मेम्बर वार्ड करने से सदस्यों की संख्या में कमी हुई है। हमारे यहां हल्द्वानी में कम हो गए हैं। इसकी आप जांच कर लें कि कहीं भूल तो नहीं हुई है कि जहां डबुल मेम्बर वार्ड थे उनको सिंगिल मेम्बर वार्ड करने से सदस्यों की संख्या में कमी हुई है। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हल्द्वानी में कम हो गयी है। आप जांच कर लें, जो भूल हो गयी है उसको दूर करने का प्रयास करें।

मान्यवर, जो यह स्वायत्त इकाइयां हैं, उनके सम्बन्ध में जो महात्मा गांधी की समग्र क्रांति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जितने गांव और शहर हैं वह सब एक इकाई हों और वह स्वावलम्बी हों। तो वह तभी हो सकता हैं जबकि जितनी आवश्यकताओं की चीजें और साधन हैं वह उनके हाथ में उपलब्ध करा दिए जायं। पहले टाउन एरिया और नोटीफाइ एरिया की कमेटियां थीं तो उनमें भी जल व्यवस्था करने की बात थी। बिजली की वह खुद व्यवस्था करते थे, शिक्षा की वह खुद व्यवस्था करते

[श्री देव बहादुर सिंह]

थे लेकिन धीरे-धीरे वह सारी व्यवस्थायें दूसरी संस्थाओं को दे दी गयी हैं और नगरपालिकाओं का अब काम केवल कर वसूल करना और सफाई का काम रहा गया है। इसलिए मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि पुन : इस पर विचार करें कि उसे एक इकाई बना सकें जो उसके हित में होगा और जो चुनकर जायेंगे उनकी तबियत लगेगी कि उनको एक काम दिया गया है जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी।

मान्यवर, हर वर्ष सरकार अनुदान के रूप में धनराशि नगरपालिकाओं, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया को देते हैं वह चाहे सड़क बनाने के लिए हो या पेयजल योजना के लिये हो। तो मेरा सुझाव है कि जितना अनुदान देते है उसका एक अंश नोटीफाइड और टाउन एरिया में जो सफाई मजदूर रहते हैं उनको मकान बनाने के लिए कुछ दे दिया करें। दुर्भाग्य है कि इ समें कोई भी आपने व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर आप विचार करें और प्रयास करें कि हर म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में सफाई कर्मचारियों तथा उनके पशुओं के आवास के लिए कुछ किया जाय। मजदूरों को रहने की समस्या गांव और शहर में है। पहले गांव में मजदूरों को रहने के लिए आवास स्थल आबंटित किए गए थे और बाद में शहर में भी आबंटित करने की बात थी। लेकिन जब तक यह सरकार आ गयी। इनकी नीति क्या है वह मै नहीं जानता हूं। लेकिन निवेदन करूंगा कि शहर में आवास स्थल सस्ते या मुफ्त देने की व्यवस्था करें। होता यह है कि शहर में सुन्दरीकरण में जो लोग हटाए गए अधिकांशत : उन्हें पुन : बसाने की व्यवस्था की गयी थी। आज भी सर्वेक्षण करायें तो जितनें मजदूर शहर में बसे हैं उनकी बस्तियां गन्दी हैं। इसलिए उनको हटाकर दूसरी जगह बसायें और उनसे प्रिमियम का पैसा न लिया जाय और पट्टा उन्हें दिया जाय कि उनको कोई न हटावे। इस तरह का एक कार्यक्रम नैनीताल में चलाया गया था जैसे हल्द्वावानी, रुद्रपुर, किच्छा और काशीपुर में। वहां 30 साल से जो एक जगह पर बसे थे, तो सरकारी आदेश थे कि जो बसे हैं, गरीब लोग उनको पट्टा दे दिया जाय और भूमि को उनके नाम से नियमित कर दिया जाय। इस समय यह काम शिथिल हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस काम को तेज कराया जाय और गरीब लोगों को पट्टे दिए जायं।

मान्यवर, किच्छा में 30 साल से जो मजदूर बसे हैं उनके खिलाफ अदालत में केस चलाकर 500 रुपए से 2 हजार रुपया तक जुर्माना किया गया है। उन गरीबों को तहसील की जेलों में बन्द किया गया है। उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए कभी उनको छोड़ा जाता है और कभी उनको बन्द किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसकी जांच करायी जाय और यदि इस तरह का कांड हो रहा है तो उसको वापस लिया जाय। दूसरे मान्यवर, भूमि उन्हें दी जाय जिससे वह वहां बस सकें।

मान्यवर, पेयजल के बारें में कहूंगा कि पर्वतीय अंचल में भावर में कोई व्यक्ति अपनी पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता है और न हैन्ड पम्प तथा न ट्यूबवेल ही लगा सकता है। इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि पेयजल की व्यवस्था पर्वतीय अंचलों और भावरी क्षेत्र में निश्चित रूप से करें। महामहिम के अभिभाषण में इन्होंने इसके लिए संकल्प किया है कि तीन वर्ष के अन्दर हर जगह पेयजल की व्यवस्था कर देंगे,

लेकिन उसके लिए 5 करोड़ रुपया है जो बहुत कम है। आप में एक बहुत बड़ी खामी है कि आप घोषणा कर देते हैं लेकिन विकल्प आपके सामने नहीं होता। आपने एलान किया कि आक्ट्राय खत्म कर देंगे, आपने घोषणा की कि सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे। अच्छा हो जब कोई विकल्प सामने आ जाय तब इस तरह की घोषणा करें। इस तरह की घोषणाओं से सरकार का भी घाटा होता है क्योंकि न तो चुंगी वसूल होती है और न सेल्स टैक्स वसूल होता है। सस्ता नाम कमाने के लिए केवल घोषणाएं कर देना उचित नहीं है। जब आप विकल्प निकाल ले तब ही घोषणा करनी चाहिए। जिस दिन जिस चीज की समाप्ति का एलान करें तो उसी दिन से वह समाप्त की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर कुछ कहूं मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कृपापूर्वक इलाहाबाद कमिश्नरी के पिछड़े जिले फरुर्खाबाद के व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया हालांकि मैं यह मान कर चलता हूं कि यह अवसर भी बहुत पीछे ही मिला। नगरपालिका के सदस्य एवं अध्यक्ष कार्यकारी के रूप में मैंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनके आधार पर कुछ मूल्यवान सुझाव देना चाहता हूं। सभी लोग मानते हैं कि स्वायत्त निकाय न केवल हमारे प्रजातन्त्र की आधारशिला है बल्कि मैं समझता हूं वह संसदीय कार्य पद्धति का प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उसकी पाठशाला है। जहां शासन की नीति की सत्ता और शक्ति का विकेन्द्रीयकरण किया जाय तो उस समय स्थानीय निकायों का महत्व बढ़ जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों की शक्ति को बढ़ाया जाय। वहां पर जो लालफीताशाही चलती है, जो प्रोग्राम या पालिसी तय होती है उनका अनुपालन नहीं होता। इसलिए सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के लोगों पर नियन्त्रण रखने के लिए मेयर और नगरपालिका के अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए जायं। कोई आदेश या प्रस्ताव पारित होता हैं लेकिन सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के लोग उनका अनुपालन नहीं करते और हमारे अध्यक्ष और नगरपालिका के तमाम लोग मूक दर्शक के रूप में बैठे देखते रहते हैं। उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिए नहीं हो सकती कि वह सेन्ट्रालाइज्ड सर्विसेज के लोग हैं। मैं मांग करता हूं कि उन पर अनुशासन और नियन्त्रण रखने के लिए मेयर और अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए जायं। जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की जाती है तो वहां नगरपालिका के अध्यक्षों को मैजेस्ट्रियल पावर्स भी दी जायं। उनको यह अधिकर होना चाहिए कि वह सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकें भले ही उसका अनुमोदन उच्च अधिकारी द्वारा हो। नगरपालिका की क्षमता वृद्धि के लिए और भी सुझाव देना चाहूंगा। आज वहां निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रथा द्वारा होता है और इस कारण बहुत सा धन और जन का दुरुपयोग होता है।

[श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी]

मैं अपने यहां फर्रुखाबाद की नगरपालिका का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दो दशक में जो अनुदान मिला उसका दुरुपयोग हो रहा है। वहां एक मऊ दरवाजा रोड है। पिछले दो वर्षों में दो लाख रुपया दिया गया। उसके निर्माण हेतु जो गड्ढे थे वे ज्यों के त्यों पड़े हैं—बल्कि और बढ़ गए। आज स्थिति यह है कि बिल बन जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। ठेकेदार धन का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके विभागीय लोगों से दूसरे प्रकार से कार्य कराया जाय।

मान्यवर, आज चुंगी के दुरुपयोग की भी नगरपालिकाओं की एक समस्या है। मैं समझता हूं कि आज काफी चुंगी की चोरी नगरपालिकाओं में होती है। इसलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वह चुंगी सिस्टम को समाप्त कर हमारी नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की चुंगी को ठेके पर उठाएं, खुला आक्शन करें, तो एक ओर इस चोरी को रोक सकते हैं और दूसरी ओर नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, एक महती समस्या नगरपालिकाओं की जल-सम्पूर्ति की है। जहां तक हम समझते हैं, नगरपालिकाओं का कल्याणकारी कार्य होना चाहिए और इसके लिए धन की आवश्यकता है। इस धन की सम्पूर्ति जहां एक ओर सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से कर सकते हैं, वहीं करों के द्वारा भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं।

आज यहां एक ओर जल की समस्या है, वहां यह भी है कि नगरपालिकाओं और महा-पालिकाओं में पानी की चोरी होती है—विशेष कर इस सम्बन्ध में फर्रुखाबाद की नगरपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि वहां पर पीने का पानी नहीं मिलता। लोग पानी के बिना सिसकते रहते हैं। लेकिन सिंचाई के लिए खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता है। हमारे यहां नगरपालिका का जो टैंक है, उसमें पीने का पानी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नगरपालिका के अधिकारी लोगों से मिले होते हैं और इससे उनको एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दें कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है, उस पानी का सदुपयोग केवल पीने के लिए किया जाय न कि सिंचाई के नाम पर इधर-उधर बहा दिया जाय। दूसरी तरफ पानी की चोरी का कारण यह भी है कि हमारे जो मीटर हैं वे किसी अधिकृत कारखाने के बने होते हैं और वहीं से उनको खरीदा जाता है। इसलिए मीटर प्रणाली से भी पानी की चोरी होती है। यह प्रणाली डिफेक्टिव है। इससे बड़ी गड़बड़ी होती है और तमाम पानी का दुरुपयोग होता है और पानी का चार्ज सही रूप से वसूल नहीं कर पाते। इस सम्बन्ध में कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। मेरा स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में जांच कराएं कि कितने पानी की नलकूप से डिलेवरी होती है और कितना कंजम्प्शन होता है। इस तरह से पानी का जो दुरुपयोग होता है, उसको ठीक किया जा सकता है।

फर्रुखाबाद नगरपालिका के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जय नारायन वर्मा रोड पुलिस रोड और तकिया नशरत शाह में जो निर्माण कार्य के लिए अनुदान मिला था उसमें कार्य नहीं हुआ और फर्जी कार्य किया गया और पेमेन्ट कर दिया गया। उसकी, खुली जांच कराई जाय।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में फर्रुखाबाद की नगरपालिका बहुत पिछड़ी हुई है। केवल आठ जूनियर हाई स्कूल हैं। जबकि म्युनिसिपल बोर्ड केवल यही एक प्रथम श्रेणी का है। पूरी इलाहाबाद कमिश्नरी में। मेरा निवेदन है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए वहां अधिक से अधिक विद्यालय खोले जायं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उचित कन्ट्रोल होना चाहिए। आज विद्यालयों के भवनों की दशा बड़ी खराब है। बेसिक शिक्षा परिषद् कहती है कि यह हमारे कन्ट्रोल में नहीं है। नगरपालिका यह समझकर कि शिक्षा का काम हमसे दूर है, उसमें सुधार नहीं कर सकती। इसलिए इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया जाय।

फर्रुखाबाद में सफाई की व्यवस्था के लिए सीवर योजना नहीं है। वहां पर 'ए' क्लास का म्युनिसिपल बोर्ड है। अत: शीघ्र ही वहां सीवर सिस्टम लागू किया जाय। हमारे जिले में . . .

(व्यवधान)

मोहम्मदाबाद और अमृतपुर नोटीफाइड एरिया होने योग्य हैं उन्हें नोटीफाइड एरिया घोषित किया जाय। उसी प्रकार नगर में आवास विकास की कोई योजना नहीं है अविलम्ब एक आवास-विकास योजना चालू की जाय। और इन सब कामों के लिए नगरपालिका, फर्रुखाबाद में यथेष्ठ अनुदान की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय हो गया। भाषण समाप्त करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी––

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

(स्वायत्त शासन उपमन्त्री)––श्री भगौती सिंह

मेरा प्रस्ताव है कि इस सदन का समय आध घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय क्योंकि काफी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सदन का समय आज आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य––

माननीय अध्यक्ष जी, आज मुख्य मन्त्री जी के यहां 5.25 पर रोजा अफतार करने के लिए बुलाया है यदि आप समय बढ़ा दें तो मुख्य मन्त्री जी का जो निमन्त्रण है उसका क्या होगा? कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था नहीं है। वह हो जायगा।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या—9 भूमि और भवन-कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या—66 सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या—69 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 74—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन तथा अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन (क्रमागत)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मैं आपका ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें चित्रकूट एक जगह है। चित्रकूट में तीर्थ यात्री आते हैं। विदेशी यात्री भी वहां पर भ्रमण के लिए आते हैं। वह एक प्राकृतिक स्थान है। वहां पर प्राकृतिक सुन्दरीकरण है लेकिन लोगों को नगर के बीच से गुजरते हुए गंदगी शोभा नही देती। ललितपुर हमारा नया जिला है। ललितपुर और चित्रकूट नगरपालिकाएं हमारे मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। ललितपुर में देवगढ़एक टूरिस्ट सेन्टर है। वहां पर विदेश के और देश के बहुत से लोग जाते हैं। ललितपुर जिला तीन वर्ष पहले बना है और इस जिले की नगरपालिका की ओर विशेष ध्यान दिया जाय उसे एक अच्छी नगरपालिका बनाने का प्रयास किया जाय। वहां के लिए एक 13 लाख रुपए की ड्रेनेज स्कीम पांच छः वर्ष से सरकार के पास पड़ी है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर तालबेहट टाउन एरिया है जहां पर सफाई मजदूर को 13 रुपया मासिक वेतन मिलता है और चालीस रुपया मासिक मंहगाई। आज इतने दिनों की आजादी के बाद भी हमारे सफाई मजदूर इतना कम वेतन पा रहे हैं। सफाई का वह पवित्र काम है कि अगर सफाई न की गयी तो निश्चित रूप से एक भयंकर स्थिति शहर में, नगर में हो जायगी। आप अन्दाज लगाएं कि 43 पैसे प्रतिदिन जिसको वेतन मिलता हो उससे हम कितनी आशा कर सकते हैं ? एक हरिजन जिसे 43 पैसे प्रतिदिन मिलते हों, जो एक प्याली चाय के लिए काफी है। एक पार्ट-टाइम मजदूर है। वह कैसे सफाई की व्यवस्था कर सकता है ? तो श्रीमन्, हरिजन के साथ, सफाई मजदूरों के साथ हम इन्साफ करें। आज साढ़े पांच रुपए से कम किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। सरकार का इस प्रकार का आदेश है। मैंने लड़झगड़ कर 70—75 रुपया वेतन वहां पर कराया। मेरा निवेदन है कि यह पार्ट-टाइम की प्रथा खत्म करके पूरे टाइम के मुलाजिम रखे जायं।

इसके साथ-साथ मैं पेय-जल की बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर, ललितपुर जिले के अन्दर एक स्थान धौरा है जहां पर लोग रेल के इंजन से पानी लाते हैं। 80 लाख रुपए की पेय-जल की योजना 6 वर्ष से बनाई जा रही है। रुपया खर्च भी हो गया लेकिन पीने के पानी की अभी तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन ही गलत डाली गयी थी। वहां पर एक टंकी बनाई गयी है, धौरा में सन् 1972 में। 30 जून को वह

टंकी धराशायी हो गयी, एक मजदूर की वहां पर मृत्यु हो गयी। उस टंकी के सामान को एक तार के रस्से से खींच कर ऊपर चढ़ाया जा रहा था। 28 जून, 1972 को टंकी दो फुट झुक गयी और 30 जून को आंधी आने पर वह टंकी धराशायी हो गयी। अधिकारियों ने बचाव हेतु यह कहा कि बिजली गिरने से टंकी गिरी। मैं कहता हूं कि कोई बिजली 30 जून को नहीं गिरी। आज लोग वहां पानी के लिए तरस रहे हैं। 9 लाख रुपया उस योजना के तहत विद्युत् बोर्ड के पास जमा है लेकिन जब कोई कनेक्शन ही नहीं लिया गया तो पानी कहां से दिया जायगा? इस तरह के अपव्यय को रोका जाय और जल्दी से जल्दी उस योजना को पूरा करने का प्रयास किया जाय।

एक निवेदन यह है कि जल संस्थान जब से बना है गांवों में हरिजनों के मोहल्लों में, आम रास्तों पर कुछ स्टैंड पोस्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया है। आखिर हर आदमी नल नहीं लगवा सकता, मीटर नहीं लगवा सकता। आम आदमी को जो राहगीर हैं उसे उन गांवों व कस्बों में पीने का पानी नहीं मिलेगा तो फिर और क्या सुविधा उसे मिल सकेगी? इस तरह के आदेश कर दिए जायं कि आम रास्तों में हर जगह दो-चार कनेक्शन जल संस्थान को देना चाहिए ताकि लोग आसानी से पानी ले सकें। एक निवेदन यह है कि टाउन एरियाज में सफाई की व्यवस्था की जाय। तहसील स्तर पर जो टाउन एरियाज हैं उनको नगरपालिका आप बनायें और ब्लाक स्तर पर टाउन एरियाज बनायें। अगर हमको सफाई तथा स्वच्छता की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए हमको उन्हें साधन देने की कोशिश करनी चाहिए।

एक सज्जन ने हमारे यहां एक टाउन धर्मशाला टाउन एरिया की जमीन में बनाई है तालबेहट में, लेकिन उस पर निजी तौर पर कब्जा जमाए हुए हैं। सार्वजनिक धर्मशाला पर इस तरह कब्जा करना उचित नहीं है। इसे आप रोकें। अभी 11 तारीख को दुर्भाग्य से झांसी शहर में सदर बाजार में एक मकान धराशायी हो गया। 14 आदमियों की मृत्यु हो गयी और 15, 20 घायल आदमी मिलिटरी अस्पताल तथा मेडिकल कालेज में पड़े हुए हैं। कहा जाता है उस मकान के सौन्दर्यीकरण के अवसर पर उसके पाए तोड़ दिए गए थे और इस तरह छत के बचाव हेतु उस मकान में दीवारें निकल जाने से कोई बुनियाद नहीं थी। परसों 11 तारीख को बारिश होने से 5 किराएदारों के परिवारों के 14 आदमी मर गए और 20, 25 आदमी अस्पतालों में हैं। अभी मलबा निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड तथा मिलीटरी के लोग लगे हुए हैं। पता नहीं कितनी लाशें और निकलेंगी? इस तरह नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जो जरजर मकान हैं उनकी जांच कराई जाय और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला हैं, देश में जनतन्त्र की बुनियाद है और उनकी मजबूती के लिए पूरे तौर से सरकार की ओर से कोशिश की जानी चाहिए।

जो अनुदान पेश हुआ है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस सदन के जरिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपके मारफत मैं मन्त्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो 20 नवम्बर तक नगर पालिकाओं का चुनाव कराने की तिथि आपने रखी है उसमें 20 नवम्बर को हमारे अयोध्या में परिक्रमा का मेला लगता है। इस परिक्रमा के अवसर पर प्रदेश के लाखों यात्री अयोध्या आते हैं और आस-पास और दूर के भी लोग काफी ब ी संख्या में आते हैं। इस 20 तारीख को अयोध्या के आस-पास की नगर पालिकाओं में चुनाव ठीक तरह से सम्पन्न नहीं हो पायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो 20 तारीख आपने निर्धारित की है इसको या तो थोड़ा पहले कर दें या एक सप्ताह बाद कर दें।

मान्यवर, इस सदन के जरिए हमारी नगरपालिका, टाउन एरिया और स्थानीय निकायों की समस्याओ की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि हम जिस इलाके से चुन कर आए हैं फैजाबाद की बीकापुर तहसील में कोई टाउन एरिया कमेटी नहीं है। यहां बड़े-बड़े बाजार हैं जहां के लिए निरन्तर लोगों की मांग रही है वह तहसील का मुख्यालय है वहां हैदरगंज में टाउन एरिया नहीं है। टाउन एरिया और नगर पालिका न होने के कारण सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वह लोगों की सफाई और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था का है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस के कुशासन में हमारी स्थानीय निकायों द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारा जनमानस जो इन नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज में रहने वाले हैं उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी कि लोग ठीक से रह सकें।

विपक्ष की ओर से माननीय मिश्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन टाउन एरियाज में सड़कों का इन्तजाम सरकार को करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर नगर पालिका और टाउन एरिया स्तर पर सरकार की ओर से राजकीय पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, नदियों के पानी के खराब होने की बात और जल-पूर्ति के प्रश्न सदन के सामने विचारार्थ पेश हुए हैं। बहुत सी नगरपालिकाओं में पानी की इतनी कमी पड़ जाती है कि 6—6, 8—8 और 10—10 घंटे तक पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। लोग मीलों दूर से पानी लाते हैं। मैं इस सदन के जरिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि समुचित और स्वच्छ जल व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है। इस कार्य को करने के लिए पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आवास विकास की समस्या भी हमारे नगरपालिकाओं में बहुत है। आज भी हमारे प्रदेश में बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो जाड़ों की रात में खुले आसमान में सोते हैं उनके ऊपर छत तक नहीं होती है और सड़कों के किनारे वह लेट जाते हैं, फुटपाथ पर लेट जाते हैं। उनके लिए रहने का कोई इन्तजाम नहीं है। 1966 से हमारी आवास विकास परिषद्

नगरों में आवासीय व्यवस्था के लिए ध्यान दे रही है। वह मकानों का निर्माण कर रही है लेकिन उनके मकानों में बहुत सी जगहों में लोग अभी तक नहीं गए हैं, वह बन्द पड़े हैं। हमारे फैजाबाद में भी मकान बनाए हैं उनको एक दफा देखने का मुझे भी मौका मिला। वह मकान गिरने की कगार में हैं। यह हालत है उनकी। वर्तमान शासन को इन स्थानीय निकायों की आवास की समस्या पर भी समुचित ध्यान देने की जरूरत है। आवास विकास परिषद् को और गतिशील बनाना चाहिए और उसे विकासित करना चाहिए तथा उन तमाम इलाकों तक इसे ले जाना चाहिए, जहां यह अभी पहुंचा नहीं है। यह जो पुस्तिका मिली है, इस पुस्तिका में यह उल्लेख किया गया है कि नगरों में योजना का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था कि हम देश में रोजी-रोटी की व्यवस्था करेंगे और लोगों के रहने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए जो लोग आवासीय परेशानियों में हैं, स्थानीय निकायों के जरिए उनके लिए समुचित इन्तजाम किया जाना चहिये उनके लिए आवासों की आवश्यकता है और आवास विकास परिषद् को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक इन्तजाम करे।

एक बात और कहना चाहता हूं जो परिषद् के मकान बनाए गए हैं, वे इतने मंहगे हैं कि उनको लेने की गरीब आदमी हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए उसके मूल्य कम और नियम सरल बनाए जायं। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे नगरपालिका क्षेत्रों में, स्थानीय निकाय के क्षेत्रों में शव-दाह के लिए अत्यन्त कठिनाई है। बेचारे गरीब इसके लिए लकड़ी नहीं जुटा पाते हैं। नदियों के किनारे अकसर अधजली लाशें देखने को मिलती हैं। इसलिए बिजली के शव-दाह बनाने की स्थानीय नगरपालिकाओं और महापालिका क्षेत्रों में अत्यन्त आवश्यकता है। जहां-जहां भी सम्भव हो बिजली के शव-दाह लगाने की, मैं जोरदार मांग कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं सबसे पहले सदन के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा; जिन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस में भाग लेकर अपने अमूल्य सुझाव दिए। मान्यवर, जो समस्याएं सदन के सामने माननीय सदस्यों ने उठाई और जिस तरह का स्पष्टीकरण शुरू में ही माननीय मन्त्री जी ने दिया, उससे यह जाहिर होता है कि माननीय मन्त्री जी अपने स्पष्टीकरण से सदन को सन्तुष्ट करने में सफल नहीं रहे हैं।

मान्यवर, चुनावों के बारे में मैंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि शायद पिछले प्रशासन की तरह से जनता प्रशासन भी टाल-मटोल की नीति अपना रहा है, उसकी कोई निश्चित नीति जाहिर नहीं होती है। दूसरे और भी सवाल सामने आए हैं। दूसरे जिलों में तमाम गांवों की आबादी की दृष्टि से टाउन एरिया में बदलने की आवश्यकता थी, अच्छा होता कि अगले

[श्री राम आसरे वर्मा]

चुनाव होने के पहले उन्हें टाउन एरिया में ले लिया गया होता, ताकि अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनावों के साथ उनके भी चुनाव सम्पन्न हो सकते।

मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था के बारे में मन्त्री जी ने जो बातें कहीं, अच्छी बातें हैं, यदि कथनी और करनी में फर्क न हो, उससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन वह यह कहने से रह गए कि जहां पानी की व्यवस्था आवश्यक है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में उस योजना के तहत नए कुओं के निर्माण की बात भी मन्त्री जी सोचते हैं या नहीं। मान्यवर, मैं यह कहते हुए और सदन की भावना को सामने रखते हुए, जिसको मन्त्री जी सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, उसको वापस लेना उचित नहीं है और न उसको वापस लेना चाहूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, उनके ठोस सुझावों के लिए। जिस पर माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, उनमें एक बात तो यह थी कि जो स्वायत्त सेवी संस्थाए हैं और जिन अधिनियम के अन्तर्गत उन स्वायत्त सेवी सस्थाओं का कार्य चलता है, जैसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम या उत्तर प्रदेश महापालिका अधिनियम, उनके अन्तर्गत इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अधिकार में पिछले वर्षों में कटौती की गयी है। श्री रमाशंकर जी कौशिक ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि बेसिक शिक्षा अधिनियम बना कर स्वायत्त सेवी संस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थान था उससे उनको वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार जल सम्भरण अधिनियम बना कर पेय-जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अधिकारों को छीन लिया गया है। इसी प्रकार आवास विकास अधिनियम बना कर आवास निर्माण के सम्बन्ध में जो भी इन स्वायत्त सेवी सस्थाओं के अधिकार थे, उनमें कटौती कर दी गयी। यह बात अपनी जगह पर ठीक भी है। लेकिन इस समय इस सन्दर्भ में कोई संशोधन लाना उचित नहीं है।

आवास विकास अधिनियम के सम्बन्ध में, जब जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसमें भी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया था। इसके पूर्व मैंने एक दिन सदन में यही कहा था, यदि माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अधिकारों में जो कटौती हुई है और किन कारणों से कटौती हुई है और किन कारणों से अधिनियम लाए गए, इस सब पर विचार विनियम करने की आवश्यकता है। उसके लिए यह आवश्यक होगा कि इसके पूर्व कि कोई व्यापक संशोधन किया जाय। इस सदन की एक कमेटी बननी चाहिए जो इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करे और अपने सुझाव दे। और यदि आवश्यक समझा जाय तो उस समिति में कुछ बाहर के एक्सपर्टस भी सदस्य बना लिए जायं। लेकिन इस समय कोई व्यापक संशोधन की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। इस लिए भविष्य में उचित समय पर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के बाद और आप लोगों से सलाह करने के बाद जैसी आप लोगों द्वारा सलाह दी जायगी इस सम्बन्ध में अग्रिम कदम उठाया जायगा।

दूसरे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया गया। भ्रष्टाचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं में एक दो दिन, महीना दो महीने में या साल

भर में या दो साल में पनपा है। यह बात सर्वविदित है कि न केवल स्वायत्त सेवी संस्थाओं में बल्कि देश में करीब-करीब हर क्षेत्र में आज प्रचुर मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिन लोगों को जानकारी है, माननीय गुलजारी लाल नन्दा, केन्द्र के गृह मन्त्री थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भ्रष्टाचार को एक निश्चित समय के अन्दर खत्म कर दूंगा। माननीय मोहन सिंह जी याद दिला रहे हैं कि दो साल में। माननीय गुलजारी लाल नन्दा न भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए न घटा पाए। लेकिन कोई बात हुई तो यह कि वह उसके स्केपगोट बन गए। मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं कि प्रारम्भ में मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था।

मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो फिलहाल शायद कठिन मालूम पड़ता है लेकिन भ्रष्टाचार निश्चित रूप में कम करने की कोशिश की जा रही हैऔर आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित रूप में भ्रष्टाचार को कम किया जायगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग सुझाव दें। भ्रष्टाचार से मेरा आशय केवल यह नहीं है कि जो वहां के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं। इस भ्रष्टाचार में नागरिक जीवन से सम्बन्धित जितने लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सब शामिल हैं, चाहे ठेकेदार को लीजिए या व्यापारियों को लीजिए या ऐसे लोगों को लीजिए जो इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं से सम्बन्धित विभागों से अपना काम कराते हैं या और कुछ नहीं, मान लीजिए अनाधिकार रूप में हजरतगंज या इलाहाबाद की किसी सड़क पर बैठ जाते हैं। और जब वह बैठ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी आते हैं। चाहे वह पुलिस कर्मचारी हों या नजूल विभाग के कर्मचारी हों तो उनको पैसा देने की कोशिश की जाती है। यह बात सर्वविदित है लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप में शासन की ओर से कदम उठाए गए हैं और भविष्य में उठाए जायेंगे।

अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है उनमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो वह अधिकारी या कर्मचारी तो बाद में अपना प्रतिवेदन देता है लेकिन राजनीतिक लोग चाहे वे लोग सदन के हों अथवा सदन के बाहर के हों, ये लोग पहिले ही उनकी ओर से प्रतिवेदन लेकर सम्बन्धित मन्त्री के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं।

एक सदस्य—

आपके ही लोग पहुंच जाते हैं, उधर वाले भी हैं। आप समझिए।

(कुछ सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करने पर।)

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

भ्रष्टाचार में कभी तमी होगी। शासन का मकसद कभी यह नहीं रहता कि निर्दोष व्यक्ति हो उसको प्रताड़ित किया जाए। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत आती है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं और भविष्य में जो सुझाव आयेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सुझावों के आधार पर शासन विभाग अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके उनका कार्यान्वयन करें तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र में कुछ सुधार होगा।

तीसरी बात की ओर जो ध्यान आकर्षित किया गया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक स्थानों में और यह सही भी है चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, शौचालयों की कमी है और इस सम्बन्ध में भी विचार विमर्श हो रहा है। कुछ धन की कमी भी है तथा कुछ प्राविधान भी किए गए हैं।

बिहार में पटना के गांधी प्रतिष्ठान की एक योजना है "सुलभ शौचालय योजना" जो माननीय सदस्य पटना गए हों वहां उन्होंने देखा होगा कि उनकी योजना "सुलभ शौचालय" की है जिसके सन्दर्भ में विभाग की ओर से परीक्षण करवा रहा हूं। यदि विभागीय लोगों और आप लोगों की ओर से सहमति हुई तो वह योजना अपने प्रदेश में भी लागू की जा सकती है. . .

(व्यवधान)

कोई आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही उनकी ओर से की जाये। वह योजना जो है, उस योजना को दिखलाने के बाद उत्तर प्रदेश में उसको प्रारम्भ किया जायेगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे शौचालयों के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ काम निश्चित रूप में किया जा सकेगा।

अब कुछ ऐसी बातें थी जनरल टाईप की जिसके सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही मैंने विचार प्रकट किया था। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में उनके लिए समय लेना ठीक न होगा। लेकिन माननीय श्याम धर जी मिश्र ने कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, उनसे मैं माननीय सदन को अवगत करा दूं।

वर्तमान में जो बजट प्राविधान है तो पिछली सरकार ने 23 करोड़ 45 लाख रुपए का प्राविधान किया था और इस वर्ष 33 करोड़ 8 लाख का प्राविधान किया गया है। शासन की मंशा यह है कि इसी मद में अगले वर्ष लगभग 53 करोड़ रुपए का प्राविधान कर दिया जाये। पहाड़ों के सम्बन्ध में. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसमें ग्रामीण खंडों के लिए कितना है शहरों के लिए योजना का ब्रेकअप क्या है मेट्रोपालिटन एरिया के लिए कितना है, म्युनिसिपल एरिया के लिए कितना है, ग्रामों के लिए कितना है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बाद में बता दूंगा क्योंकि मेरा तारतम्यटूट जायगा। पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में माननीय श्याम धर मिश्र जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। वर्तमान बजट में इस सम्बन्ध में 6 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

एक सदस्य––

पिछले वर्ष कितना था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

पिछले साल कितना था, यह तो इस समय मुझे मालूम नहीं लेकिन निश्चित रूप से इससे बहुत कम था।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)––

क्या इस पेय-जल योजना को भी सफेद हाथी निगम के हाथ में रखा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

पिछले वर्ष जो ग्राम्य थे, वे कुल 699 ग्राम्य थे जिनके लिए योजना बनी थी लेकिन इस वर्ष जो वर्तमान बजट में प्राविधान किया गया है वह 1,000 ग्रामों के लिए योजना चलाई जा रही है और अगले वर्ष निश्चित रूप में इस सम्बन्ध में और सुधार किया जायगा। तो मैंने इस बात को इस सन्दर्भ में कहा है कि जो कुछ भी हमारे सीमित साधन हैं, मुश्किल से अभी दो या ढाई महीने बल्कि 77 दिन ही हुए हैं, इस बीच में यथाशक्ति इन योजनाओं में सुधार लाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं और बीच में भी यदि सम्भव हुआ तो इसमें सुधार किया जायगा। पिछले वर्ष और अभी हाल में वर्षा के कारण स्वायत्त शासी संस्थाओं की अनेक सड़कें खराब हो गयी हैं। इसलिए उन सड़कों का सुधार किया जाय इसके लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की जायगी। जो सड़कें बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई हैं, उनका निर्माण कराने के लिए ठोस कदम उठाए जायेंगे।

माननीय मोहन सिंह जी ने विद्युत् शव-दाह-गृह की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस देश के समाजवादी चिन्तक और विचारक डाक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार रहे थे कि भारत ऐसा गरीब देश है, जिसमें आदमी की 3 आने एवरेज आमदनी हो, ऐसे देश में आदमी के मरने पर उसको जलाने मे भी बहुत खर्चा होता है। साथ ही साथ जो लकड़ी होती है उसका भी नुक्सान होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 3 नगर महापालिकाओं में, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में विद्युत् शव-दाह-गृह स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए इलाहाबाद नगर महापालिका को 5 लाख रुपए, कानपुर को 6 लाख 66 हजार रुपया और लखनऊ नगर महापालिका को 6 लाख 60 हजार रुपए के ऋण का इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

यह तो हमारा निर्णय था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

निर्णय आपका होगा लेकिन आप कार्यान्वित तो नहीं करते थे। सब मामले हवा में चलते थे। हमने इसको कार्यान्वित किया है। फिर भी निश्चित रूप में अन्य शहरों में भी जो नगर महापालिकाएं बसती हैं उनके यहां भी इस सन्दर्भ में योजनाएं बनाई जायेंगी। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श चल रहा था। पहले की नगर पालिकाओं ने इस सन्दर्भ में प्रस्ताव पारित भी किए थे। तो सरकार की ओर से उन पालिकाओं को यह पत्र गया कि पहले वे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें कि इन विद्युत् शव दाह-गृहों से कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। फिर इन नगर पालिकाओं ने अपने यहां पर परीक्षण किया और जब माननीय तिवारी जी की सरकार थी तब पास करके यह प्रस्ताव भेजा कि इन विद्युत्-शव-दाह गृहों से वहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी।

माननीय सेहरा जी ने किसी नगर अभियन्ता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा था कि इस नगरपालिका के अभियन्ता के सम्बन्ध में उन्होंने राज्यपाल महोदय को भी शिकायत की थी। तो पहली बात तो सेहरा जी की थी। पूरे सदन को जानकारी कराना चाहता हूं कि मैंने ऐसे किसी नगर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत नहीं की और दूसरे पांचों मुख्य नगर अभियन्ता महोदयों को चयन किया गया है। इसके सम्बन्ध में निर्णय, यदि पत्रावली देखना चाहेंगे तो दिखा दूंगा। आपकी जो भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री हैं श्रीमती डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, उन्हीं का निर्णय था और उन्हीं के निर्णय को निहायत ईमानदारी से मैंने कार्यान्वित किया है। मैंने सारी पत्रावली देखी थी और जो चयन समिति बनी थी उसका निर्णय था। उसके बाद भी उसमें माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के निश्चित रूप में आदेश थे, लेकिन उनके आदेश के बाद भी मैंने स्वयं भी सारे मामले का परीक्षण किया और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा, वही मैंने निर्णय लिया है।

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे इतना कहना है कि उसमें मेमोरेन्डम जो दिया था तो आपने स्वायत्त शासन मन्त्री राजेन्द्र कुमारी जी को उस अभियन्ता के खिलाफ यह आरोप लगा कर दिया था कि भ्रष्ट है और मुझे जानकारी है फाइल की, उसमें है इसलिए प्रोमोशन नहीं किया जा सकता कि यह डिप्लोमा होल्डर है जबकि हमारे विभाग में बी0 ई0 पास बहुत से इन्जीनियर हैं। उसके बाद उसका प्रोमोशन कर दिया गया, वही मैं जानना चाहता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं माननीय सेहरा जी को जानकारी दे चुका हूं और इस सदन की परिपाटी है कि अगर इस सदन में कोई सदस्य कोई बात कहता है और दूसरा इनकार करता है तो इस बात को सही मानना चाहिए। मैंने आपको पूर्व ही बता दिया कि मैंने ऐसे किसी अभियन्ता के विरुद्ध न राज्यपाल को, न कभी किसी अधिकारी को ऐसा मेमोरेण्डम दिया या मन्त्री से मैंने कोई शिकायत किया और जो मै कथन कर रहा हूं उसपर आपको पूरा विश्वास करना चाहिए।

श्री गुलाब सेहरा—

फाइल दिखाने की बात आपने कही थी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

फाइल देख लीजिएगा। जब आप चाहेंगे, मैं पत्रावली निश्चित रूप में दिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह वह परिपाटी नहीं अपनाता हूं कि जब हम उधर बैठते थे तो बाजरा स्कैंडल केस में कितनी ही मांग की गयी थी मगर आज तक उसकी पत्रावली नहीं दिखाई गई थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जब इधर आयेंगे तो पत्रावली देख लीजिएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

कुछ चीजें और रखी गयी थीं। हरिजनों की भूमि के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गयी और जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान शासन भी हरिजनों को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में सजग है और माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि श्री मंगलदेव विशारद समिति की जो रिपोर्ट है उसको कार्यान्वित किया जायगा और हरिजनों को भूमि, जो बची हुई है, वह सब की सब बांटी जायगी।

एक सदस्य––

नगर क्षेत्र की बात कह रहे थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

अभी हाल में सीतापुर, हरिद्वार नगरों में आवास हेतु भूमि आवंटन का प्रश्न करीब-करीब 5 साल से विचाराधीन था और वर्तमान शासन ने हाल में निर्णय लिया है कि सीतापुर, हरिद्वार में नगरपालिकाओं के अन्दर जो आवास के लिए भूमि है वह हरिजनों को आवंटित कर दी जायगी।

पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनको चुंगी और सीमा कर आदि से मुक्त कर दिया गया है। शुरू में बतलाना भूल गया था कि दवाइयां सस्ती मिलें यह भी विचार था। बहुत सी नगर पालिकाएं और समाज सेवी संस्थाएं दवाओं पर चुंगी कर, पथ-कर और सीमा-कर लगाती थीं। हमने सेण्टर से परामर्श करके निर्णय लिया है और दवाओं को सीमा-कर, पथ-कर और चुंगी-कर से मुक्त कर दिया है। इससे जो गरीब लोग हैं उनको दवा निश्चित रूप में कुछ सस्ती मिलेगी।

अन्त में आज भी माननीय श्रीराम द्विवेदी ने पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अयोध्या में चूंकि परिक्रमा पड़ेगी तो 20 नवम्बर को चुनाव न करा कर इसको टाला जाय। मैंने पूर्व में ही अवगत कराया था कि इस सम्बन्ध में बराबर प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं और सब को एक साथ परीक्षण कराने के साथ और माननीय राम आसरे वर्मा के दिमाग में तनिक

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

भी शंका और संशय नहीं रहना चाहिए कि चुनाव टालने की कोई योजना है। निश्चित रूप से चुनाव कराये जायेंगे लेकिन चुनाव की तारीख, इतना तो आप सहमत होंगे, ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि मास पार्टिसिपेशन हो सके।

श्री रियासत हुसैन—

30 नवम्बर से पहले-पहले हो जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

1977 या 1978? शासन का तो निश्चित रूप में निर्णय है कि 30 नवम्बर के पहले चुनाव करा देना है और इसलिए जो सम्भावित तिथियां घोषित की गई थीं उसमें इस की घोषणा की गयी थी कि 20 नवम्बर को चुनाव करा दिया जायगा। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर का मामला है, अयोध्या का मामला है, ऋशर का मामला है, कुछ और भी बातें हैं जिससे लगता है कि तारीख में कुछ हेरफेर करना पड़ेगा। 20 नवम्बर की तारीख इसलिए निश्चित की गई थी कि वह दशहरा और दीवाली के बीच में पड़ती थी। तो दीवाली के पहले चुनाव समाप्त हो जाते।

श्री रियासत हुसैन—

मैं इसीलिए 30 नवम्बर की बात कह रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

30 नवम्बर के आस-पास दीवाली पड़ रही है। लेकिन आप शंका न करें, चुनाव निश्चित तारीखों के अन्तर्गत हो जायेंगे। 10–15 दिन अगर घटाना बढ़ाना पड़े तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अन्त में मैं. . .

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मन्त्री जी, एक मुख्य बात का जवाब नहीं दिया जो हमने भी उठाया था और मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने उठाया था और वह बात थी, साधनों की। क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम आक्ट्राय और चीजें से हटा रहे हैं। जैसे बैरियर हटाने की बात की। उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल आया कि किस तरह से साधन बढ़ाए जायं। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

स्वायत्त सेवी संस्थाओं की आय बढ़नी चाहिए, उनके आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए इसके सम्बन्ध में इस समय तो कोई एलान हो नहीं सकता है।

(श्री श्यामधर मिश्र के पुनः खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। आपने एक प्रश्न किया। अब हम अनुदान पर वोट लेने जा रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

श्री श्याम धर मिश्र जी ने कुछ सुझाव दिए। नगर पालिका और महापालिका कानून में भी कुछ दिया हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कर लेकर या कुछ प्राविधान कर के वसूला जा सकता है। फिर भी इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है और हम इस वक्त यह नहीं कह सकते कि किस सुझाव को शासन स्वीकार करेगा और किसको अस्वीकार।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष––

अब आप बैठिए। इस तरह से नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी से निवेदन कर रहा था कि अच्छी परिपाटी आप कायम करें। 30 सालों में इस देश में सही मानों में पहली बार जनता की सरकार बनी है, केन्द्र में भी और इस प्रदेश में भी। आप देखिए कि एक जमाने के इसी सदन के जो विरोधी दल के नेता थे आज फिर वही विरोधी दल के नेता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। यह जनतन्त्र की मान्यता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बदली हुई परिस्थिति में आप नई परिपाटी कायम करिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)––

माननीय अध्यक्ष महोदय. . .

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

इसलिए बदली हुई परिस्थिति में आप जो कटौती का प्रस्ताव लाए हैं, आप कृपया उसे वापस ले लें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष––

अन्त में आप अपना उत्तर दे चुके, माननीय मन्त्री जी का उत्तर हो गया, अब यह नियम विरुद्ध है। अब मैं कटौती का प्रस्ताव ले रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कोई नई परिपाटी माननीय मन्त्री जी ने कायम किया नहीं, जो पुराने आदर्श थे उसी का अनुसरण किया, ऐसी दशा में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की नई परिपाटी कायम करने की जो बात माननीय मन्त्री जी कर रहे हैं असंगत है, उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग अब शान्त रहिए, मतदान शुरू होगा।

प्रश्न यह है, कि अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन-कर--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--नगर विकास--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,76,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,97,68,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है, कि अनुदान संख्या 69--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 69-स्थानीयनिकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,20,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्षमें अनुदान संख्या 74-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,58,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम--स्वायत्त शासन--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91-ऋण और अग्रिम--स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,43,58,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92-ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,02,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको ले रहा हूं। श्री श्याम सुन्दर की बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में धांधलियां तथा शिक्षकों की नियुक्तियों में पक्षपात के कारण सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में हड़ताल सम्बन्धी सूचना को स्वीकार किया है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

अध्यक्ष महोदय 20 तारीख को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

जरा ठहरिए।

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को शिक्षा मन्त्री जी इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष--

21 तारीख को शिक्षा मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे। अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
13 सितम्बर, 1977

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 933 पर)

बदायूं जिले में 1 अगस्त, 1977 को विभिन्न अवधि से लम्बित फौजदारी मुकदमों का विवरण

सत्र परीक्षण

1971 से	1
1973 से	2
1974 से	23
1975 से	107
1976 से	336
1977 से	193
1-8-77 को योग	662

फौजदारी अपीलें

1975 से	..
1976 से	2
1977 से	13
1-8-77 को योग	15

फौजदारी निगरानी

1975 से	1
1976 से	4
1977 से	14
1-8-77 को योग	19

फौजदारी मुकदमें (मैजिस्टीरियल न्यायालय)

1970 से	2
1971 से	21
1972 से	60
1973 से	92
1974 से	395
1975 से	1927
1976 से	3369
1977 से	4440
1-8-77 को योग	10,306

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 948 पर)

प्रश्न करने वाले सदस्य का नाम	किया गया प्रश्न	दिया गया उत्तर
1	2	3
श्री ऊदल	इस वक्त उत्तर प्रदेश की जेलों में कितने नक्सलपंथी बन्द हैं ?	अभी तक जो रिपोर्ट है या सरकार के यहां जानकारी है, उसके आधार पर कुल 1 विचाराधीन है और 10 दोषसिद्ध हैं जो जेलों में हैं।
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	माननीय मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि जो नक्सलपंथी बन्दी हैं उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप आरोपित हैं ?	मान्यवर कुछ के ऊपर हिंसा के आरोप हैं। कुछ के ऊपर 147/148 आदि के आरोप हैं।
श्री राम आसरे वर्मा	क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की भिन्न-भिन्न जेलों में कितने नक्सलपंथी बन्द हैं ? उनके नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?	मान्यवर, यह विचाराधीन बन्दी एक हरदोई के हैं और दोषसिद्ध बन्दियों में दस हैं जो जेलों के अन्दर बन्द हैं।
श्री गंगा प्रसाद	क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे प्रदेश में जितने नक्सलपंथी हैं उनमें से कितनों का अदालत में ट्रायल हो रहा है ?	मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 लोग हैं जिनका ट्रायल हुआ और वह इस समय जेल में बन्द हैं।

2—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नवत् है।

राम नरेश यादव,
मुख्य मन्त्री।

प्रश्न

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलपंथी बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

उत्तर

जी नहीं। नक्सलपंथी बन्दियों की बिना शर्त रिहाई का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

राम नरेश यादव,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 949 पर ।)

राजस्व मन्त्री का वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया

उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक वर्ष ही वर्षाकाल में नदियों की बाढ़ से अथवा अतिवृष्टि से उत्पन्न जलप्लावन की स्थिति से हानि होती रही है। नदियों के किनारे बसे हुए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें प्रति वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है और उसके कारण हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसी आपदाओं के समय आवश्यक सहायता पहुंचाना शासन का सामान्य दायित्व हो गया है इसलिए किसी भी आपदा के समय सहायता पहुंचाने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाता है।

2—इस वर्ष जुलाई माह में प्रदेश के 36 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा व आगरा में तो माह की साधारण वर्षा की तुलना में एक महीने में ही दुगनी से भी अधिक वर्षा हुई। जिला आगरा में राजस्थान के बांधों से बाढ़ का पानी आ जाने से किरावली तहसील के कई गांव प्रभावित हुए। इसी प्रकार मथुरा जिले में भी हरियाणा प्रदेश की ओर से अधिक पानी आ जाने से, अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति और भी खराब से गयी और बाढ़ एवं जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

3—शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 28 जिले बाढ़ एवं जलप्लावन से प्रभावित हुए हैं। उन जिलों के अतिरिक्त अगस्त मास में जिला देहरादून व पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि के फलस्वरूप भू-स्खलन की घटनाओं से जान-माल की काफी क्षति हुई। इस प्रकार प्रदेश के 30 जिलों में बाढ़/जलप्लावन व भू-स्खलन न हुई क्षति का विवरण निम्नलिखित है —

1—प्रभावित गांव	7,115
2—प्रभावित जनसंख्या	35.63 लाख
3—प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	28.90 लाख
4—प्रभावित बोया हुआ क्षेत्रफल (एकड़ में)	13.50 लाख
5—क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	43,877
6—जीवन हानि—	
(1) मनुष्य	126
(2) पशु	885

क्षति का जिलेवार विवरण संलग्न है।

4—बाढ़ तथा जलप्लावन की स्थिति का करने के लिए प्रत्येक जिले में बाढ़ सुरक्षा योजना बनी हुई है। इस वर्ष अप्रैल माह में ही शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, 1977 द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने-अपने जिले की बाढ़ सुरक्षा योजना में विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आवश्यक संशोधन कर लें और वर्षा प्रारम्भ होने के पहले

ही संभावित बाढ़ से सुरक्षा एवं पीड़ितों की सहायता हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं तैयारी कर लें। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तथा पशुपालन विभागों को भी आवश्यक दवाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित कर दिया गया था। उसके पश्चात् दिनांक 2 मई, 1977 को सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों तथा फौज के अधिकारियों की एक बैठक में बाढ़ सम्बन्धी व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और सभी विभागाध्यक्षों से यह कहा गया कि विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर वह पहले से ही आवश्यक व्यवस्था कर लें। प्रदेश का पूर्वांचल ही बाढ़ से प्राय : अधिक प्रभावित होता है, अत : दिनांक 5 अगस्त, 1977 को इलाहाबाद में प्रदेश के बुन्देलखंड तथा पूर्वांचल के 21 जिलों के जिलाधिकारियों और मन्डलायुक्तों की एक विशेष बैठक सब एरिया इलाहाबाद के आर्मी कमान्डर ने आयोजित की जिसमें बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी की गई तैयारी की समीक्षा की गयी और बाढ़ की गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सामना करने के लिए फौजी सहायता देने के लिए अग्रिम कार्यवाही की व्यवस्था करना निश्चित किया गया है। सौभाग्य से अभी तक प्रदेश के किसी भी भाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसके लिए फौजी सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

5—प्रदेश का मथुरा जनपद गत वर्ष की भांति फिर से बाढ़/जलप्लावन की चपेट में आ गया है। इस वर्ष 7 जुलाई, 1977 तक इस जनपद में सामान्य से अधिक वर्षा तो हुई थी साथ ही हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जनपद से अधिक मात्रा में वर्षा का पानी निरन्तर मथुरा जनपद की ओर से आता रहा। 4/5 अगस्त, 1977 के लगभग हरियाणा क्षेत्र में उझीना नाले की बांई पटरी के टूटने के कारण इस नाले की खांदी (Breach) का पानी राजस्थान प्रदेश की कामा लेक में अधिक मात्रा में एकत्र हो गया था। यह पानी उत्तर प्रदेश में कामा रेगुलेटर द्वारा ही निकल सकता है। दिनांक 6 अगस्त, 1977 को मथुरा में हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कामा रेगुलेटर से 840 क्यूसेक से अधिक पानी गोवर्धन ड्रेन में नहीं लिया जायगा। इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री जी ने भी एक पत्र केन्द्रीय सिंचाई एवं कृषि मन्त्री जी को दिनांक 19 अगस्त, 1977 को लिखा है। उझीना नाले की बांई पटरी टूट जाने के कारण कामा रेगुलेटर के ऊपरी क्षेत्र (राजस्थान) में बहुत अधिक मात्रा में पानी एकत्र होने से यह भय होने लगा कि अगर और अधिक मात्रा में कामा रेगुलेटर से पानी नहीं निकाला गया तो कामा रेगुलेटर एवं बांध टूट जायगा एवं मथुरा जनपद में अधिक क्षति होने की संभावना होगी। अत : इन परिस्थितियों में कामा रेगुलेटर से 840 क्यूसेक पानी की निर्धारित मात्रा से अधिक पानी उत्तर प्रदेश द्वारा गोवर्धन नाले में लिया गया इसके अतिरिक्त भी हरियाणा क्षेत्र का पानी गुढ़धीवरवारी-लालपुर सड़क (कथित लालपुर बांध) से होता हुआ हुलवाना नाले में आया तत्पश्चात् यह पानी भी गोबर्द्धन नाले में कामा रेगुलेटर के नीचे जा मिला। उझीना नाले की कटान से इस प्रदेश का कोई भी क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त नहीं हुआ है।

6—मथुरा जनपद की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि जनपद का क्षेत्र नीचा होने के कारण राजस्थान एवं हरियाणा प्रदेशों से बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में निरन्तर आता रहा है। अतः इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार 1961-1965 की अवधि में गोवर्द्धन

ड्रेन का निर्माण किया गया। इस समझौते के अनुसार हरियाणा प्रदेश का 200 क्यूसेक्स पानी तथा राजस्थान प्रदेश का 640 क्यूसेक्स पानी गोवर्द्धन ड्रेन से कामा रेगुलेटर के द्वारा निकालना तय हुआ था और तदनुसार गोवर्धन ड्रेन का निर्माण इस प्रकार किया गया कि कामा रेगुलेटर के पास इसका पानी निकालने की क्षमता 840 क्यूसेक्स रखकर आगे उसे धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार इस प्रकार बढ़ाया गया कि मथुरा जिले का 1000 क्यूसेक्स पानी और लेकर गोवर्धन ड्रेन 1840 क्यूसेक्स पानी यमुना नदी में डाल सके। गोवर्धन ड्रेन के निर्माण के बाद भी सम्बन्धित क्षेत्र में जलप्लावन एवं बाढ़ के पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसीलिए समय-समय पर तीनों राज्यों के बीच इस समस्या पर विचार विमर्श हुए हैं और परियोजनायें प्रस्तावित की गई हैं। वर्ष 1964 में एक अन्तर प्रदेशीय बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि गोबर्धन ड्रेन की पानी निकालने की क्षमता कामा रेगुलेटर पर 840 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 1240 क्यूसेक्स कर दी जाय और इस पर होने वाले व्यय में 75 लाख रुपए हरियाणा और राजस्थान सरकारें वहन करें किन्तु यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ। वर्ष 1965 में जफर अली कमेटी ने इस पर विचार किया और यह प्रस्तावित किया कि गोवर्धन ड्रेन की पानी निकालने की क्षमता 840 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 1850 क्यूसेक्स कामा रेगुलेटर पर कर दी जाय ताकि यह 600 क्यूसेक्स पानी राजस्थान का और 1250 क्यूसेक्स पानी हरियाणा प्रदेश का निकाल सके किन्तु यह प्रस्ताव भी कार्यान्वित नहीं हो सका। इसके बाद दो अन्तर प्रदेशीय बैठकें वर्ष 1967 तथा 1970 में आयोजित हुईं और यह मामला श्री एन0 जी0 के0 मूर्ति कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन सभी समितियों में यही विचार किया गया कि गोवर्धन ड्रेन की पानी निकालने की क्षमता बढ़ाई जाय और सितम्बर, 1976 में केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री जी की अध्यक्षता में सम्बन्धित तीनों ही राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र की बाढ़ समस्या को सुलझाने के लिए तीनों राज्यों का एक मास्टर प्लान केन्द्र के परामर्श से बनाया जाय तो तुरन्त कार्यान्वित हो। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इस सम्बन्ध में एक परियोजना 12.25 करोड़ रुपए की बनाई गई है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए एक अलग समानान्तर हुलवाना नाला तथा लालपुर बांध का निर्माण सम्मिलित है। यह परियोजना भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग को फरवरी, 1977 में भेजी गई थी ? इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक स्मरण-पत्र भी जून, 1977 को भेजा गया था तथा समय-समय पर मुख्य अभिन्यता, सिंचाई विभाग के कार्यालय से केन्द्रीय जल आयोग को स्मरण-पत्र भेजे गए हैं लेकिन आभी तक स्वीकृति अपेक्षित है।

7—प्रदेश शासन ने राहत कार्य हेतु मथुरा जिले को 6,05,000 रुपए आवंटित कर दिए हैं। मथुरा जिले में 47 बाढ़ चौकियां स्थापित की गईं तथा 85 नावें सहायता कार्य में लगाई गई हैं। 934 व्यक्तियों तथा 815 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 23,649 कुओं को विसंक्रामित किया गया है। 1,77,381 व्यक्तियों तथा 1,27,588 पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में कृषि देयों की वसूली स्थगित करने के आदेश भी जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं।

8—प्रदेश के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष ही बाढ़ की सम्भावना रहती है और नदियों

से कटान तथा जलप्लावन की समस्या उत्पन्न होती है। इस श्रेणी के जिले मुख्यतः बस्ती, देवरिया, गोरखपुर तथा बलिया हैं। इन जिलों में घाघरा, गंगा, राप्ती गन्डक नदियां तथा इनकी सहायक नदियां बाढ़, कटान तथा जलप्लावन की स्थिति पैदा करती है। इसके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी के जिलों में आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर तथा प्रदेश के कुछ अन्य ऐसे जिले हैं जहां वर्षा ऋतु में काफी नुकसान होता है। जहां तक इस वर्ष नदियों द्वारा कटान से हुई क्षति तथा राहत कार्य का प्रश्न है, जनपदवार स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) **हरदोई**—इस जनपद में कुण्डा नदी से अरवल गांव की आबादी के पास कटान हुआ है जिसकी सुरक्षा के लिए योजना बनाई जा रही है। इस जनपद में 61 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 57 नावें प्रयोग में लाई जा रही हैं। 652 मनुष्यों तथा 220 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तक कुल 1,47,000 रुपए विभिन्न मदों में आवंटित किया जा चुका है जिसमें एक लाख रुपया आवश्यकतानुसार टेस्ट वर्क प्रारम्भ करने के लिए दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र के 158 कुओं को दवा डालकर विसंक्रामित किया गया है और 1,575 व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा दी गई है।

(2) **गाजीपुर**—इस जनपद के शेरपुर ग्राम में गंगा नदी के कटान से लगभग 300 बीघा भूमि की क्षति होने तथा 350 परिवारों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। कटी हुई भूमि बोई नहीं गई थी। कोई जीवन हानि नहीं हुई है। किसी चल सम्पत्ति की भी क्षति नहीं हुई है और न आबादी को ही क्षति हुई है। कटान के रोकथाम के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि कोई परियोजना बनाई जा सके। इस जनपद में 95 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के लिए नावों का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के 208 कुयें विसंक्रामित किए गए हैं तथा 1,525 व्यक्तियों तथा 62,398 पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। अब तक 2,61,000 रुपए की धनराशि विभिन्न मदों में आवंटित की गई है जिसमें से दो लाख रुपया केवल बाढ़ सुरक्षा बांधों की मरम्मत के लिए टेस्ट वर्क्स मद से दिया गया है।

(3) **वाराणसी**—यह बाढ़ प्रभावित जनपद नहीं है किन्तु गंगा नदी से ग्राम छेछुवा तथा मुर्री में 20 हेक्टेयर भूमि के कटान की सूचना प्राप्त हुई है। इस जनपद को भी 19 हजार रुपया सहायता कार्यों के लिए अब तक आवंटित किया गया है।

(4) **उन्नाव**—गंगा नदी के कटान से उन्नाव जनपद में भी क्षति हुई है। उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव के ग्राम कन्हवापुर के 55 मकान तथा ग्राम तेजीपुरवा, मजरा खेरहा के 35 मकान कुल 90 मकान कट गए हैं। तहसील सफीपुर में गंगा नदी की कटान से ग्राम खगा पुरवा, लक्ष्मणपुरवा, धन्नापुरवा, मजरे कटरी तोड़ना, पन्नापुरवा, मजरे अकबरपुर सेंग तथा जानकी पुरवा मजरे सेतुवाही के 70 मकान कट गए हैं। गंगा नदी की कटान से रेलवे लाइन और राष्ट्रीय मार्ग को भी खतरा पैदा हो गया है। सिंचाई विभाग द्वारा इसकी रोक-थाम के लिए कार्यवाही की जा रही है। राहत कार्यों के लिए उन्नाव जिले को 95,000 रुपया विभिन्न मदों में आवंटित किया गया है। 33 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, 22 नावें सहायता कार्य में लगी हुई हैं। 1,044 व्यक्तियों तथा 797 पशुओं को असुरक्षित स्थानों पर से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 934 कुओं को विसंक्रामित किया गया है तथा

8,188 व्यक्तियों और 56,343 पशुओं को चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई है। तहसील उन्नाव में कटान से पीड़ित व्यक्तियों को अब तक 8,400 रुपया गृह निर्माण अनुदान वितरित किया जा चुका है। विस्थापितों को आवास हेतु एक बिसवा भूमि प्रति परिवार के हिसाब से ग्राम आजादनगर एवं मंसाखेड़ा में आवंटित की जा चुकी है। तहसील सफीपुर में कटान से प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भू-खन्ड आवंटित कर दिए गए हैं और पीने के पानी के लिए हैन्ड पम्प की भी व्यवस्था कर दी गई है। सहायता के रूप में इस तहसील में भी प्रभावित लोगों को 3,250 रुपए की अहेतुक सहायता और 3,000 रुपए गृह निर्माण अनुदान दिया जा चुका है।

(5) **बलिया**—यह बाढ़ प्रभावित जिला है। इसमें गंगा और घाघरा दोनों ही नदियों द्वारा कटान हुआ है। गंगा नदी के कटान के कारण ग्राम मझौवा, शाहपुर-बभनौली तथा उमरपुर दियरा में समस्या उत्पन्न हुई है। ग्राम मझौवा जो गंगा नदी के किनारे स्थिति है, की आबादी कई वर्षों से कट रही थी, इसकी कटान को रोकने के लिए बाढ़ नियन्त्रण विभाग ने कुछ स्थानों पर नदी के किनारे पिचिंग (Pitching) की थी किन्तु कटान रुक नहीं सका और इस ग्राम के 337 घर गंगा नदी में कटकर चले गए हैं। ग्राम शाहपुर-बभनौली की आबादी जो 72 घरों की थी गंगा नदी द्वारा कट गई है। घाघरा नदी से 6 गांव रामपुर नम्बरी, मरकटिया नौबरार, डुहा बिहरा, दियरा अदमापुर, रामनगर जनूबी और गोपालनगर में घाघरा नदी के कटान से 74 मकान ध्वस्त हो गए हैं। रामपुर नम्बरी और मरकटिया नौबरार में भी भूमि का कटान हो रहा है जिसकी रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम शाहपुर-बभनौली के विस्थापितों को नदी से दूर गांव समाज की भूमि पर बसाया गया है, ग्राम मझौवा में बिजली की एक लाइन बाढ़ विभाग के व्यय पर लगभग एक माह से लगी है और गांव के कई स्थानों पर बड़े-बड़े बल्ब और फ्लैश लाइट लगाकर रोशनी की व्यवस्था की गई है। एक चिकित्सक की व्यवस्था करके एक डिस्पेन्सरी भी यहां खोली गई है जो चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। इस जनपद में प्रति परिवार 100 रु0 अहेतुक सहायता व 200 रुपया गृह निर्माण अनुदान दिया गया है। इसी प्रकार शाहपुर-बभनौली के विस्थापित परिवारों को भी सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है। ग्राम चांदपुर में भी गत वर्ष की कटान के बाद विस्थापित लोगों को जो तुर्तीपार श्रीनगर बांध पर बस गए थे, को भी बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था के लिए ग्राम मझौवा के पुनर्स्थापित स्थान पर तीन हैन्ड पम्प तथा एक-एक हैन्ड पम्प ग्राम शाहपुर-बभनौली तथा चांदपुर में लगाया जा रहा है। बलिया जनपद को अब तक 4,61,500 रुपया राहत कार्यों के लिए आवंटित किए जा चुके हैं जिसमें से 25,000 रुपया आवश्यकतानुसार टेस्ट वर्क्स चलाने के लिए आवंटित किए गए हैं। इस जनपद में 82 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं तथा 101 नावें सुरक्षा कार्यों में लगी हुई हैं। 235 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 6,519 कुओं को विसंक्रामित किया गया है। 93,577 व्यक्तियों को तथा 66,790 पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी गई है।

(6) **आजमगढ़**—घाघरा नदी से तहसील सगड़ी व घोसी के गांवों के कटान से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। जनपद को 62,000 रुपया विभिन्न मदों में राहत कार्यों के लिए आवंटित किया जा चुका है। 15 बाढ़ चौकियां स्थापित की गईं तथा 48 नावें सहायता कार्य में लगाई गई हैं। 145 व्यक्तियों

तथा 21 पशुओं को पुरक्षित स्थानों को पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 1,039 कुओं को विसंक्रामित करने के लिए दवा डाली गई तथा 977 व्यक्तियों और 19,000 पशुओं को चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई है।

(7) **गोरखपुर**—जनपद में राप्ती, घाघरा, गन्डक तथा रोहिनी नदियों से 13 गांवों में कटान होने की सूचना प्राप्त हुई है। चार गांवों भरवलिया, सरार मझगवां, औराहा तथा भोरावल में कटान से आबादी के मकानों तथा कृषि क्षेत्र दोनों को ही क्षति हुई है। शेष गांवों में मुख्यतः कृषि क्षेत्र को ही क्षति पहुंची है। ब्रह्मपुर ब्लाक के अन्तर्गत चितहरी थुन्नी बांध के पास राप्ती नदी से कटान के कारण लगभग 30 मीटर की लम्बाई में भूमि कट गई है। जैसे ही यह कटान शुरू हुआ सिंचाई विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई और अब स्थिति नियन्त्रण में है। कटान प्रभावित आबादी को बसाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी को 2.40 लाख रुपए विभिन्न मदों में सहायता एवं कार्य हेतु आवंटित किए गए हैं। 106 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं तथा 90 नावें सहायता कार्य में लगाई गई हैं। 2,295 कुओं को विसंक्रामित करने के लिए दवा डाली गई है तथा मनुष्यों एवं पशुओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। सहायता कार्य जारी है।

(8) **बस्ती**—इस जिले में घाघरा, बूढ़ी राप्ती, राप्ती तथा बानगंगा नदियों से कटान हुआ है। लगभग 66 गांव कटान से प्रभावित हैं। इनमें से 20 गांवों में कटान से आबादी के मकानों को क्षति हुई है और 46 गावों में मजुरुआ जमीन कटी है। ड्रेनेज विभाग द्वारा कटान की रोक-थाम के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। तहसील खलीलाबाद मौजा बेलौली की मजुरुआ जमीन के कटान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी रोक-थाम के लिए कुछ बल्ली व ठोकर लगाकर एक 200 मीटर लम्बा बांध वर्षा काल में ही बनाया गया है। जिससे कटान रुक गया है। नदियों के कटान से लगभग 250 मकान कटकर ध्वस्त हो गए हैं। कटान से मजुरुआ जमीन को जो क्षति हुई है उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। नदियों के कटान व बाढ़ से लम्बनी-दुद्धी स्टेट हाई वे (State High Way) देवरुआ-शोहरतगढ़ मार्ग, उखासोहारू मार्ग, मेंहदावल करमैनी मार्ग, रामजानकी मार्ग, सड्डापुर, बूढ़ी राप्ती सेतु मोहचोरवा घाटपर, गोरखपुर गोन्डा लूप रेलवे लाइन, परसा-बढ़नी रेलवे स्टेशनों के बीच, वैकौली के पास रिंग बांध, ककरही गोन्हा बांध, संभरा मास्खरग बांध, उस्का लखनापार बांध, बांसी बनकटा बांध, सोनकर लडियां बांध और बांसी पनघटिया बांध को भी आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। बस्ती जनपद को राहत कार्यों के लिए अब तक 2.04 लाख रुपया आवंटित किया जा चुका है। 49 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 118 नावें राहत कार्य में लगाई गई हैं। 2,646 व्यक्तियों तथा 544 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 3,600 कुओं को विसंक्रामित करने के लिए दवा डाली गई है। 18,000 व्यक्तियों तथा 70,000 पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

(9) **देवरिया**—देवरिया में बिहार प्रदेश के एक बांध के पास बड़ी गन्डक से कटाव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सिंचाई विभाग ने इस ओर बिहार सरकार

का ध्यान आकृष्ट किया है और यहां के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) को भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कटान स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा गया । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बिहार प्रदेश के अधिकारी सुरक्षा कार्यों में लगे हुए हैं और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) ने यह सूचना दी है कि बिहार सरकार के अधिकारी बांध की सुरक्षा व्यवस्था का जो कार्य कर रहे हैं वह नदी के वर्तमान (Discharge) जलस्तर तथा (Flow Conditions) में बांध को सुरक्षित रख सकेगा किन्तु यदि नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी अधिक आया तो यह कार्य अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है । जिलाधिकारी, देवरिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर स्थिति पर सतर्कता पूर्वक नजर रखने और यदि स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो उससे शासन को अवगत कराने के लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है । देवरिया जनपद को अभी तक 2 लाख 7 हजार रुपया विभिन्न मदों में सहायता कार्य हेतु आवंटित किया जा चुका है । 24 बाढ़ चौकियां स्थापित हैं और 114 नावें व एक मोटर वोट सहायता कार्य में प्रयोग में लाई जा रही है । 5,263 व्यक्तियों तथा 1,625 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है । 2,295 कुओं में दवा डालकर विसंक्रामित किया गया है । 16,849 व्यक्तियों तथा 58,632 पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है ।

9—वर्षा प्रारम्भ होने के बाद जिन-जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति जैसे-जैसे उत्पन्न हुई है वहां फ्लड कन्ट्रोल रूम तथा बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं । प्रभावित क्षेत्रों में 702 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और बाढ़ से प्रभावित, क्षेत्रों के जलमग्न स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा अन्य राहत कार्य करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 19 मोटर वोट्स, 9 मोटर लांच तथा 9,956 नावें उपलब्ध हैं । विभिन्न स्थानों पर जलप्लावित क्षेत्र से पानी निकालने के लिए 35 पम्प लगाए गए हैं । अभी तक 20,938 व्यक्तियों तथा 23,231 पशुओं को असुरक्षित स्थानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाय गया है तथा आवश्यकतानुसार खाद्यान्न सामग्री तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है । अप्रैल, 1977 में ही प्रत्येक जिले के जिलाधिकरियों को दैवी आपदाओं से पीड़ितों को सहायता प्रदान करने तथा बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए 10,000 रुपया की धनराशि आवंटित कर दी गई थी और फिर जैसै-जैसे उनकी ओर मांग आती गई उन्हें अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है । प्रदेश के कई जिलों में मनुष्यों एवं पशुओं को पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु 20 लाख रुपया की धनराशि जल निगम को आवंटित की गई । बाढ़ से सुरक्षा हेतु गोरखपुर मन्डल में स्थिति जमींदारी बांधों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु उनका रख-रखाव व मरम्मत टेस्ट वर्क मद से कराने हेतु सिंचाई विभाग को 23.50 लाख रुपया की धनराशि दी गई है तथा कई जिलों में टेस्ट वर्क चलाए जाने के लिए जिलाधिकारियो को 8,85,200 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है । अब तक विभिन्न राहत कार्यों हेतु राजस्व विभाग द्वारा कुल मिलाकर 104 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है । पिथौरागढ़ जनपद में अतिवृष्टि से हुए भू-स्खलन के कारण मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से 88.500 रुपया की सहायता की गई है । प्रदेश में अग्निकान्ड तथा बाढ़ पोड़ितों के सहायतार्थ प्रधान मन्त्री सहायता कोष से भी 1,18,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग किया

जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त जिलों को 54,75,000 रुपए की तकावी का भी आवंटन किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को उन कृषकों से जिनका मुख्य व्यवसाय खेती है कृषि देयों की वसूली में दिनांक 30 सितम्बर, 1977 तक उत्पीड़क कार्यवाही न किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं।

10—प्रभावित क्षेत्रों में पानी के घटने के पश्चात् प्रायः संक्रामक रोग व अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका होती है जिसकी रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कर्मचारियों को सतर्क कर बाढ़ चौकियां स्थापित करने एवं आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचाने हेतु 729 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। रोगों की रोकथाम एवं उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से लगभग 22 लाख रुपए की मूल्य की औषधियां भी भेजी गई हैं तथा बाढ़ग्रस्त जनपदों को लगभग 8 लाख रुपए की अतिरिक्त औषधियां भी भेजी गई हैं। दिनांक 31 अतस, 1977 तक चिकित्सा सम्बन्धी किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :—

(1)	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें हैजा निरोधक टीके लगाए गए	2,60,171
(2)	कुओं की संख्या जो विसंक्रामित किए गए ..	91,751
(3)	रोगियों की संख्या जिनको संभावित मलेरिया रोग का उपचार किया गया।	1,51,726
(4)	व्यक्तियों की संख्या जिनके अन्य रोगों का उपचार किया गया।	1,24,050

पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,59,00,000 रुपया की मलेरिया निरोधक औषधियां एवं कीटाणुनाशक दवाइयां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं। बाढ़ग्रस्त जिलों में 11,181 ज्वर उपचार केन्द्र एवं 412 मलेरिया क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। मलेरिया, हैजा तथा अन्य रोगों के इलाज तथा उसकी रोकथाम की व्यवस्था कर दी गई है।

इसी प्रकार पशुओं में भी रोगों की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही की गयी है। 4,84,709 पशुओं को टीके आदि भी लगाए गए हैं।

प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, बांदा तथा इलाहाबाद जिले ही सामान्यतः Drought Prone Area माने जाते हैं। इन जिलों में से मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा तथा इलाहाबाद में जून के महीने में ही सामान्य की तुलना में वर्षा सन्तोषजनक रही केवल जौनपुर में ही वर्षा कम हुई किन्तु उसके बाद जुलाई में प्रारम्भ से ही व्यापकरूप से वर्षा हुई और प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अगस्त के महीने में भी Drought Prone Area के जिलों में सामान्य की तुलना में 50 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षा हुई तथा इन जिलों में सूखे की कोई समस्या होने की सूचना नहीं है। सूखे से प्रभावित होने वाले उपरोक्त जिलों में अप्रैल से ही जल

निगम की बीस लाख रुपए इस उद्देश्य से आवंटित कर दिया गया था कि Drought Prone Area के जिलों में जहां-जहां पीने के पानी की कमी अथवा समस्या हो वहां मनुष्यों और पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था कर दी जाय।

प्रदेश में मानसून प्राय: जून के मध्य के बाद आता है। इस वर्ष जून के महीने में 6 जिलों में सामान्य की तुलना में 120 प्रतिशत से भी अधिक वर्षा हुई और 19 जिलों में सामान्य वर्षा के 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई। शेष जिलों में वर्षा या तो संतोषजनक हुई या सामान्य की तुलना में कुछ ही कम हुई। जुलाई के महीने में प्रारम्भ से ही व्यापक रूप से वर्षा हुई और अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। अगस्त के महीने में प्रदेश के 2 जिलों में सामान्य वर्षा के 120 प्रतिशत से अधिक वर्षा, 18 जिलों में सामान्य की तुलना में 80 प्रतिशत से 120 प्रतिशत तक वर्षा हुई है। 16 जिलों में सामान्य की तुलना में कुछ कम वर्षा (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच) हुई है। 14 जिलों में सामान्य की तुलना में वर्षा 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच हुई है। सूखे के प्रभाव के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों से सूचना मांगी गई है। अभी तक जिलाधिकारी, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया ने फसल पर सूखे के प्रभाव को इंगित किया है।

देवरिया—देवरिया जनपद में जुलाई में सामान्य की तुलना 40 प्रतिशत से कम तथा जुलाई और अगस्त में सामान्य की तुलना में क्रमश: 79 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत वर्षा हुई है। इस महीने में भी प्रथम सप्ताह में 14 मि0मी0 के वर्षा हो जाने की सूचना है। जिलाधिकारी, देवरिया ने सूचित किया है कि वर्षा में कमी के कारण सूखे से 10 प्रतिशत की क्षति की सम्भावना है।

गोरखपुर—गोरखपुर जनपद में जून में 40 प्रतिशत से कम तथा जुलाई और अगस्त में सामान्य की तुलना में क्रमश: 98 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत वर्षा हुई। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में भी 23 मि0मी0 वर्षा हो जाने की सूचना है। प्रारम्भ में वर्षा कम होने के कारण खरीफ की फसल विशेषकर धान को कुछ क्षति पहुंची। जनपद में धान का कुल क्षेत्रफल 2.78 लाख हेक्टेयर है जिसमें 80 हजार हेक्टेयर सिंचित है तथा शेष असिंचित है। सिंचित क्षेत्र में सूखे का प्रभाव नगण्य है। इसके अतिरिक्त जो भाग निचले हैं वे भी सूखा से प्रभावित नहीं हैं किन्तु शेष भाग में 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक क्षति होने की सम्भावना है। इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

बस्ती—इस जिले में माह जून में सामान्य की तुलना में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई। जुलाई में सामान्य से कहीं अधिक (118.5 प्रतिशत) और अगस्त में सामान्य से कुछ कम वर्षा (68 प्रतिशत) हुई। सितम्बर मास में 10 तारीख तक 52.3 मि0 मी0 वर्षा हो जाने की सूचना है। जून मास में वर्षा कम होने के कारण असिंचित क्षेत्रों में क्षति 60 प्रतिशत तक अनुमानित थी। सिंचित क्षेत्र में यह क्षति 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अनुमानित थी। वर्षा की कमी के कारण खरीफ की बोवाई समय से प्रारम्भ नहीं हो सकी किन्तु जुलाई मास में अच्छी वर्षा होने से स्थिति सुधर गई और फसल की बोवाई और रोपाई समय से हो गई। केवल बस्ती तहसील में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण जड़हन धान की रोपाई पूरे तौर से नहीं हो सकी। माह अगस्त में बस्ती, हरय्या और डुमरियागंज तहसीलों में वर्षा कम होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हुई।

प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के 511 गांवों में 3.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे का प्रभाव है। अद्यावधिक सूचना के अनुसार जड़हन धान को क्षति अधिक है और कुंवारी धान को कम। अरहर तथा गन्ने को क्षति नगण्य है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी बाढ़ प्रभावित जिलों विशेषकर आगरा तथा गोरखपुर मन्डलों का निरीक्षण किया और बाढ़ की स्थिति का स्वयं अध्ययन किया है और सम्बन्धित जिलाधिकारियों से विचार-विमर्श कर बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायता त्वरित गति से पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैंने भी कुछ बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण किया है।

शासन हर तरह से सतर्क है और बाढ़ तथा अन्य दैवी आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश की जा रही है। सौभाग्य से प्रभावित जिलों में से अधिकांश की स्थिति सुधर गई है फिर भी राजस्व विभाग की पूरी ऐजेन्सी इस काम में जुटी हुई है तथा अन्य विभाग जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्वायत्त शासन आदि सभी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। बाढ़ सहायता कार्य में कितनी ही धनराशि व्यय हो इसका कोई ख्याल किए बिना शासन पूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है।

शारदा भक्त सिंह,
राजस्व मन्त्री।

वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में बाढ़/जलप्लावन तथा भू-स्खलन से हुई क्षति का विवरण

दिनांक 11 सितम्बर, 1977

क्रम-सं0	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या (लाख)	कुल प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में) लाख	बोया हुआ क्षेत्रफल (एकड़ में) लाख	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	जीवन-हानि	
							मनुष्य	पशु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा	698	4.40	4.12	2.00	15,635	25	584
2	आगरा	172	0.80	1.39	0.62	979	..	..
3	अलीगढ़	1,594	13.93	6.20	3.21	13,756	7	5
4	एटा	72	0.46	0.35	0.14	1,099	5	..
5	फर्रुखाबाद	311	0.98	0.83	0.56	272	2	2
6	बहराइच	364	1.61	1.22	0.89	468	1	..
7	गोन्डा	154	1.05	..	0.39	62	..	..
8	बाराबंकी	179	0.42	0.78	0.42	128	..	..
9	प्रतापगढ़	32	0.04	..	0.04	..	..	..
10	फैजाबाद	113	0.08	0.49	0.09	6	2	..
11	सुल्तानपुर	4	..	0.01	0.01	..	..	..
12	आजमगढ़	158	0.87	2.19	0.79	13	..	..
13	बस्ती	664	1.46	1.19	0.62	282	7	3
14	देवरिया	126	0.99	0.75	0.28	775	2	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	गोरखपुर	369	1.21	0.62	0.35	147	..	10
16	हरदोई ..	17	0.02	0.01	0.01	75	1	2
17	सीतापुर ..	33	0.14	0.12	0.12	107	..	..
18	उन्नाव	73	0.02	0.10	0.10	112	..	..
19	बुलन्दशहर	212	0.53	0.64	0.10	4,268	11	153
20	मेरठ	37	0.01	0.11	0.04	439	3	4
21	मुजफ्फरनगर	125	0.07	0.47	0.09	196	2	..
22	सहारनपुर	1	..	..	..	29	4	..
23	गाजियाबाद	52	0,49	0.43	0.20	590	1	3
24	बदायूं	359	1.18	1.45	0.67	1,846	..	..
25	मुरादाबाद	485	1.72	2.58	1.25	1.715	..	43
26	शाहजहांपुर	148	0.12	0.27	0.17	82	..	..
27	बलिया	439	2.99	2.52	0.33	668	..	..
28	गाजीपुर	109	0.03	0.06	0.01	..	..	..
29	पिथौरागढ़	4	0.01	..	..	89	44	78
30	देहरादून	11	..	..	..	30	9	..
	योग	7.115	35.63	28.90	13.50	43,877	126	885

पी0एस0यू0पी0--एल0 282 वि0सभा (654)--1977--8401